



# वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT

2 0 1 6 - 1 7



राष्ट्रीय जलकृषि प्राधिकरण  
Coastal Aquaculture Authority



सत्यमेव जयते

## वार्षिक रिपोर्ट 2016 - 17

### तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण



COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टॉवर, 12-ए भारती स्ट्रीट

वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम पोस्ट

चेन्नै-600 091, तमिल नाडु

फोन : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, टेलीफैक्स : 044-2260 3780

ई-मेल : [aquaauth@vsnl.net](mailto:aquaauth@vsnl.net) / [aquaauth@gmail.com](mailto:aquaauth@gmail.com)

वेबसाइट : [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in)

**द्वारा प्रकाशित**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

**संपादन और संकलन**

वी. कृपा

ए. एंटनी जेवियर

जी. प्रिया

एस. रमेश कुमार

**द्वारा मुद्रित**

श्री विगनेश प्रिंट्स

***Published by***  
Coastal Aquaculture Authority

***Compilation and Editing***

V. Kripa

A. Antony Xavier

G. Priya

S. Ramesh Kumar

***Printed by***  
Shri Vignesh Prints

## विषय वस्तु

क्र.सं.

विषय भूमिका

पृष्ठ सं.

क्र.सं.	विषय भूमिका	पृष्ठ सं.
	<b>भाग - I</b>	
	प्राक्कथन	7
I.	प्राधिकरण की संरचना 2016-17 के दौरान	9
	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	9
	प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य	10
	प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य	10
	एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन	13
II.	लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन	14
	वार्षिक लक्ष्य और अपेक्षा करना	14
	वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा	15
III.	कार्यकलाप व उपलब्धियाँ	16
A.	प्राधिकरण से गदित सामितियाँ और प्राधिकरण की बैठकें	16
	प्राधिकरण की बैठकें	16
	जलीय संगरोधन टिन सुविधाओं पर जाँच-पड़ताल करने की तकनीकी समिति की बैठक	18
	विविध समितियों की अन्य बैठकें	20
	एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई हैचरियाँ और बीज उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं पर	
	वैज्ञानिक पुनरीक्षण हेतु तकनीकी समिति गठन करने की बैठक	20
	मन्त्रालय से गठित समिति	21
B.	तटीय जल फार्मों का पंजीकरण / नवीनीकरण	21
	झींगा फार्मों का पंजीकरण	21
	राज्यवार कार्यकलाप	25
	झींगा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण	25
	राज्य-वार कार्यकलाप	31
	एक्वा फार्मों के पंजीकरण/नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएए द्वारा किए गए प्रयास	31
C.	एस.पी.एफ. लिटोपिनस वेन्नामई पालन	32
	तकनीकी मूल्यांकन समिति के ब्रूडस्टाक आयात करने पर विचार-विमर्श करने की बैठक	
	- एल. वेन्नामई / ब्रूडस्टाक पूर्ति कर्ताओं के एस.पी.एफ. के चयन।	32
	2016-17 वर्ष के दौरान एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई ब्रूडस्टाक और बीज उत्पादन	
	के आयात का विवरण	33
	2016-17 के दौरान एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन	35
	भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों का विकास	36
	हैचरियों का परिसंघ	38
	न्युप्लाई रियरिंग केन्द्रों का पंजीकरण (एन.आर.सी)	38
	पी सी आर रोगों के निदान संबंधि प्रयोगशाला निर्माण करना	39
	एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों की अनुमति प्रदान करना	40
	एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई पालन का राज्य-वार निष्पादन	40
	एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई का उत्पादन	47
	एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई का समूहों के रूप में पालन	47
	एल.वेन्नामई हैचरिज़ / फार्मों की निगरानी	47
D.	कानूनी और शिकायत करना	48
IV.	एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण	49
V.	जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला	49
VI.	सीएए पुस्तकालाएँ	50
VII.	वेबसाइट का अद्यतन	50

VIII.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मजबूत बनाना	50
IX.	सीएए के अतिरिक्त कार्यकलाप	51
	प्रशिक्षण कार्यक्रम	51
	अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों / सेमिनारों गोष्ठियों में सीएए सदस्यों / अधिकारियों की भागीदारी	52
X.	वर्ष 2017-18 के दौरान किए जानेवाले संभावित कार्यकलाप	52
	पंजीकरण	52
	एल.वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदन	52
	निरीक्षण और निगरानी	52
	प्रतिजैविक मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुमोदन	52
	जागरूकता कार्यक्रम	53
	विज्ञापन और प्रकाशन	53
	प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	53
	मैनुआल्स / ब्रोशर तैयार करना	53
	कार्यशालाएँ और बैठकें	54
	क्षमता निर्माण	54
XI.	वित्त	54
	वास्तविक वित्तीय परिणामों के सारांश	54
	वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखों का ब्यौरे	55
XII.	स्टाप और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना	55
	सलाहकार और परामर्श दाता	56
XIII.	भर्ती / सेवा निवृत्ति / वापस भेजना	56
XIV.	सूचना का अधिकार अधिनियम	56
	2016-17 के वार्षिक लेखों के लिए अनुलग्नक	57

## भाग - II

वर्ष 2016-17 के लिए सीएंडएजी की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	157
---	-----

## CONTENTS

Sl. No	Subject	Page No
	<b>Part - I</b>	
	Preface	83
I.	Composition of the Authority during 2016-17	85
	Composition of the Authority during 2016-2017	85
	Aims and objectives of the Authority	86
	Powers and Functions of the Authority	86
	Regulations of SPF <i>Litopenaeus vannamei</i> culture in India	89
II.	Targets and Performance	90
	Annual Targets Contemplated	90
	Brief review of Actual Performance	91
III.	Activities and Achievements	92
	A. Meeting of the Authority and Committees constituted by the Authority	92
	Meeting of the Authority	92
	Meeting of the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility	94
	Other Meetings of Various Committees	96
	Meeting of the Technical Committee set up to scientific review of actual requirement for the SPF <i>L. vannamei</i> seed	96
	Committee Constituted by the Ministry	97
	B. Registration/Renewal of Coastal Aqua Farms	97
	Registration of Shrimp Farms	97
	State-wise performance	101
	Renewal of Registration of Shrimp Farms	101
	State-Wise Performance	107
	Efforts put up by CAA to promote Registration/Renewal of Aqua farms	107
	C. SPF <i>Litopenaeus vannamei</i> Farming	108
	Meeting of the Technical Evaluation Committee on import of broodstock - Selection of SPF <i>L. vannamei</i> Broodstock Suppliers	108
	Import of SPF <i>L. vannamei</i> broodstock and seed production in the year 2016-17	109
	Performance of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries during 2016-17	111
	Growth of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries in India	112
	Consortium of Hatcheries	114
	Registration of Nauplii Rearing Centre(NRC)	114
	Setting up of PCR disease diagnostic laboratories	115
	Permission to shrimp farms to culture SPF <i>L. vannamei</i>	116
	State-wise performance of SPF <i>L. vannamei</i> farming	116
	Production of SPF <i>L. vannamei</i>	123
	Cluster farming of SPF <i>L. vannamei</i>	123
	Monitoring of <i>L. vannamei</i> Hatcheries /farms	123
	D. Legal and Compliance	124
IV.	Registration of Antibiotic Free Aquaculture Inputs	125
V.	Water Quality Monitoring Laboratory	125
VI.	CAA Library	126
VII.	Website updation	126
VIII.	Strengthening of Coastal Aquaculture Authority	126

IX. Outreach Activities of CAA	127
Training Programmes	127
Participation of CAA members/officers in meetings/seminars/symposia organized by other organization	128
X. Activities likely to be taken up during 2017-18	128
Registration	128
Approval for <i>L. vannamei</i> culture	128
Inspection and Monitoring	128
Approval for Antibiotic-free Aquaculture Inputs	128
Awareness Programmes	129
Advertisement and Publication	129
Trainers Training Programme	129
Preparation of Manuals/Brochures	129
Workshops and Meetings	130
Capacity building	130
XI. Finance	130
Summary of Actual Financial Results	130
Staff and existing organizational structure of the Authority	131
Advisor and Consultants	132
Recruitment/Retirement/Repatriation	132
Right To Information Act	132
Annexure Annual Accounts for the Year 2016-17	133
<b>Part - II</b>	
Separate Audit Report of the C & AG for the year 2016-17	193

डॉ. के. के. विजयन  
सदस्य सचिव

**Dr. K. K. Vijayan**  
Member Secretary

फ़ोन/Phone : +91 44 2260 3782 / 83  
ईमेल/e-mail : aquaauth@vsnl.net  
वेबसाइट/Website : <http://www.caa.gov.in>



भारत सरकार,  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग  
**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
Government of India  
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare  
Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

## प्राक्कथन

तटीय जलकृषि में सामूहिक रूप से झींगा, मछली, केकडो, घोंघा आदि किस्मों की खारा जल या मैले जल की सभी जलीय कृषि शामिल है। और अन्य सहायक उद्योग हैं जो विभिन्न आदानों की आपूर्ति करते हैं यह देश और दुनिया की पोषण और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए संसाधनों के प्रबंधन और तटीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का महत्व बहुत अधिक है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की स्थापना तटीय पर्यावरण के संरक्षण, तटीय जलकृषि के सतत् विकास और संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार और विनियमित तटीय जलकृषि प्रथाओं के माध्यम से की गई है।

सीएए अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है, जिसमें फार्म और हैचरियों के पंजीकरण, क्षेत्र चयन, सर्वोत्तम जलीय कृषि पद्धतियाँ शामिल हैं जो अपशिष्ट प्रबंधन और प्रभावी उपचार प्रणालि पर जोर देती हैं और तटीय में एंटीबायोटिक जैसे जलीय कृषि आदानों के उपयोग और नियंत्रण को नियंत्रित करती हैं।

प्राधिकरण किसानों और लोगों की स्थायी और जिम्मेदार जलीय कृषि प्रथाओं के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए सभी तटीय जिलों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है, और सीएए की अन्य प्राथमिकता है, अपने कार्यों और महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदर्शनिय और अन्य संबंधित गतिविधियों का संचालन करने का प्रबंध कर अपने प्रक्रिया के महत्वों पर प्रकाश डालते हैं।

सीएए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के तकनीकी कार्मिकों और तटीय जलकृषि में शामिल सभी हीतधारकों के समर्थन और सहयोग के लिए अपनी आभार व्यक्त करता है।

(के. के. विजयन)  
सदस्य सचिव



## I. प्राधिकरण की संरचना 2016-17 के दौरान

तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य यह है कि तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि से संबद्ध कार्यकलापों और इससे जुड़े मामलों अथवा घटनओं को विनिर्मित करने के लिए है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तटीय जल कृषि से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और जिम्मेदारी में जल कृषि की अवधारण का पालन किया जाएगा। तटीय जल कृषि का तात्पर्य तटीय क्षेत्रों में तालाबों, पेंस संबद्ध क्षेत्रों में झींगा, प्रान, मछली अथवा खारे समुद्र अथवा अप्रवाही जल में अन्य तटीय जीवों का नियंत्रित दशाओं के तहत पालन करना है। किंतु इसमें स्वच्छ जल के जल कृषि शामिल नहीं है। तटीय क्षेत्र से तात्पर्य समुद्रों, नदियों, संकरी खाड़ियों और अप्रवाही जल की हाई टाइड लान (एचटी एल) से दो कि.मी. की दूरी के भीतर की भूमि के क्षेत्र से है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है प्रथाओ को नुकसान पहुंचाए बिना तटीय विकास को बढ़ावा देना और तटीय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न हितधारकों की अजीविका कि रक्षा करना है।

### 1. वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

- |   |             |
|---|-------------|
| (i) <b>जस्टिस के. रविराजा पांडियन</b><br>(सेवानिवृत्त न्यायाधिश, उच्च न्यायालय, मद्रास)<br>(2016 मई तक)   | ... अध्यक्ष |
| (ii) <b>डॉ. के. के. विजयन</b><br>निदेशक, केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै<br>(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)   | ... सदस्य   |
| (iii) <b>डॉ. आर. किरुभागरन</b><br>वैज्ञानिक 'एफ' 'राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै.<br>पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि<br>(19 अक्तूबर 2015 से प्रभावी)<br>(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ)            | ... सदस्य   |
| (iv) <b>डॉ. टी. बालासुब्रमणियम</b><br>पूर्व निदेशक और डीन,<br>समुद्र जैविकी विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र,<br>अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिदंबरम,<br>पारंगीपेट्टई, तमिलनाडु.<br>(19 अक्तूबर 2015 से प्रभावी)<br>(पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञ) | ... सदस्य   |
| (v) <b>आदित्य कुमार जोशी, आई.एफ.एस.</b><br>संयुक्त सचिव (मात्स्विकी)<br>पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग<br>(कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)   | ... सदस्य   |

- (vi) **सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस.** ... सदस्य  
अध्यक्ष  
समुद्री उत्पात निर्यात विकास प्राधिकरण,  
एम पी.ई.डीए हाऊस, पनमपिल्लाई अवन्यू, कोचिन, केरला  
वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि
- (vii) **रामसंकर नाईक, आई.ए.एस.** ... सदस्य  
मात्स्यिकी की आयुक्त  
आंध्र प्रदेश सरकार,  
आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि
- (viii) **विष्णुपाणा सेठी, आई.ए.एस.** ... सदस्य  
मात्स्यिकी और पशु संसाधन विकास विभाग  
सचिवालय, भूबानेश्वर, ओडिशा  
(ओडिशा के प्रतिनिधि)
- (ix) **चोलेटी प्रभाकर, आई.ए.एस.** ... सदस्य  
सचिव / विशिष्ट सचिव (मात्स्यिकी)  
पुदुचेरी सरकार के प्रतिनिधि  
(पुदुचेरी के प्रतिनिधि)
- (x) **डॉ.एन.एस. चेन्नप्पा गोडवा, आई.ए.एस.** ... सदस्य  
सचिव (मात्स्यिकी)  
पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग  
कर्नाटक सरकार  
(19 अक्तूबर 2015 से प्रभावी)
- (xi) **पी. रविचन्द्रन** ... सदस्य सचिव  
(सदस्य सचिव, सीएए)  
(2016 जून तक)

## 2. प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा 'तटवर्ती क्षेत्रों के रूम में' अधिसूचित क्षेत्रों से तटीय जल कृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटपवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियमन बनाने और फार्मों तथा हैचरियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने के लिए एल. वेन्नामई हेतु फार्मों तथा हैचारियों का निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि आगतों जैसे बीज, चारा बीजवृद्धि उपकरण, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायनों आदि के लिए मानकों को तय करने और देश में तटीय जलकृषि कार्य कलापों की समग्र निगरानी की शक्ति दी गई है।

## 3. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के चौथे अध्याय तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है।

सीए - अन्य बातों के साथ-साथ तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथासतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक - आर्थिक लाभों के लिए (पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर एसपीएफ झींगा बीज उत्पादन सहित तटीय जलकृषि में शामिल अथवा शामिल होने जा रहे सभी प्रकार के तटीय खारा और लवणीय जल जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण, अपेक्षित जैव सुरक्षा सहित एसपीएफ झींगा कृषि के लिए फार्मों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना है। किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सभी पात्र जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय आरंभ किए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में जलकृषि वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने फर्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएँ। पंजीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे समय समय पर नवीनीकृत किए जा सकते हैं। भविष्य में तटीय जलकृषि गति विधियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रियाओं को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जाएगा।

तटीय विनियम जोन के भीतर समुद्र के हाई टाइड लाइन, संकरी खड़ियों, नदियाँ और पश्च जल से दो सौ मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त तटीय जलकृषि अधिनियम के विधिकरण से पहले स्थापित भौजूदा फार्मों तथा सरकार अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान सस्थान द्वारा संचालित गैर-वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। तो भी ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे अधिनियम के अनुच्छेद 14 में यथा मिर्धारित कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधितक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पड़ेंगे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की सीए नियम 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित राज्य स्तरीय समितियों (एस.एल.सी) एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है, जो प्राथमिक रूप से तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों पर संबद्ध है। यदि 2 (दो) हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्रवाले फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों की अनुपालना के बारे में संतुष्ट होने पर पंजीकरण हेतु विचार करने के लिए सीए को सीधे आवेदनों की सिफारिश करेंगे और 2 (दो) हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र से बड़े फार्मों के मामले में -डीएलसी मानकों सत्यापन की पुष्टिकरण के लिए फार्मों का निरीक्षण करेंगे और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेंगे, जो संतुष्ट होने पर पंजीकरण के लिए सीए को इनकी सिफारिश करेंगे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के द्वारा लाइवस्टाक इम्पोर्टेशन अधिनियम 1898 (लाइवस्टाक इम्पोर्टेशन अधिनियम 2001) के तहत जारी की गयी दिनांक 15 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना के तहत जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण अनुमोदित विदेशी एसपीएफ ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल.वेन्नामई का ब्रूडस्टाक आयात करने के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए और ब्रूडस्टाक की वार्षिक आवश्यकताओं का आबंटन करने के लिए प्राधिकृत था।

तटीय जल कृषि प्राधिकरण 2009 के अधिनियम के अनुसार सीएए को इस उद्देश्य के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसपीएफ एल.वेन्नामई हैचरियों और फार्मों की निगरानी करने की सख्ती भी है।

### इसके अतिरिक्त सीएए की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं।

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषिभूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नमजमीन, वनभूमि, गाँव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए।
- पारिस्थिकीय अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित कार्यनीति तैयार करने के लिए देश के समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार तथा राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देना।
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकीसी नहर एवंसार्वजनिक ब्रहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य / संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना।
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रख रखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों के लिए मानक निधारित करना।
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अध्ययनों योजनओं को आरंभ करना या अन्वेषणों को प्रायोजित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक, आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना।
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना।
- तटीय संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में जागरूकता अभियान चलाकर प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- तकनीकी नियमावली के संबंध में विभिन्न तकनीकी समितियाँ, उप-समितियाँ, कार्य-दल आदि गठित करना।
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना।
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए या पर्यावरणीय सततता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना।
- यदि कोई व्यक्ति झूठी सूचना प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त करता है अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों अथवा इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकरण को रद्द करना।
- तटीय जलकृषि से संबंधित मसलों को निपटाना जिनमें ऐसे मसले भी शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाना है।
- समय समय पर दिश-निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

#### 4. एसपीएफ लिटोपिनस बेन्नामई पालन का भारत में विनियमन

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पशुधन आयात अधिनियम 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत जारी 15-10-2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जल कृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एन.वेन्नामई के ब्रूडस्टाक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्रधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एम.एफ.डी.बी.) केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सी आई बी ए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए) के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुवांशिकी आधार और रोग संबंधी स्थिति के आधार पर ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ता चुने गए थे। उक्त अधिसूचना में शामिल उक्त दिशा-निर्देश में संगरोध के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षा, आयात परमिट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व सरहद संगरोध अपेक्षाएँ संक्रमण युक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि (संशोधन) 2009 से एल.वेन्नामई की शुरूवात करने के लिए हैचरियाँ और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश में वेन्नामई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनी की आवश्यकताएँ, एसपीएफ एल.वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रिया शामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनियम विनिर्दिष्ट है।

हैचार संचालकों और झींगा कृषकों के सुचारु प्रचालन के लिए, भारत सरकार ने वयस्क ब्रूडस्टाक पालन के लिए 10 ग्राम तक एन.वेन्नामई के एसपीएफ बच्चों के आयात, अनुमति प्राप्त हैचारियों से न्युप्लाई की बिक्री पर्याप्त, सुखा काल के बाद, एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में पालन को बदलने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचना के तहत सीएए नियम, 2005 में और आगे संशोधन किया है। इस अधिसूचना से अप्राधिकृत बीज उत्पादन से निपटने की निरीक्षण प्रक्रिया और सीएए की टीम निरीक्षण प्रक्रिया और सीएए की टीम निरीक्षण द्वारा अप्राधिकृत स्टॉक को नष्ट करने के जरिए एल.वेन्नामई पालन को भी सुदृढ़ किया गया।

दिनांक 16 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी की गयी थी जिसमें पेनीयस मोनोडान के लिए पंजीकृत फार्मों को शून्य जल बदलावों को अपनाते हुए निम्न स्टॉकिंग सघनता के साथ एल.वेन्नामई कृषि करने की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे।

सीएए द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियाँ (पी.मोनोडान सहित) के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम 2005 के अनुलग्नक-1 के देश-निर्देशों में डिएए चडी एंड एफ, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2015 में सीएए अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप संसोधन जारी किया गया था।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल.वेन्नामई पालन आरंभ करने के लिए हैचरियों एवं फार्मों को अनुमति प्रदान करने में इस उद्यम के सतत विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिटरिंग में सावधानी पूर्वक अनुपालन कर रहा है। बड़ी संख्या में छोड़ दिए गए झींगा फार्मों को पुनर्जीवित करने के मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए एसपीएफ एल.वेन्नामई को शुरूकिया गया और इसके परिणामस्वरूप देश में झींगा के उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

## II. लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

### 1. वार्षिक लक्ष्य और अपेक्षा करना

- क्रियान्वयन के लिए उचित निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।
- तटीय जल कृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका विशेष रूप से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (डी.एस.सी) और राज्य स्तरीय समितियों (एस.एल.सी) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3000 तटय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत / नवीकृत किए जाने की संभावना।
- वर्ष 2015-16 के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करते हुए एस पी एफ एल.वेन्नामई पालन का विस्तार जिसमें एक वर्ष में झींगा का लगभग 20,000 मेट्रिक टन प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा।
- तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकता और मौजूदा ब्रूडस्टॉक आपूर्ति कर्ताओं के निष्पादन की समीक्षा पर निर्भर करते हुए ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन।
- ब्रूडस्टॉक के आयात और सीएए द्वारा अनुमोदित कृषकों को आपूर्ति करने के लिए एस.पी.एफ बीजों के उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त जैव सुरक्षा सुविधाएँ रखने वाले भावी हैचरी मालिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना।
- तकनीकी समिति द्वारा एल.वेन्नामई कृषि के लिए ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकता हैचरी क्षमता और एल.वेन्नामई पालन के लिए पालन क्षेत्र की सीमा के आधार पर तैयार की जाएगी।
- उन कृषकों से प्राप्ति सभी आवेदन पत्रों को प्रक्रम में लाना, जो पी.मोनोडाना, एस पी एफ, एल.वेन्नामई या किसी अन्य खाराजल प्रजाति को अपने फार्मों में अपेक्षित सुविधा प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं। और तत्पश्चात पंजीकरण तथा / या अनुमति प्रमाण पत्र जारी करना।
- अन्य सुविधाओं के साथ-साथ जैव सुरक्षा अपेक्षाओं की सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों, न्युप्लाइ रियरिंग के केन्द्रों और फार्मों का निरीक्षण करना।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण अपनी नियमित बैठक में विचार करना।
- हैचारियों, न्युप्लाइ रियरिंग केन्द्रों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना और अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई करना।
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ईटीएस से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता नमूने प्राप्त करना एवं परीक्षण करना।
- समुद्र तटीय राज्य में जागरूकता प्रदान करने का उचित कार्यक्रम को प्रबन्ध करना। उत्सुक कृषक आवेदन पत्र समर्पण करने का आमंत्रण करना जो एस.पी.एफ एल.वेन्नामई, झींगा और केकड़ा का फार्म शुरू करना। नशीली दवा और अन्य खतरनाक वस्तुओं को वितरण करने से दूर जाना आदि में ध्यान देना।

- तटीय जलकृषि के संबंध में दीर्घकालिक कृषि संव्यवहारों के प्रदर्शन हेतु कार्यशाला / सेमिनारों का आयोजन अथवा संबंधित संगठन द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / सेमिनारों / प्रदर्शनों में भागीदारी।
- पणधारियों को वितरित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में जलकृषि के अच्छे संव्यवहारों (जीए क्यू. पी) / बी.एम पीज पर ब्राँशर / हैंड आउट तैयार करना ।

## 2. वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- 2016 अप्रैल 15 में 58 बैठक आयोजित की गयी थी। प्राधिकरण कुल 3,449 आवेदन पत्रों को पंजीकरण के लिए प्राप्त कर अनुमोदित किया।
- सीए को प्राप्त 3,449 सभी आवेदन पत्र को अनुमोदित कर पंजीकृत प्रमाण पत्र को प्रदान कर दिया।
- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 3054 आवेदन पत्र विचार किया है और सभी 3054 फार्मों को अनुमोदित किया है। तुरंत सभी संबंधित मूल पंजीकृत प्रमाण पत्र को अभ्यर्पित कर दिया है।
- निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 488-फार्मों को 604.97 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र में एस.पी.एफ एल.वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए सीए ने अनुमति प्रदान कर दी गई थी।
- निरीक्षण दल के रिपोर्ट के आधार पर 22 नए हैचरियों की एसपीएफ एल.वेन्नामई बीज को उत्पन्न करने की अनुमति दी गई थी और 2015-16 के दौरान 259 पुरानी हैचरियों को निरीक्षण कर 31-03-17 तक उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।
- इसके साथ-साथ 281 हैचडियों को सीए द्वारा अनुमति पत्र (एल ओ पी) प्रदान कर 07 सात-ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एस पी एफ एल.वेन्नामई के 6,78,600 ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए प्रबंध किया। परन्तु मात्र 2,26,851 - ब्रूडस्टॉकों का आयात किया गया था।
- सीए ने परिपक्व सुविधा के बिना एस.पी.एफ एल.वेन्नामई बीज उदपादन के लिए लघु स्तर की हैचरियों को प्रोसाहित करने के लिए न्युप्लाई रियरिंग केन्द्रों (एन.आर.सी) की अवधारणा शुरू की थी और जाँच दल की रिपोर्ट के आधार पर 915 मिलियन बीज / वर्ष उत्पादन क्षमता के दस न्युप्लाई रियरिंग केन्द्र वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए थे।
- एस.पी.एफ एल.वेन्नामई हैचरियों की संख्या में कार्यक्रम के प्रारंभ (जुलाई 2009) में 09 से सतत् रूप से वृद्धि हुई है। आठ वर्षों की अवधि में (मार्च, 2017) सीए ने 26,783 मिलियन बीज / वर्ष की उत्पादन क्षमतावाली 281 एल.वेन्नामई हैचरियों को अनुमोदित किया है।
- वर्ष के दौरान अनुमोदित हैचरियों द्वारा बीज उत्पादन में वर्ष 2009-10 के दौरान 310.69 मिलियन से वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 9,468,478 मिलियन (अनुमानित) तक और पंजीकृत झींगा किसानों आपूर्ती में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- वर्ष के दौरान उत्पादित कुल न्युप्लाई से कुल पोस्ट लार्वा की औसत जीवित दर अनुमानित 24% थी।
- हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था जिसमें जाँच दल द्वारा अनुमोदन के आधार पर प्राधिकरण की बैठकों के बीच समय अंतराल के कारण निरीक्षण के तत्काल बाद अनुमोदन किए जाते हैं। तथापि, प्राधिकरण द्वारा पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त किया गया था। यदि स्पष्टीकरण अपेक्षित होते हैं तो अनुमोदन प्राधिकरण के समक्ष रखने के बाद ही प्रदान किए जाते थे।

- वर्ष के दौरान कुल 584 उत्पाद पंजीकृत जो जीवाणुनाशक - मुक्त जल कृषि का है। यह पंजीकरण खुले और आगे बढ़ाने के रास्ते पर जो और आगे अधिक उत्पाद की वृद्ध होने के संदर्भ आया और पंजीकृत हो जाएगा।
- वर्ष के दौरान एक्यूएफ के निरीक्षण और जाँच - पड़ताल करने पर विचार-विमर्श करने हेतु तकनीकी समिति की दो बैठकें के आयोजन किया गया। पीपीएल के छूत की बीमारी वाले पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखने के 15 (पन्द्रह) दिन की अनुमति को अनुमोदित किया गया। (संगरोध का) समिति ने अनुमोदित किया गया कि नामिनल क्यूबिकल प्रयोक्ता के नए शुल्क रु.84,000 और प्रीमियम क्यूबिकल प्रयोक्ता के नए शुल्क रु.1,19,000 पर निर्णय कर प्रस्ताव रखने का। साथ-साथ पीपीएल के एस ओ पी में हल्का परिवर्तन कराने की अनुमति भी दिया। संगरोध के नये यार्ड स्टिक को मँगवाना और स्थानीय प्रजाति के नयी पोली बैग मँगवाने पर भी विचार-विमर्श कर दिया।
- 25 वीं मई, 2016 में तकनीकी समिति की पहली बैठक के आयोजन किया गया। जिस में एस पी एफ. एल.वेन्नामई के विकास के वास्तविक जरूरतें पर वैज्ञानिक पुनरीक्षण करने हेतु विशेषज्ञ दल को संगठित किया गया।
- झिंगा फार्मों पंजीकरण करने में बहुत सरलता होने की उक्ति पर ध्यान देने के हेतु एक समिति को संगठन करने हेतु विशेषज्ञ को नियुक्ति करने की बैठक भी हुई।
- 2006 अप्रैल 11 वीं में एक बैठक हुई। जिसमें तकनीकी मूल्यांकन समिति के गठन पर विचार-विमर्श किया। यह समिति ने एसपीएफ एल.वेन्नामई विदेशीपूर्तिकर्ता के निरीक्षण करने के काम को सौंप किया। यह समिति ने नौ विदेशी पूर्ति कर्ताको अनुमोदित किया। परन्तु सात पूर्तिकर्ताओं से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पंजीकरण को रद्द कर दिया। दूसरे दो पूर्तिकर्ताओं के मात्र पंजीकरण को अनुमोदित किया।
- वर्ष के दौरान (CIBA) के सहयोग से प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिन में मात्स्यिकी विभाग, आंध्र प्रदेश के 14 अधिकारियों को 'झिंगा उत्पादन, हैचरी बीज उत्पादन और विनयमों' के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।
- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के जरिए सी.ए.ए. वेबसाइट [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) में उपलोड किए गए डाटाबेस चेन्नै को नई और नवनीतम सूचना से पाक्षिक तौर पर अपडेट किया जाता है। आवेदन पत्र, पंजीकरण के निबंधन और शर्तों, पंजीकृत उत्पादों की सूची और संबंधित अधिसूचनों आदि - सहित एंटीबायो टिक-मुक्त जलकृषि आदानों के पंजीकरण की सूचना भी प्रयोक्त अनुरूप डाउनलोड होने योग्य प्रारूप में जोड़ी जाती है।

### III. कार्यकलाप व उपलब्धियाँ

#### A. प्राधिकरण से गदित सामितियाँ और प्राधिकरण की बैठकें

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक प्राधिकरण से गदित सामितियाँ और प्राधिकरण की बैठकें नियमानुसार आयोजित किया है। सिएए ने नियमित प्राधिकरण की बैठकें के साथ-साथ विशेष उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित किया गया।

##### 1. प्राधिकरण की बैठकें

- वर्ष के दौरान सिएए के सचिव श्री.डॉ.पी.रविचन्द्रन के अध्यक्षता में एक बैठक को आयोजित किया गया था। प्राधिकरण की 58 वीं बैठक 15 अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था। इस में पंजीकरण हेतु समर्पित आवेदन पत्र को अनुमोदित किया गया। पंजीकृत फार्मों और हैचरियों के

प्रमाण-पत्र को नवीनीकरण किया गया। वैज्ञानिक पुनरीक्षण समिति को गठित किया और निरीक्षण समिति को पुनरुद्धार किया। फार्मों और हैचरियों से निकला अपसिष्ट को जाँच-पड़ताल करने पर विचार-विमर्श किया। हैचरियों के पंजीकरण पर पुनरीक्षण किया। अपंजीकृत हैचरियों को बन्द करने का विचार आदि इस बैठक में विचार-विमर्श कर दिया।



प्रगति से प्राधिकरण की बैठक

तालिका एक में प्राधिकरण की बैठकें और प्रमुख संकल्पों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

**तालिका - 1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठकें (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक)**

बैठकें	दिनांक और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
58 वीं बैठक	15 अप्रैल 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>425 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया।</li> <li>193 फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदित किया गया और एक्स-पोस्ट फेक्टो अनुदान के साथ अनुमोदन प्रदान किया।</li> <li>चार हैचरियों को एक्स-पोस्ट फेक्टो अनुदान के साथ अनुमोदन प्रदान किया।</li> <li>एक्स-पोस्ट फेक्टो अनुदान के साथ अनुमोदित 33 फार्मों में एस.पी.एफ एल.वन्नामई पालन करने के प्रावधान प्रदान किया।</li> <li>तीन न्युप्लाइ रियरिंग केन्द्र के एक्स-पोस्ट फेक्टो अनुमोदन के साथ अनुमोदित किया गया।</li> <li>एस.पी.एफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन, हैचरियां और एन आर सी एस के निर्वाह करने पर वैज्ञानिक पुनरीक्षण हेतु समिति गठित किया गया।</li> <li>एस पीएफ एल.वन्नामई हैचरियाँ और फार्मों के निरीक्षण एम.पी.ई.डी.ए के प्रतिनिधि के साथ सी.ए.ए. के निरीक्षण समिति को पुनर्गठन किया गया।</li> </ul>

## 2. जलीय संगरोधन टीन सुविधाओं पर जाँच-पड़ताल करने की तकनीकी समिति की बैठक

चेन्नई नीलांगकुरै क्षेत्र में नियमित जलीय संगरोधन फेसिलिटी केन्द्र पर ध्यान रखकर निरीक्षण और जाँच पड़ताल करने के लिए सीएए द्वारा तकनीकी-समिति कठित किया गया। नियमित समय पर बैठकें आयोजन करना। तकनीकी या प्रचालन संबंधित समस्याओं को निपटाना। ए क्यू एफ केन्द्र की जरूरतों को आपूर्ति कर सहज रूप से प्रचालन करवाने की सुविधाओं को प्रदान करना।

वर्ष के दौरान तकनीकी समिति की बैठकें दो बार हुई थी। इसका संपूर्ण विवरण तालिका दो में दिया गया, जिसमें बैठक का विवरण और प्रमुख प्रस्ताव संक्षिप्त में दिया गया है।

**तालिका - 2 वर्ष के दौरान एक््यू एफ की निगरानी संबंधी तकनीकी समिति की बैठकें**

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
12 वीं बैठक	26 वॉ मई. 2016 सी.ए.ए	<ul style="list-style-type: none"> <li>संगरोधन के समय पोस्ट लार्वा (पीपीएल) के परीक्षण प्रचालन हेतु 15 दिनों की अवधि की अनुमति देने के निर्णय किया गया।</li> <li>पीपीएल के संगरोधन हेतु 15 दिनों की अवधि से परिवर्तन करने के सुझाव पर एस ओ पी में विचार विमर्श किया गया।</li> <li>एस ओ पी से यह निवेदन करने के निश्चय किया कि पशुओं के परीक्षण दो बार करवाना जो आगमन के तुरंत बाद और दस दिन के बाद।</li> <li>संकेत किया गया कि अलग अलग पेकेज के मिलावट से 150 पशुओं को चयन कर छः रोग जनक को जानने के परीक्षण करना चाहिए।</li> <li>डीएहेच डी एण्ड एफ के प्रतिनिधि से दिया गया नए परिभाषा की सहमति प्रदान किया गया जो इस प्रकार है :- 'बीएमसी में पालन होनेवाले विदेश से आयात किया गया एसपीएफ एल.वेन्नामई पोस्ट लार्वा'</li> <li>यह संकेत किया गया कि प्रेषित मालों के अंतराल 15 दिन होना चाहिए, जो एक वर्ष में ए क्यू एफ के द्वारा 15 प्रेषित माल को परिचालन कर सकेगा।</li> </ul>

<p>13 वीं बैठक</p>	<p>3 फरवरी 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पुनर्विचार के बाद इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया कि नामिनल क्यूबिकल शुल्क रु. 84,000 और प्रीमियम क्यूबिकल शुल्क रु.1,19000 निश्चय कर दिया गया।</li> <li>• दो प्रस्ताव के अनुमोदन कर दिया कि एस पीएफ एल.वेन्नामई ब्रूडस्टॉक को आयात करने की यथा स्थिति की अनुमतिदेना और एक्वू एफ में कुछ और ऐक जनक को पता करने को एहेच पी एन डी कार्य को अनुमति देना।</li> <li>• ए.क्यू.एफ से किया गया परीक्षण प्रचालन के आधार से सिफारिश किया गया पीपीएल के एसओपी के हल्का परिवर्तन करने के प्रस्ताव को अमुमोदन किया गया।</li> <li>• आरजी सी ए से निवेदन किया कि सेवा कर से छूट प्राप्त कराने के कार्य पर खूब प्रयत्न करना।</li> </ul>
<p>13 वीं बैठक</p>	<p>3 फरवरी 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ए आई एस हेच ए को सुझाव दिया गया कि दूर-दूर तक भेजने के पकेज को नये पोली-बैग्स के द्वारा भेजने के प्रबन्ध करना और खर्च पत्र हैचरी परिचालक को धारण करना चाहिए।</li> <li>• सूचित किया गया कि अलग बनाना जो स्थानीय प्रजाति होना। अगर संगरोधन को विजातीय यार्डस्टिक प्रयोग किया गया तो स्थानीय प्रजाति यार्डस्टिक को प्रयोग करने की जरूरतें नहीं।</li> <li>• आर.जी.सी.ए को सूचित किया गया रंतगरोधन के द्वारा अपने देश से मँगवाया प्रजाति के बारे में एस.पी.एफ की यथा स्थिति को प्राधिकरण को समय समय पर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य हैं।</li> <li>• एक्वूएफ के नवीनीकरण के बारे में विचार-विमर्श करना। एन एफ डी बी से निधि प्राप्त करने के कार्यों पर ध्यान देने हेतु एक समिति गठित करने पर भी विचार-विमर्श करना।</li> <li>• ए आई एस हेच ए को सुझाव दिया गया कि हाल ही में चेन्नई पोर्ट में तेल छितरा जाने से खराब हुआ तेली पानी को दूर-दूर तक हटाकर नीचे से शुद्ध समुद्र पानी आजाने का प्रबन्ध करना।</li> <li>• माँगने के अनुसार बन्द करने की अवधि को विनियमित करना।</li> <li>• आस्ट्रेलियन सीबास आयात संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। आर सी सी ए को इस प्रकार के सीबास के साथ संगरोधन सुविधाओं को प्रदान करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।</li> </ul>



ए क्यू एफ जाँच की तकनीकी समिति की बैठक

### 3. विविध समितियों की अन्य बैठकें

#### a) एस.पी.एफ एल.वेन्नामई हैचरियाँ और बीज उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं पर वैज्ञानिक पुनरीक्षण हेतु तकनीकी समिति गठन करने की बैठक

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (डी.ए.हेच.डी - एफ) ने प्राधिकरण की 57 वीं बैठक के निर्णय के आधार से एक समिति का गठन हुआ जो वैज्ञानिक पुनरीक्षण विशेष रूप से एल.वेन्नामई बीज उत्पादन और हैचरियों की आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करने का। इस के संबंधित पहली बैठक चेन्नई सीएए के परिसर में 25वाँ मई 2016 में सीएए सदस्य सचिव के अध्यक्षता में हुई थी।

समिति ने अनुरोध किया कि आयात किया ब्रूडस्टाक बीज के उच्च उत्पादन को परीक्षण करना। उच्च उत्पादन के बीज को और आगे वृद्धि कराने की तकनीकियों को प्रयोग कर अनुवीक्षण करना। इससे सेक्टर में उल्टी हालत न आकर तन्दरुस्त वीज उत्पादन करने का संभावना होगा। समिति ने डीएलसी से निवेदन की कि उचित व्यापक सर्वेक्षण कराकर एल.वेन्नामई हैचरियाँ और फार्मों की शक्ति को बढ़ाना जो सीएए को मदद करेगी कि अनाधिकृत कार्यों को पहचानकर उन क्षेत्रों को बन्द कराने की उचित कार्रवाई कर सकेगी।



तकनीकी समिति की बैठक

इस बैठक में जाँच पड़ताल करने सीएए कार्य क्रम में एमपीईडीए को भी समावेश कराकर हैचरियों को आकस्मिक अवलोकन कर सच्ची हालत को पहचाने का सुझाव दिया गया।

सी आई बी ए से उनुरोध किया गया कि एल.वेन्नामई हैचरियों को सीएए के अधिक्षेत्र के बाहर निर्माज करने की योजना बनाने का उचित कार्रवाई करन पर ध्यान दें।

समिति निरीक्षण भी करने के विचार किया कि वार्षिक सुक्षमता के आधार पर हैचरियों का प्रतिबन्ध लगाकर अचित क्षेत्र को अनुमति देना।

### b) मन्त्रालय से गठित समिति

5 वाँ और 21 वाँ जूलाई 2016 में आयोजित बैठकें जो डीएहेचडी एफ के सचिव से किया, और सदस्य सचिव के अध्यक्षता में हुई, एक समिति गठित करने को निर्णय किया। इसका प्रमुख कार्य फार्मों को पंजीकरण करने में सरलता को परिचय करना। एल.वेन्नामई हैचरियों के उत्पादन पर नजर लगाना। एस.पी.एफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन करने के आवश्यकताओं पर ध्यान देना। एल वेन्नामई उत्पादन के फार्मों पर नजर लगाकर ब्रूडस्टाक के आयात पर अधिक श्रद्धा दिखाना। डी एल.सी. और एस एल सी के व्यावहारों पर नजर लगाकर उन के वार्षिक सुक्षमता के अनुसार हैचरियों को प्रतिबन्ध लगाना, जो ना लायक क्षेत्र हो।

## B. तटीय जल फार्मों का पंजीकरण / नवीनीकरण

### 1. झींगा फार्मों का पंजीकरण

सीएए के प्रमुख प्रक्रियों में एक मानना कि सफलतापूर्वक राज्य और जिला के स्तर पर इस उदेश्य से गठित समिति के सिफारिश से ही झींगा फार्मों के पंजीकरण पर उचित कार्रवाई कराना!

- प्राधिकरण में हर दो महीने में एक बार नियमित रूप से हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों के द्वारा संस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार किया और 2016-2017 में 3449 झींगा किसानों को प्रमाण – पत्र अनुमोदित किए गए और जारी किए गए। पंजीकृत फार्मों के कुल पालन करने के क्षेत्र को 5119.02 हेक्टेयर और जल पैला क्षेत्र 3343.94 हेक्टेयर था।

2016-17 वर्ष के दौरान 3449 फार्म पंजीकृत फार्मों की संख्या कुल मिलाकर 33423 था।




सीएए दल के फार्मों के जाँच

- सभी 12 समुद्र तटीय और यू.टी. में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाले विवरण तालिका तीन (3) में दिया गया है। और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत राज्यवार और क्षेत्रवार फार्मों को दर्शानेवाला चार्ट भी चित्र एक (1) और चित्र दो (2) में दिया गया है।


पंजीकृत फार्मों के व्यौरे प्राधिकरण की वेबसाइट [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) पर भी अन्य प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है और इस वेबसाइट को आवधिकरूप से अद्यतन किया जा रहा है।

**तालिका 03:01 से 58 वीं बैठक तक (दिसंबर 2005 – मार्च 2017) तक सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के व्यौरे**


क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुलक्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 से अधिक	योग	टी.एस.ए डेक्टेयर	डबल्यू एस ए हेक्टेयर
1	पश्चिम बंगाल	2806	165	6	0	0	2977	3097.27	2204.79
2	ओड़िशा	7382	424	30	17	0	7853	10292.18	6308.69
3	आंध्र प्रदेश	16901	1059	128	60	9	18157	27022.37	19097.05
4	तमिल नाडु	958	631	131	19	1	1740	5139.88	3557.86
5	पुदुच्चेरी	41	1	0	0	0	42	72.28	50.15
6	केरला	1018	215	18	5	1	1257	2534.48	1703.7
7	कर्नाटक	266	42	2	2	0	312	459.16	349.78
8	गोवा	23	15	2	2	0	42	151.17	109
9	महाराष्ट्र	95	123	25	18	6	267	2077.23	1306.92
10	गुजरात	146	603	8	1	2	760	3450.00	2461
11	दमन और दीव	0	12	0	0	0	12	60.00	38
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	0	0	0	4	22.00	5
	<b>योग</b>	<b>29639</b>	<b>3291</b>	<b>350</b>	<b>124</b>	<b>19</b>	<b>33,423</b>	<b>54,378.02</b>	<b>37,191.94</b>



चित्र - एक दिसंबर 2005 सं मार्च 2017 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)



चित्र दो (02) दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक सभी तटीय राज्यों पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)



चित्र 3 वर्ष 16-17 सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)

- वर्ष के दौरान (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) प्राधिकरण ने 3449 आवेदनों पर विचार किया और प्रमाण-पत्र जारी किए गए। पंजीकरण प्रमाण पत्र किसानों को सीधे जारी किए गए थे। और सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस लौटे प्रमाण पत्रों को राज्यों के एस एल सी के सदस्य संयोजकों को भेज दिया गया था। जैसे कि प्राधिकरण की 27 वीं बैठक में संकल्प किया गया था।
- सभी 12 राज्यों और तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक के दौरान प्राधिकरण में पंजीकृत फार्मों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 4 में दिया गया है।



सामाजिक समरसता दिवस का कार्यक्रम




सीए स्टॉप की बैठक

वर्ष के दौरान दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक प्राधिकरण में पंजीकृत झींगा पार्मों के कुल क्षेत्र (राज्य-वार और क्षेत्र-वार) का विवरण चित्र तीन (03) में दिया गया है।

**तालिका 04 : चालू वर्ष के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के व्यौरे (अप्रैल 2016 – मार्च 2017)**

क्र. सं.	राज्यों के नाम	फार्मों की संख्या कुलक्षेत्र (हेक)						पार्म का क्षेत्रफल	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	ऊपर 40-01	योग	टी.एस.ए डेक्टेयर	डबल्यू एस ए हेक्टेयर
1	पश्चिम बंगाल	558	0	0	0	0	558	459.27	428.79
2	ओड़िशा	1241	0	0	0	0	1241	1681.18	825.69
3	आंध्र प्रदेश	1528	0	0	0	0	1528	2685.37	1884.05
4	तमिल नाडु	28	0	0	0	0	28	113.88	87.86
5	पुदुच्चेरी	8	0	0	0	0	8	12.28	5.15
6	केरला	75	0	0	0	0	75	111.48	68.7
7	कर्नाटक	8	0	0	0	0	8	40.16	29.78
8	गोवा	1	0	0	0	0	1	13.17	12
9	महाराष्ट्र	2	0	0	0	0	2	2.23	1.92
10	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>3449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,449</b>	<b>5119.02</b>	<b>3343.94</b>



चित्र 04 - अप्रैल 2016 सं मार्च 2017 तक सभी तटीय राज्य पंजीकृत फार्मों के विवरण। (राज्य-वी)

- मार्च 2017 तक पंजीकृत फार्मों (33423 संख्या) के कुल क्षेत्र-फल 54378.02 - हेक्टेयर था। जल फैलाक्षेत्र फल 3791-94 हेक्टेयर था। डबल्यू एस ए के वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों (3449

संख्या) के क्षेत्रफल 5119-02 हेक्टेयर था। इस के साथ 3343-94 क्षेत्र फल हेक्टेयर के संपूर्ण विवरण तालिका तीन में दर्शाया। (चित्र 02 और 03 में चित्रित है) और तालिका चार में दर्शाया। (चित्र चार में चित्रित है)।

## राज्यवार कार्यकलाप


वर्ष के दौरान प्राधिकरण के पंजीकृत फार्मों के संख्या 3,449 और कुल क्षेत्र-फल 5119.02 हेक्टेयर और जल फैला क्षेत्रफल 3343-94 हेक्टेयर है। आन्ध्रप्रदेश के उच्चस्तरीय अभिलिखित विकास के पंजीकरण फार्मों की संख्या 1528 और कुलक्षेत्र फल 2685.37 और जल फैला क्षेत्र-फल संख्या 1884.05 हेक्टेयर है। ओडिशा दूसरे स्थान पर था और वर्ष के दौरान फार्मों के पंजीकरण की संख्या 1241 और कुलक्षेत्र फल 1681.18 और जल फैलाव क्षेत्र फल 825.69 हेक्टेयर है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है और पंजीकरण फार्मों की संख्या 558 है (टी.एफ.ए. 459.27 हेक्टेयर और डब्ल्यू.एस.ए 428.79 हेक्टेयर) इसके बाद केरला है। जो 75 फार्म हैं और क्षेत्र फल 111.48 हेक्टेयर है और 68.7 हेक्टेयर जल फैला में हैं। तमिल नाडु पंजीकृत 28 फार्म और क्षेत्र फल 113.88 और जल फैला 84.1 हेक्टेयर है। कर्नाटक के फार्मों के विकास एक से आठ तक हुआ। पुदुचेपरी के पंजीकृत फार्म 08 और क्षेत्र फल 12.28 हेक्टेयर और जल फैला क्षेत्र फल 05.15 हेक्टेयर है। गोवा गत वर्ष (2015-16) के जैसे वर्ष के दौरान मात्र एक फार्म है और क्षेत्र फल 13.17 हेक्टेयर और जल फैला क्षेत्र 12 हेक्टेयर तक पंजीकृत हुआ है।

2016-17 वर्ष के दौरान गुजरात में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे की दामन और दीव और अन्डमान निकोबार द्वीप में हैं।


## 2. झींगा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण

तटीय जल फार्मों के प्राधिकरण के नवीनीकरण के पंजीकरण की अवधि समाप्ति होने के बाद भी अनुमोदन देने के काम जारी थी। यह कार्य वर्ष 2012 सितम्बर से जारी थी। मार्च 2017 तक 4974 फार्मों का और क्षेत्र फल 9168.417 हेक्टेयर के अनुमोदन प्रदान किया था। (डब्ल्यू.एस.ए 6276.53 हेक्टेयर)


- कृषक से वर्ष के दौरान पूरे 3054 आवेदनों को प्राप्त किया। इसके क्षेत्र फल कुल 4447.41 हेक्टेयर है। सभी नवीनीकरण के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुमोदान भी प्रदान किया। (डब्ल्यू.एस.ए. 3024.53 हेक्टेयर है)
- तालिका पाँच में 12 तटीय राज्य और यूटी के सितम्बर 2012 से मार्च 2017 तक प्राधिकरण में नवीनीकरण हेतु पंजीकरण किए फार्मों के विवरण दर्शाया है। चित्र 06 (छः) और सात में वर्ष के दौरान राज्य-वार और क्षेत्र-वार नवीनीकरण हेतु पंजीकरण किए फार्मों का विवरण दर्शाया है। वर्ष के दौरान (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) आए नवीनीकरण फार्मों के विवरण तालिका 06 में दर्शाया है। वर्ष के दौरान राज्य-वार और क्षेत्र-वार नवीनीकरण पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के विवरण चित्र आठ (08) और नौ (09) में दर्शाया है।




चित्र 05 दिसंबर 2005 से मार्च 2017 के दौरान पश्चिम बंगाल में पंजीकृत फार्मों का विवरण



चित्र 06 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक तक ओड़िशा में पंजीकृत फार्मों का विवरण




चित्र 07 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 वर्षों के दौरान आन्ध्रप्रदेश के फार्मों के पंजीकृत विवरण




क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	958
2.01-5.00	631
5.0-10.00	131
10.01- 40.00	19
40.00 के ऊपर	1

चित्र 08 – दिसंबर 2005 से मार्च 2017 के दौरान तमिलनाडु के पंजीकृत फार्मों के विवरण




क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	41
2.01-5.00	1
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
40.00 के ऊपर	0

चित्र 09 – दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान पुदुचेरी के फार्मों के पंजीकृत विवरण




क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	1018
2.01-5.00	215
5.0-10.00	18
10.01- 40.00	5
40.00 के ऊपर	1


चित्र 10 – दिसंबर 2005 से मार्च 2017 के दौरान केरला के फार्मों के पंजीकृत विवरण




चित्र 11 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान कर्नाटक के फार्मों के पंजीकृत विवरण



चित्र 12 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान गोवा के फार्मों के पंजीकृत विवरण




चित्र 13 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान महाराष्ट्र के फार्मों के पंजीकृत विवरण




क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	146
2.01-5.00	603
5.0-10.00	8
10.01- 40.00	1
40.00 के ऊपर	2

चित्र 14 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान गुजरात के फार्मों के पंजीकृत विवरण



क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	0
2.01-5.00	12
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
40.00 के ऊपर	0

चित्र 15 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान दामन और दीव के फार्मों के पंजीकृत विवरण



क्षेत्रफल (हे)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	3
2.01-5.00	1
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
40.00 के ऊपर	0

चित्र 16 - दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान अन्दमान और निकोबार द्वीप के फार्मों के पंजीकृत विवरण

**तालिका 05 : सितंबर 2012 मार्च 2017 के दौरान सीएए के द्वारा नवीनीकरण के पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुमोदन का विवरण**

क्र. सं.	राज्यों का विवरण	फार्मों की संख्या के कुल क्षेत्र फल (हे)						फार्मों के क्षेत्र फल (हे)	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 के ऊपर	कुल	टीएफ ए (हे)	डब्ल्यू एस.ए (हे)
1	पश्चिम बंगाल	7	0	0	0	0	7	6	4
2	ओड़िशा	1107	34	2	6	1	1150	2085.13	1210.38
3	आंध्र प्रदेश	3021	22	2	6	3	3054	5007.33	3515.26
4	तमिल नाडु	391	15	0	0	0	406	939.017	738.81
5	पुदुच्चेरी	2	0	0	0	0	2	4	3
6	केरला	123	6	0	0	0	129	217.58	155.94
7	कर्नाटक	47	6	1	0	0	54	92.25	73.71
8	गोवा	14	6	1	0	0	21	63.61	45.93
9	महाराष्ट्र	58	7	7	0	0	72	297	211
10	गुजरात	9	60	0	0	1	70	411.5	289.5
11	दमन और दीव	0	9	0	0	0	9	45	29
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>4779</b>	<b>165</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4,974</b>	<b>9168.417</b>	<b>6276.53</b>

**तालिका 06 : अप्रैल 2016 मार्च 2017 के दौरान सीएए के द्वारा नवीनीकरण के पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुमोदन का विवरण**

क्र. सं.	राज्यों का विवरण	फार्मों की संख्या के कुल क्षेत्र फल (हे)						फार्मों के क्षेत्र फल (हे)	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	40.01 के ऊपर	कुल	टीएफ ए (हे)	डब्ल्यू एस.ए (हे)
1	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ओड़िशा	534	0	0	0	0	534	1013.13	582.38
3	आंध्र प्रदेश	2329	0	0	0	0	2329	3107.33	2166.26
4	तमिल नाडु	80	0	0	0	0	80	137.017	137.81
5	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
6	केरला	78	0	0	0	0	78	130.58	93.94
7	कर्नाटक	26	0	0	0	0	26	38.25	29.71
8	गोवा	3	0	0	0	0	3	12.61	7.93
9	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0

10	गुजरात	4	0	0	0	0	4	8.5	6.5
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3054</b>	<b>4447.417</b>	<b>3024.53</b>

### राज्य-वार कार्यकलाप

वर्ष के दौरान झींगा फार्मों के नवीनीकरण पंजीकरण के विकास संकेत करने के योग्य प्रतीक होता है। कुल 3054 फार्मों के नवीनीकरण के पंजीकृत किये गए हैं। वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 2329 फार्मों के पंजीकरण नवीनीकरण के कुल-मिली संख्या में 76-26% का है। ओड़िशा दूसरे स्थान पर था। कुल 534 फार्मों के नवीनीकरण पंजीकृत किया गया और क्षेत्र फल की संख्या 1013.13 हेक्टेर और जल फैला क्षेत्र फल 582.38 हेक्टेर है। तमिलनाडु तीसरे स्थान प्राप्त कर 80 फार्मों के नवीनीकरण के पंजीकृत किया गया है। केरला में 78 फार्मों के नवीनीकरण, गोवा, और गुजरात में क्रमानुसार 26, 03 और 04 - फार्मों के नवीनीकरण के पंजीकृत किया गया है।

पश्चिम बंगाल, पुदुच्चेरी, महाराष्ट्र दामन और दीव और अन्धमान और निकोबार में नवीनीकरण पंजीकरण के प्रयत्न कुछ भी नहीं हुआ है।

सभी राज्य के नवीनीकरण के पंजीकरण के कार्यों और संख्याओं के विवरण आगे की तालिका में दर्शाया किया है।

### 3. एक्वा फार्मों के पंजीकरण / नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएए द्वारा किए गए प्रयास

सीएए ने जिम्मा लेकर कई प्रकार के प्रवर्तन से अभी हाल ही में लगन से काम करने लगा। आनलाईन के द्वारा आवेदों को वितरण और पंजीकरण करने की सिंगल विण्डो रीति को अपना कर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। जिला कलेक्टर और मात्स्यकी की विभाग को पत्र भेजकर तटीय राज्यों के भावपूर्व कृषक के बीच में जागरूकता को पैलाने के कार्य-क्रम और बैठकों के प्रबन्ध करने के कार्रवाई करने के सलाह दिया। साथ-साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा प्रचार करने का सलाह दिया। सार्वजनिक बिट-नोटिस वितरण करने को भी प्रबन्ध किया। इन साधनों के द्वारा फार्मों के पंजीकरण के सरल उपायों पर प्रकाश डाला और अन्य मार्गों पर भी प्रचार करने लगा।

- पंजीकरण कार्यों में तेजी लाने के सलाह के पत्रों को कई तटीय राज्यों के जिला कलेक्टर और मात्स्यकी विभागों के सचिवों को पत्र भेजने लगा।
- सर्वजनिक नोटिस और दैनिक विज्ञापन से कृषक को इस क्षेत्र में भाग लेने के उपाय करने लगा। सीएए ने बेबसाईट और एस.एल.सी और डी.एल.सी के माध्यम से भी प्रचार करने की कोशिश की। इन साधनों के द्वारा सीएए से संपर्क कर तटीय जल कृषि फार्मों को पंजीकरण और नवीनीकरण करने में उचित काम करने की प्रार्थना की। अगर पंजीकरण न किया तो बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी पर भी प्रकाश डाला गया है।
- सीएए के निरीक्षण टीम ने क्षेत्रों को दर्शन करते समय वहाँ के उत्सुक कृषक के द्वारा प्रचार करने के सलाह दिया गया। सीएए के द्वारा जागरूकता के कई कार्यक्रम को प्रबन्ध किया है। झींगा फार्म (पी.मानोडान और एस.पी.एफ.एल वेन्नामई) के निर्माण करने के पंजीकरण और नवीनीकरण के कार्यों में भाग लेने के जागरूकता के कार्यक्रम का प्रबन्ध किया। साथ-साथ फिनफिश और केकडा के फार्मों को भी निर्माण करने के पंजीकरण में ध्यान देने को याद दिलाया।

- तटीय जल कृषि संबंधित संस्थान, मात्स्यिकी विभाग और डीएलसी द्वारा वर्कशाप, जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शन करवाने का प्रबन्ध भी करने लगा। विवरणिका और इशतहार से खूब प्रचार किया गया है। प्रांतीय भाषाओं के माध्यम स्पष्ट करने का कई साधनों को प्रयोग करने लगा। पोस्टरो से उचित विज्ञापन दिया गया है। सि.ए.ए. से उचित उद्देश्य से जल कृषि के पंजीकरण न किया कृषक के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का यानी दण्ड देना और जुर्माना लगाने संबंधित विवरण समाझाने का शिक्षण भी दिलवाने का प्रबन्ध किया।
- निरीक्षण दल के द्वारा अनुमोदन न प्राप्त फार्मों पर उचित कानूनी कार्रवाई कराकर उनके पास रखा फार्मों का और विनष्ट करने का प्रबन्ध भी किया गया।
- एन आई सी के विचार-विमर्श के साथ आनलाईन के द्वारा एक ही- आवेदन को पंजीकरण करने का व्यवस्था भी अंतिम समय में स्वीकार करने की सुविधा भी करने लगा।

### C. एस.पी.एफ. लिटोपीनस वेन्नामई पालन

#### i) तकनीकी मूल्यांकन समिति के ब्रूडस्टाक आयात करने पर विचार-विमर्श करने की बैठक - एल. वेन्नामई / ब्रूडस्टाक पूर्ति कर्ताओं के एस.पी.एफ. के चयन।

चेन्नई में 11वाँ अप्रैल 2016 में हुई एस.पी.एफ. ब्रूडस्टाक और एल वेन्नामई वार्षिक जरूरतों पर विचार विमर्श करने की तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक -

सी.ए.ए. ने संभावित पूर्तिकर्ताओं के साथ गहरा विचार-विमर्श से सी आई.बी.ए., एन.एफ.डी.बी., और एम.पी.हुई संस्थानों की मदद से जननिक आधार और रोग यथास्थिति के आधार से एस.पी.एफ. एल वेन्नामई ब्रूडस्टाक पूर्ति कर्ताओं के चयन पर्ची तैयार करने का कार्य को उचित ढंग से करने लगा। 2016-2017 तक 12 (बारह) पूर्तिकर्ता थे। ई.एम.एस. रोग झींगा में पता करने की वजह से दक्षिण पूरब एशियन रीजिन से थाइलेण्ड से ब्रूडस्टाकों को आयात करने में अनुमति न दिया गया। और थाइलेण्ड के तीन पूर्तिकर्ताओं को मना किया गया। साथ-साथ 11वाँ अप्रैल 2016 में तकनीकी मूल्यांकन समिति ने अपनी बैठक में एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई के ब्रूडस्टाक को आपूर्ति कर रहे नै (09) पूर्तिकर्ताओं आगे काम करने की अनुमति दिया गया। इसी बैठक में भारतीय हैचारियों को एस.पी.एफ. वेन्नामई ब्रूडस्टाक को पूर्ति करने विदेशी पूर्तिकर्ता के लघु पर्ची तैयार किया गया। ईमानदार पूर्तिकर्ताओं के अनुक्रिया एम.एस.आई हेल्प जल कृषि, हवाई और एम.एस (झींगा उन्नति प्रणाली) श्रिम्प इम्प्रूवमेंट सिस्टम, सिंगापुर आदि संस्थानों की ओर से मिल गया है। तननीकी संस्थानों की ओर से भी मिल गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने निर्णय किया कि नीचे दिए गए सात (07) विदेशी पूर्तिकर्ताओं अनुमोदन दिया हुआ है;


1. ओशनिक इंस्टीट्यूट, हवाई
2. कोना बे मेरिन रीसोर्सस, हवाई
3. श्रिम्प इम्प्रूवमेंट सिस्टम एल.एल.सी. फ्लोरिडा
4. श्रिम्प इम्प्रूवमेंट सिस्टम प्रिवेट लिमिटेड, हवाई
5. पी.टी. बिबिट अनगुल (ग्लोबल जेन) इन्डोनेशिया
6. ब्लू जेनेटिक्स, मैक्सीको
7. सी प्रोडक्स डेवलपमेंट - ग्लोबल ब्लू टैक्नॉलाजीस, यू.एस.ए.

दक्षिण पूरब एशियन देशों के आयात कर्ताओं को ई.एम.एस. के प्रचलन के कारण कुछ ध्यान देने की चेतावनी दी गयी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की ओर से ई.एम.एस. से ढोंगी हुई विवरण एशियन क्षेत्र के चीना, मलेशिया, थाईलैण्ड और वियतनाम देशों को आरंभ काल से पर्याप्त चेतावनी दे रही थी। ईएसएस

से छुटकारा पाए अन्य देशों के नियमानुसार दिया रिपोर्टों के आधार पर निरीक्षण कर ब्रूडस्टाक को आयात करने की सहमति देने पर खूब सोचना और निर्णय किया कि संगरोधन के अनिवार्य और आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रमाण-पत्र को जाँच करने के बाद संतुष्ट पर सीमा पार करने की पर्ची दिलवाने की प्रबन्ध करें।

## ii) 2016-17 वर्ष के दौरान एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई ब्रूडस्टाक और बीज उत्पादन के आयात का विवरण

- सीएए ने एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई ब्रूडस्टाक और बीज उत्पादन जीव-सुरक्षित हैचरियों को आयात करने के अनुमोदन को प्रदान किया। साथ-साथ जीव सुरक्षित फार्मों में एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई की पालन करने की सहमति भी दिया गया। सीएए ने समय-समय पर हैचरियों और फार्मों को निरीक्षण करने का प्रबन्ध भी किया गया था। हैचरियों और फार्मों को जाँच-पड़ताल कर अपशिष्ट-जल के गुण-विशेषता को निश्चय कर सीएए से निर्णय किए गए प्रतिमान के आधार से जाँच कर, उनके गुणवत्ता को कायम करना ।
- हैचरियों के प्रचालकों की ओर से नए पंजीकरण को प्राप्त सभी आवेदनों को छान-बीन करने के बाद सीएए ने एक निरीक्षण समिति को नियुक्त किया। समिति ने हर एक हैचरी को निरीक्षण करने लगा कि सभी प्रकार के अनिवार्य सुविधाएँ को प्रबन्ध किया गया। निरीक्षण समिति के विचार-विमर्श के आधार पर 22 हैचरियों को (तमिल नाडु में 06, आन्ध्रप्रदेश में 14, गुजरात में 0, और ओड़िशा में 01) अनुमोदन किया। प्राधिकरण ने सभी हैचरियों को ब्रूडस्टाक और बीज को एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई के लिए 2016-17 वर्ष के दौरान आयात करने की अनुमति प्रदान किया गया। सभी 22 हैचरियों को 2016-17 वर्ष के दौरान ब्रूडस्टाक को आयात करने के सभी एल.ओ.पी. को अनुमोदित की गई थी ।
- हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 2015-2016 के दौरान अनुमोदित सभी 259 हैचरियों के लिए अनुमति-पत्रों का नवीनीकरण किया गया था।
- चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण की 58 वीं बैठकों के में हैचरियों के अनुमोदन के साथ 22 नई हैचरियों के लिए सभी एल.ओ.पी. अनुमोदित की गई थी ।



चित्र 17 – राज्य-वार एल.वेन्नामई हैचरियों के वितरण का विवरण।

- साथ-साथ पहले जैसे 281 हैचरियों (आन्ध्रा प्रदेश में 212, तमिलनाडु में 60, ओड़िशा और गुजरात में चार-चार और कर्नाटक में एक) को उत्पादन क्षमता सहित प्रतिवर्ष 26,783 मिलियन पोस्ट लार्वा के उद्देश्य से और 6,78,600 जोड़े का 2016-17 वर्ष के दौरान एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई

और ब्रूडस्टाक आयात करने की अनुमति दी गई है। एल.ओ.पी. की वैधता 31-03-2017 तक है। अनुमोदित हैचरियों के राज्यवार विवरण उनकी उत्पादन क्षमता सहित तालिका 07 में दिए गए हैं। वितरण प्रतिशत चित्र 17 में दिए गए हैं। जिला-वार वितरण चित्र 11 में दिया गया है।

**2016-17 वर्ष के दौरान सी.ए.ए. द्वारा अनुमोदित एस.पी.एफ.एल. वेन्नामई हैचारियों का राज्यवार वितरण**

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम	अनुमत हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता	अनुमत ब्रूडस्टाक की संख्या (जोड़े)
<b>1</b>	<b>तमिलनाडु</b>			
	a) विल्लूपुरम	32	2720	71200
	b) कांचीपुरम	22	1509	39200
	c) नागा पट्टनम	4	550	14800
	d) कुड्डलूर	1	120	3200
	e) रामनाड	1	50	1200
	<b>उपयोग</b>	<b>60</b>	<b>4,949</b>	<b>1,29,600</b>
<b>2</b>	<b>आन्ध्रप्रदेश</b>			
	a) नेल्लोर	65	6405	159600
	b) प्रकाशम	28	3755	91200
	c) गुंटूर	8	803	18200
	d) पूर्वी गोदावरी	74	6514	166400
	e) विशाखपत्तनम	27	2562	67200
	f) विजय नगरम	8	810	21200
	g) श्रीकाकुलम	2	240	6000
	<b>उपयोग</b>	<b>212</b>	<b>21,089</b>	<b>5,29,800</b>
<b>3</b>	<b>ओडिसा</b>			
	a) पूरी	1	90	2400
	b) गंजाम	3	360	8800
	<b>उपयोग</b>	<b>4</b>	<b>450</b>	<b>11,200</b>
<b>4</b>	<b>गुजरात</b>			
	a) जगन्नाथ	2	95	2800
	b) वलसाड़	1	40	1200
	c) गिर सोमानाथ	1	100	2400

	d) पोरबन्धर	0	0	0
	उपयोग	4	235	6400
5	कर्नाटक – उत्तर कन्नड़	1	60	1600
	कुल योग	281	26,783	6,78,600

### iii. 2016-17 के दौरान एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन

हैचरी मालिकों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए ब्रूडस्टाक आयात और बीज उत्पादन संबंधी आंकड़े के आधार पर मूल्यांकित किए एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन निम्नलिखित को दर्शाता है :-

- वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 281 हैचरियों के लिए अनुमति प्राप्त ब्रूडस्टाक की कुल संख्या 6,78,600 थे जिनकी न्यूनतम उत्पादन क्षमता 26783 मिलियन एस.पी.एफ. बीज थी। हैचरियों से प्राप्त रिपोर्टों से यह अनुमान है कि वर्ष के दौरान कुल 9468.478 मिलियन बीज (पोस्ट लार्वा) 2,26,851 ब्रूडस्टाक से उत्पादित और पंजीकृत झींगा किसानों आपूर्ति की गयी। हैचरियों ने 3,19,820 स्पाऊनिंग के जरिए लगभग 39503.61 मिलियन न्युप्लाई का उत्पादन किया और न्युपाई से पी.एल. तक समग्र जीवित दर का अनुमान 24% है।
- एल.वेन्नामई हैचरियों की संख्या की वृद्धि जूलाई 2009 से मार्च 2017 के अन्दर नौ से 281 हैचरि तक हुई। यह आठ वर्षों के विकास है। अब इस बीज के उत्पादन की क्षमता 26783 मिलियन तक बढ़ा दी।
- आन्ध्र प्रदेश ने वर्तमान वर्ष के दौरान भी एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई हैचरियों के विकास और पंजीकरण में पहला स्थान बनाए रखा है। जिसकी 212 हैचरियां है और पोस्ट लार्वा उत्पादन 7670.243 मिलियन है तथा 6222.863 बीज विक्री है, जो देश में उत्पादित बीज का 81-09% है। 2,13,205 स्पाऊनिंग के माध्यम से 1,74,159 ब्रूडस्टाक के द्वारा 27,922.2 मिलियन न्युप्लाई रिहा किया है।
- तमिलनाडु ने दूसरा स्थान बनाए रखा है जिसकी पंजीकृत एल.वेन्नामई हैचरियों की संख्या 60 है और उत्पादन 1549.87 मिलियन पोस्ट लार्वा है तथा आपूर्ति 1255.935 मिलियन बीज है। वर्ष की दौरान देश की बीज विक्री 16% है। रोग मुक्ति 49692 ब्रूडस्टाक माध्यम से 1.01734 स्पाऊनिंग के द्वारा 10678.0 मिलियन न्युप्लाई के उत्पादन किया है। 1549.875 मिलियन के उत्पाद की न्युप्लाई से पोस्ट लार्वा के प्रतिशत 14-51% बनाए रखा।
- ओड़िशा के चार हैचरियों के द्वारा 1600 ब्रूडस्टाक प्राप्त किया। वर्ष के दौरान नियमित संख्या 11,200 (14.28%) से गिरकर बहुत कम हुआ है। 175.4 मिलियन न्युप्लाई से 146.68 मिलियन पोस्ट लार्वा का उत्पादन किया। न्युप्लाई से पोस्ट लार्वा प्राप्त दर के प्रतिशत 83.62% है।
- गुजरात के सभी चार हैचरियों से 1400 ब्रूडस्टाक प्राप्त किया जो इस वर्ष के दौरान निर्णय संख्या के 21.87% है। फिर भी 604 मिलियन न्युप्लाई से 48.35 मिलियन पोस्ट लार्वा के उत्पादन किया है। न्युप्लाई से पोस्ट लार्वा प्राप्त के दर 08.% है।

- कर्नाटक के एक मात्र पंजीकृत एल.वेन्नामई हैचरियों चालू वर्ष के दौरान कुछ भी आयात न किया। इस की उत्पादन क्षमता 60 मिलियन होने पर भी कुछ भी पालन हुई नहीं।
- हैचरी मालिकों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई बीज उत्पादन का निष्पादन तालिका 08 (आठ) में दिया गया है।

### तालिका 08 : वर्ष 2016-17 के दौरान एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन (राज्य-वार)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	अनुमत हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन)	अनुमत ब्रूडस्टाक की संख्या	निष्पादन सूचक					
					ब्रूडस्टाक की संख्या आयातित और आर. जी.सी.ए.	स्पाऊनिंग की कुल संख्या	उत्पादित नौपल की कुल संख्या (मिलियन)	उत्पादित पोस्ट लार्वा संख्या (मिलियन)	न्युप्लाई से पोस्ट लार्वा तक औसत जीवित दर (%)	बिक्रय किए गए बीज (पोस्ट लार्वा) की कुल संख्या(मिलियन)
1	आन्ध्रप्रदेश	212	21089	529800	174159	213205	27922.2	7670.243	27.470	6222.863
2	तमिल नाडु	60	4949	129600	49692	101734	10678.01	1549.875	14.510	1255.935
3	ओड़िशा	4	450	11200	1600	1140	175.4	146.68	83.620	146.680
4	गुजरात	4	235	6400	1400	3741	604	48.35	8.000	31.040
5	कर्नाटक	1	60	1600	0	0	124	53.33	43.000	17.100
<b>योग</b>		<b>281</b>	<b>26783</b>	<b>678600</b>	<b>226851</b>	<b>319820</b>	<b>39503.61</b>	<b>9468.478</b>	<b>24.000</b>	<b>7673.618</b>

#### iv) भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों का विकास

भारत में एल.वेन्नामई हैचरियों में आठ वर्षों की कम अवधि के भीतर उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एल.वेन्नामई हैचरियों की संख्या में लगातार वृद्धि है जो कार्यक्रम के प्रारंभ में (जुलाई, 2009) में 09 थी, वह मार्च 2017 के दौरान 281 के स्तर तक पहुंच गयी है और इसकी उत्पादन क्षमता 26783 मिलियन बीज / वार्षिक है।

बीज उत्पादन में भी अचिंत वृद्धि हुई है। 2009-10 वर्ष के दौरान 310.69 मिलियन हुई। अनुमोदित हैचरियों द्वारा 2016-17 वर्ष के दौरान 9468.478 मिलियन हुई। आन्ध्रप्रदेश राज्य ने प्रचुर मात्रा में तेजी से वृद्धि होने के योगदान प्रदान कर 2008-09 वर्ष में मात्र 06 हैचरियों थी जो विकास होकर 2016-17 में 212 हैचरियों तक पहुंच गया। इसके पीछे होकर तमिलनाडु ने 2008-09 वर्ष में मात्र तीन थी जो 2016-17 वर्ष में 60 तक विकास की। गुजरात में 2008-09 के मात्र एक से आगे बढ़ाकर 2016-17 में चार तक बढ़ाकर उत्पादन की वृद्धि में आगे बढ़ा दिया। ओड़िशा में 2008-09 में मात्र दो थी। 2016-17 वर्ष में चार थी। चालू वर्ष में कर्नाटक में कुछ भी नहीं।

देश में सीएए द्वारा अनुमोदित एल.वेन्नामई हैचरियों में इसके प्रारंभ होने (जुलाई 2009) से 58 वीं बैठक (मार्च 2017) तक हुई वृद्धि तालिका 09 (नौ) में दी गई है। और अवधि के दौरान हैचरियों और बीज उत्पादन में हुई राज्य-वार वृद्धि चित्रों में दी गयी है।



सीएए दल के हैचरियो का निरीक्षण

**तालिका 09 : भारत में प्रारंभ (जुलाई 2009) से 58 वीं बैठक (मार्च 2017) तक सीएए अनुमोदित एल.वेन्नामई में हुई वृद्धि**

वर्ष	अनुमत हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन)	बीज (पी.आई) उत्पादन मिलियन	ब्रूडस्टाकों की संख्या	
				अनुमत जोड़	आयादिन जोड़ें
2008-09	9	0	0	-	-
2009-10	24	615	310.69	15,300	12,367
2010-11	21	1329	1328.88	16,100	10,733
2011-12	74	5608	2465.06	48,720	18,980
2012-13	105	8295	8000	66,360	64,580
2013-14	117	8776	5044.75	70,208	52,818
2014-15	183	13928	13442.05	1,65,156	99,899
2015-16	259	24209	7163.06	6,05,264	1,87,603
2016-17	281	26783	9468.478	678600	226851

विधित गुणवत्ता वाले एस.पी.एफ. लिटोपेस वेन्नामई बीजों का उत्पादन बढ़ाने करने के उद्देश्य से सीएए ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- हैचरियों के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम 2005 के अनुलग्नक 1 में निहित दिशा निर्देशों में संशोधन डीएचडी एण्ड एफ द्वारा जारी किए गए थे ताकि तटीयजल कृषि प्राधिकरण द्वारा सभी झींगा हैचरियों (पी. मोनोडॉन सहित) को तटीय क्षेत्रों में शामिल किया जा सके।
- हैचरियों को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखने पूर्ण निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के तुरंत बाद की गई सिफारिशों के आधार पर अनुमोदन प्रदान करके हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और प्राधिकरण द्वारा पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त करना ताकि एलओपी जारी होने में विलंब से बचा जा सके।

- हैचरियों को एल.ओ.पी. जारी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की ताकि प्रत्येक वर्ष एल.ओ.पी. के मामले का निपटान हो सके जिसके द्वारा डी.ए.एच.डी. एंड एफ प्रमाण पत्र में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक हैचरी को संस्तुत क्षमता के अनुसार एसआईपी जारी करता है।
- केवल सीएए अनुमोदित एन्टी बायोटिक-मुक्त जलकृषि आदानों का बीज उत्पादन में प्रयोग करने का समर्थन किया गया ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले एन्टी बायोटिक-मुक्त बीज की पूर्ति का विस्तार किया जा सके और कृषिगत उत्पाद में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रमुख हैचरियों की उत्पादन क्षमता के आधार पर हैचरियों के परिसंध का अनुमोदन जारी रखा जिससे परिसंध की प्रमुख हैचरी में किए गए न्युप्लाई उत्पादन की भागीदार हैचरियों (जिनका परिपुष्कवन निष्पादन कमजोर है) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- हैचरियों की उत्पादन की क्षमता के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने के काम लगातार बन रहा है। अनुमोदित हैचरियों अन्य भागीदार हैचरियों की मदद से (जो परिपक्वहीन निष्पादन कर रहे को) न्युप्लाई उत्पादन प्रमुख अन्य हैचरियों के संध से न्युप्लाई उत्पादन में अधिक वृद्धि की हैं।
- चेन्नई में हुई 58 वीं प्राधिकरण की बैठक में जो पहले मामूलों पर लागू हुआ जैसा तीन एन आर सी के अनुमोदन की अनुमति प्रदान किया है।

#### v) हैचरियों का परिसंध

हैचरियों के परिसंध की अवधारणा सीएए द्वारा शुरू की गयी थी जैसा प्राधिकरण की 46 वीं बैठक में संकल्प किया गया था। ताकि उन हैचरियों द्वारा संयुक्त रूप से एसपीएफ एल.वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात की सुविधा प्रदान की जा सके जिनकी प्रमुख हैचरी के पर्यवेक्षण में कम उत्पादन क्षमता है।

2016-17 वर्ष के दौरान 24 हैचरियों की अनुमति दी थी जो परिसंध के प्रचालन के लिए है। सीएए के निरीक्षण के टीम के कार्रवाई के बाद परिसंध को इस अनुमति को ए.ओ.पी. के साथ प्रदान किया गया था। उत्पादन की क्षमता 26,783 मिलियन के उद्देश्य से 31-03-17 में 281 हैचरियों का अनुमति दिया गया था। 62 हैचरियों में 24 परिसंध हैं। हर एक में एक से छः तक लघु हैचरियों है। 24 हैचरियों में 21 आन्ध्रप्रदेश में हैं। तमिल नाडु में तीन निर्मित है।

#### vi) न्युप्लाई रियरिंग केन्द्रों का पंजीकरण (एन.आर.सी)

यह पाया गया है कि कई पंजीकृत हैचरियों परिपक्ववन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रही है यद्यपि परिपक्ववन खंड में उपयुक्त तकनीकी व्यक्तियों कमी को दर्शाते हैं। सीएए ने 2015 में परिपक्ववन की सुविधाओं के बिना न्युप्लाई रियरिंग केन्द्र (एन.आर.सी) के अवधारणा को परिचय कर दिया था।

चालू वर्ष में निरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार से प्राधिकरण ने 915 मिलियन उत्पादन की क्षमता वाली दस बीज उत्पादन से चला रहा हैचरियों को न्युप्लाई रियरिंग केन्द्र को परिचालन करने की अनुमति दी थी।

10 अनुमोदित न्युप्लाई केन्द्रों में से तमिल नाडु के विल्लुपुरम में एक केन्द्र के (30 मिलियन उत्पादन की क्षमता) परिचालन हुई है। आन्ध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में छः (675 मिलियन की उत्पादन क्षमता) केन्द्र के परिचालन हुई है। इसी राज्य के प्रकाशम जिले में एक (40 मिलियन उत्पादन की क्षमता) केन्द्र के परिचालन हुई है। इसी राज्य के नेल्लूर जिला के एक (70 मिलियन उत्पादन की क्षमता) केन्द्र के परिचालन हुई है। गुजरात राज्य के एक (100 मिलियन उत्पादन की क्षमता) के केन्द्र के परिचालन हुई है। जो सोमनाथ जिले में है।

अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक के दौरान प्राधिकरण से पंजीकृत सभी एन आर सी केन्द्र के विवरण तालिका 10 में दर्शाया गया है

**तालिका 10 : सीएए से अनुमोदित न्युप्लाई रियरिंग केन्द्र के और वितरण के विवरण दिया गया है। (राज्य-वार)**

क्र. सं.	राज्य	जिला	अनुदित हैचरियों		क्षमता मिलियन		जिलावार योग
			2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	
1	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	1	1	100	30	130
2	आन्ध्रप्रदेश	प्रकाशम	2	1	125	40	165
		पूर्वी गोदावरी	1	6	40	675	715
		नेल्लूर		1		70	70
		विशाखापतनम					
		विजय नगरम					
		कृष्णा					
		गुण्टूर					
3	केरला	एर्णाकुलम	1		2		2
4	गुजरात	सोमनाथ		1		100	100
	<b>योग</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>267</b>	<b>915</b>	<b>1182</b>

### vii) पी सी आर रोगों के निदान संबंधि प्रयोगशाला निर्माण करना

आई सी ए आर - CIBA के सहयोग से सीएए ने फरवरी 2017 में जलीय पशु रोगजनको और उसके परीक्षण कार्यक्रम के पीसी आर निदान के क्षमता निर्माण और समाजस्य का आयोजन किया यह पिछले 10 वर्षों में आयोजित तीसरा कार्यक्रम है।

वर्ष 2005 में पहला पी सी आर (रिंग) घेरा परीक्षण भारत के चेन्नाई आई.सी.ए. आर सी.आई.बी.ए की परिसर में कार्य संचालन करने के प्रबन्ध किया गया है। इसके प्रादेशिक परियोजना के शीर्षक है 'एप्लीकेशन आफ पीसीआर फार इम्प्रूवड थ्रिम्प हेल्थ मेनेजमेण्ट इन दी एशियन् क्षेत्र। कुछ प्रमुख भागीदार के संस्थान के नाम है - एसीआईए आर, सीएसआईआरओ, और एयूएसवीईटी सर्वोसिस-आस्ट्रेलिया, एसपीईडीए और कालेज़ आफ फिशरीस, मंगलूर-भारत, महीडाल यूनिवर्सिटी. बयोटेक और एफ.ए.ओ - एन ए सी ए - थार्डलैण्ड मेरैन आफैयेर्स और फिशरीस - इण्डोनेशिया।

हमारे देश की पूर्वी तट और पश्चिम तट के जल कृषक के लाभदायक के उद्देश्य से दूसरा स्वैच्छिक पीसीआर घेरे (रिंग) परीक्षण कार्यक्रम उत्तम और विश्वसनीय पीसीआर परीक्षण सेवाएँ के प्रबन्ध की गयी है। वहाँ प्रमाण-पत्र के साथ वे विश्वास से नमूने-परीक्षण करने की सुविधाएँ हैं। इससे वृद्धि के अच्छे मार्ग दर्शन शायद मिला होगा।

कुल मिलाकर 25 प्रयोग शालाएँ; आन्ध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 08, कर्नाटक में 03, गुजरात में 03, के द्वारा पीसीआर घेरा (रिंग) परीक्षण कार्यक्रम 2016-2017 वर्ष के दौरान प्रबन्ध किया है। इन 25 प्रयोग शालाएँ में भाग लिए 24 प्रयोग शाला ने अपने अपने परीक्षण प्रमाण पत्र को समर्पण कर चुके है। इन में 17 प्रयोग शालाओं ने घेरा परीक्षण में विजय प्राप्त किए हैं।

पीसीआर घेरा (रिंग) परीक्षण में व्यतीत 17 प्रयोग शालाओं के विवरण तालिका 11 में दर्शाया है। ये प्रयोग शालाओं को एक वर्ष के मूल्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

### तालिका 11 : राज्य-वार पीसीआर के प्रयोगशालाओं का विवरण

राज्य	पी.सी.आर प्रयोगशाला की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	8
तमिलनाडु	5
गुजरात	3
कर्नाटक	1
योग	17

### viii) एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों की अनुमति प्रदान करना :

एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई पालन करने के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार में, सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा फार्मों का निरीक्षण किया गया था और एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई पालन के लिए आवश्यक निम्नलिखित जैव सुरक्षा आवश्यकताओं का सत्यापन किया गया था। दल द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति प्रदान की गयी।

- फार्मों के चारों ओर बाड़ लगाना
- क्रैब फेंशिंग
- जल प्रवेशक जलाशय
- बर्ड निटिंग / बर्ड स्कार्श का संस्थापन
- उत्प्रवाही उपचार प्रणाली (ईटी एस)


### ix) एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई पालन का राज्य-वार निष्पादन

रिपोर्ट (2016-17) के तहत वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने तीन समुद्रतटीय राज्यों में 488 फार्मों का पंजीकरण किया है। इसके कुल क्षेत्रफल 957.5 हेक्टेयर और जल फैला क्षेत्रफल 604.57 हेक्टेयर हैं। इन में ओड़िशा का प्रथम स्थान है। और इसके पास कुल क्षेत्रफल 875.35 हेक्टेयर है और डब्ल्यू.एस.ए 557.21 हेक्टेयर (484 फार्म) है। आन्ध्र प्रदेश दूसरा स्थान है और इसके पास क्षेत्रफल 78.5 हेक्टेयर है और डब्ल्यूएसए 45.86 हेक्टेयर है। (03 फार्म) इसके बाद केरला मात्र एक फार्म और क्षेत्रफल 3.3 हेक्टेयर है और जल फैला क्षेत्रफल 1.90 हेक्टेयर है। सभी 488 फार्मों को एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई पालन के एल.ओ.पी. प्रदान कर दिया है। अनुमोदित हैचरियों द्वारा आपूर्ति किए गए एस.पी.एफ. बीजों (पी.ए. एल.12-15) को इन्हीं फार्मों में भंडारित किया गया था। पालन का प्रचालन जैव सुरक्षित परिस्थितियों में हार्वेस्ट होने तक जारी था।


- वर्ष के दौरान पंजीकरण और एल.ओ.पी जारी किए गए फार्मों के राज्य-वार विवरण तालिका 12 में दिए गए हैं और उनका प्रतिशत विवरण चित्र 18 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में फार्मों का क्षेत्र वार विवरण चित्र 19 में दिया गया है।

तालिका 12 : अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एस.पी.एफ एल.वेन्नामई फार्मों को अनुमति के राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों की संख्या	टी.एफ.ए हेक्टेयर	डब्ल्यू.एस.ए हेक्टेयर
1	आन्ध्रप्रदेश	3	78.5	45.86
2	तमिलनाडु	0	0	0
3	गुजरात	0	0	0
4	महाराष्ट्र	0	0	0
5	ओडिशा	484	875.35	557.21
6	केरला	1	3.3	1.9
	<b>योग</b>	<b>488</b>	<b>957.5</b>	<b>604.97</b>



चित्र 18 : वर्ष 2016-17 के लिए सीएए अनुमोदित एल.वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण



चित्र 19 : चालू वर्ष में अनुमोदित एल.वेन्नामई फार्मों का विवरण

इस वर्ष के दौरान ओडिशा ने जल कृषि के एस पी एफ एल वेन्नामई फार्मों के पंजीकरण में पहला स्थान प्राप्त किया था। कुल 632 फार्मों के पंजीकरण में 1574.85 हेक्टेयर था। (डब्ल्यू.एस.ए. 987.80 हे) इन में 484 फार्म जा क्षेत्र फल 875.35 हेक्टेयर (डब्ल्यू.एस.ए 557.21 हे) को अनुमति प्रदान किया गया था। (तालिका 12 में विवरण दिया गया है)। ओडिशा ने भारत के एस पी ए एल वेन्नामई फार्मों के क्षेत्रफल में 76.6% को अपनाया है। आन्ध्रप्रदेश इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। कुल 702 फार्मों ने पंजीकरण के लिए आवेदन समर्पण किया था। इस में कुल 6238.5 हेक्टेयर (डब्ल्यू.एस.ए 4289.81 हे) था। इन में तीन फार्मों को अनुमति प्रदान किया गया था। जो 78.85 हेक्टेयर (डब्ल्यू.एस.ए 45.86 हे) में था। केरला ने कन्नूर जिले में मात्र एक फार्म में पालन की गयी थी जो 3.3 हेक्टेयर (डब्ल्यू.एस.ए 1.9 हे) था। अन्य आठ तटीय राज्यों में जल कृषि की पालन नहीं हुई थी। वे राज्य थे: तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, पुदुच्चेरी, दामन और द्वीव और पश्चिम बंगाल में किसी फार्मों के पंजीकरण का प्रक्रिया न हुआ।

सीएए ने 1,685 फार्मों को इस वर्ष के दौरान यानी मार्च 2017 तक पंजीकरण का कार्रवाई करवा दिया और एल ओ पी को भी प्रदान किया था। इसके क्षेत्र फल 11497.71 हेक्टेयर (डब्ल्यू.एस.ए 7748.28 हे) था। राज्यवार विवरण तालिका 13 में दिया गया है। वितरण के प्रतिशत के विवरण चित्र 20 में दिया गया है।



स्वतंत्रता दिवस मनाना


**तालिका 13: दिसंबर 2009 से मार्च 2017  
58 बैठक तक एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई फार्मों की राज्य-वार दी अनुमतियों का विवरण**

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों की संख्या	टी.एफ.ए हेक्टेयर	डब्ल्यू.एस.ए हेक्टेयर
1	आन्ध्रप्रदेश	702	6238.5	4289.81
2	तमिलनाडु	164	1153.89	799.26
3	गुजरात	97	1075.88	769.69
4	महाराष्ट्र	51	1228.13	742.73
5	कर्नाटक	24	72.68	56.97
6	ओडिशा	632	1574.85	987.8
7	गोवा	7	38.11	26.81

8	पुदुच्चेरी	2	20.11	14.35
9	दामन और दीव	3	60.11	38.4
10	पश्चिम बंगाल	1	3	2
11	केरला	2	32.56	20.46
	<b>योग</b>	<b>1685</b>	<b>11497.71</b>	<b>7748.28</b>

2009-10 से 2016-17 तक के वर्षों के दौरान तटीय राज्यों के एल.वेन्नामई फार्मों के विकास और एल.ओ.पी. प्रदान करने का विवरण तालिका 14 में दिया गया है।

भारत में फार्मों के तेजी से आगे बढ़ा दिया है। आरंभ में 107 फार्मों का शुरुआत किया है। इस का कुल क्षेत्रफल 1744.9 हेक्टेयर 2009-10 वर्षों के दौरान था। 2016-17 के दौरान आठ वर्षों के विकास धीरे धीरे 1685 फार्म, कुल क्षेत्रफल 11497.71 हेक्टेयर हैं।



चित्र 20 : दिसंबर 2005 से मार्च 2017 तक के दौरान एल. वेन्नामई फार्मों के सीएए अनुमोदित वितरण के प्रतिशत

आन्ध्रप्रदेश राज्य अधिक विकास से पहला स्थान प्राप्त कर दिया है। 87 फार्मों के शुरुआत से 1236.3 हेक्टेयर 2009-10 वर्ष के दौरान कुल क्षेत्रफल था। धीरे-धीरे विकास होकर 2016-17 वर्ष के दौरान 702 फार्मों की वृद्धि होकर क्षेत्रफल 6238.50 हेक्टेयर में खेती-बारी कर रहा है।

तमिलनाडु 2009-10 वर्ष के दौरान 06 फार्मों से शुरु किया। इसका क्षेत्रफल (टी.एफ.ए. 90.14 है) धीरे-धीरे विकास होकर 2016-17 वर्ष के दौरान 164 फार्मों (टी.एफ.ए. 1153.9 है)।

गुजरात तीसरे स्थान प्राप्त किया है। 2009-10 वर्ष के दौरान मात्र 04 फार्मों से (टी.एफ.ए 146 है) धीरे-धीरे आगे बढ़कर 2016-17 वर्ष के दौरान 97 फार्मों के क्षेत्रफल (टी.एफ.ए 075.88 है) तक हुआ।

कुल मिलाकर हुआ विकास का विवरण जल फैला क्षेत्रफल के साथ चित्र में दिया गया है।




कई प्रकार के सीएए के प्रदर्शन


**तालिका 14 : 2009-10 से 2016-17 वर्ष के दौरान सभी तटीय राज्य के एस.पी.एफ एल.वेन्नामई पालन के एल.ओ.पी. प्रदान किया गया संख्या के विवरण दिया गया है।**

क्र. सं.	राज्यों का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए.(हे)	डब्ल्यू.एस.ए.(हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए.(हे)	डब्ल्यू.एस.ए.(हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए.(हे)	डब्ल्यू.एस.ए.(हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए.(हे)	डब्ल्यू.एस.ए.(हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए.(हे)	डब्ल्यू.एस.ए.(हे)
1	आन्ध्रप्रदेश	87	1236.32	815.44	192	2442.23	1648.69	321	4062.03	2767.58	580	5536.61	3826.88	585	5666.5	3900.71
2	तमिलनाडु	6	90.14	55.41	38	414.35	258.82	79	691.24	472.6	113	986.54	675.05	123	1044.82	718.17
3	गुजरात	4	146	77.99	10	271	174.99	28	443.5	303.55	39	547.87	377.96	51	651.87	453.17
4	महाराष्ट्र	10	272.47	168.62	13	424.47	260.12	16	514.11	291.12	29	997.9	599.97	36	1133.03	684.38
5	कर्नाटक	0	0	0	16	47.04	37.38	17	47.98	38.18	17	47.98	38.18	18	56.3	43.13
6	ओड़िशा	0	0	0	5	140.08	83.78	5	140.08	83.78	16	218.24	132.64	79	488.36	286.5
7	गोवा	0	0	0	1	5.6	2.8	1	5.6	2.8	4	23.91	16.71	6	31.11	22.09
8	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85
9	दामन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	38.4	3	60	38.4
10	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
11	केरला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>107</b>	<b>1744.93</b>	<b>1117.46</b>	<b>275</b>	<b>3744.77</b>	<b>2466.58</b>	<b>468</b>	<b>5921.64</b>	<b>3971.46</b>	<b>802</b>	<b>8436.12</b>	<b>5717.64</b>	<b>903</b>	<b>9152.06</b>	<b>6160.4</b>


क्र. सं.	राज्यों का नाम	2014-15			2015-16			2016-17			(2009-10 से 2016-17) योग		
		फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)	फार्मों की संख्या	टी.एफ. ए. (हे)	डब्ल्यू. एस.ए. (हे)
1	आन्ध्रप्रदेश	645	5997.32	4131.25	699	6159.65	4244.01	3	78.85	45.86	702	6238.5	4289.81
2	तमिलनाडु	147	1123.82	776.03	164	1153.89	799.26	0	0	0	164	1153.89	799.26
3	गुजरात	86	904.51	638.29	97	1075.88	769.69	0	0	0	97	1075.88	769.69
4	महाराष्ट्र	46	1192.5	724.51	51	1228.13	742.73	0	0	0	51	1228.13	742.73
5	कर्नाटक	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	0	0	0	24	72.68	56.97
6	ओडिशा	115	584.32	359.59	148	699.5	430.59	484	875.35	557.21	632	1574.85	987.8
7	गोवा	6	31.11	22.09	7	38.11	26.81	0	0	0	7	38.11	26.81
8	पुदुच्चेरी	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	0	0	0	2	20.11	14.35
9	दामन और दीव	3	60	38.4	3	60	38.4	0	0	0	3	60	38.4
10	पश्चिम बंगाल	1	3	2	1	3	2	0	0	0	1	3	2
11	केरला	1	29.26	18.56	1	29.26	18.56	1	3.3	1.90	2	32.56	20.46
	<b>Total</b>	1076	10018.6	6782.04	1197	10540.21	7143.5	488	957.50	604.97	1685	11497.71	7748.28



चित्र 21 : दिसंबर 2009 से मार्च 2013 तक एल.वेन्नामई फार्मों के विकास के विवरण



चित्र 22 : अप्रैल 2013 से मार्च 2017 के दौरान एल.वेन्नामई फार्मों के विकास राज्य-वार विवरण



चित्र 23 : 2009-10 से 2016-17 वर्ष के दौरान एल.वेन्नामई फार्मों के क्षेत्र फल के विवरण

अधिक तेजी से विकास की और ले जाने की इच्छा से कृषक की ओर से एस.पी.एफ. वजह से सीएए उचित कार्य-वाई कराने के अनुसार पंजीकरण के साथ-साथ उस क्षेत्र के विकास को अधिक श्रद्धा दिखा रहा था। तटीय राज्य के निरीक्षण के उद्देश्य से सीएए ने जिला स्थर दल (डीएटी) को गठित किया है। सीएए ने निरीक्षण दल के विचार-विमर्श के आधार से जैव सुरक्षा की आवश्यकताओं पर जाँच कर 05 हेक्टेयर के नीचे चला रहा जल फैला क्षेत्र के योग्य फार्मों को सिफारिश कर पालन करने की अनुमति प्रदान करने लगा।

निरीक्षण दल और जिला स्थार दल के सिफारिशों के आधार से सीएए के सदस्य सचिव के स्थार के आगे का कार्रवाई किया गया था। जो प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव विचार किया गया। सीएए के अनुमोदन के बाद पंजीकरण किया गया और एल.ओ.पी भी प्रदान कर दिया।

#### x) एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई का उत्पादन

दिसंबर 2009 के दौरान देश में एस.पी.एफ. एल.वेन्नामई की पालन के शुरुआत हुआ। हाल ही में 31-03-17 तक के चालू वर्ष में कुल 1685 फार्मों के अनुमोदन सीएए से प्रदान किया गया, जो फार्मों के क्षेत्रफल 11,497.71 हेक्टेयर और डब्ल्यू.एस.ए के क्षेत्र फल 7,748.28 हेक्टेयर है।

#### xi) एस.पी.एफ एल.वेन्नामई का समूहों के रूप में पालन

सीएए द्वारा ईटीएस तथा जैव सुरक्षा उपाय करके सामूहिक पालन प्रणाली को छोटे फार्मों के मालिक किसानों द्वारा एस.पी.एफ एल.वेन्नामई के पालन को सुसाध्य बनाने के लिए शुरु किया गया था। 31-03-2016 की स्थिति के अनुसार सीएए द्वारा पंजीकृत 1685 फार्मों (क्षेत्र फल 11497 हे - डब्ल्यू.एस.ए 7748.28 हे) में 571 सामूहिक फार्म है जिनमें 2622 छोटे फार्मों के किसान शामिल हैं। सी.ए.ए के साथ 31-03-2016 स्थिति के अनुसार पंजीकृत फार्मों के सामूहिक फार्मों के प्रतिशत दर 33-88% है।

#### xii) एल.वेन्नामई हैचरिज़ / फार्मों की निगरानी

पालन से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों जैसे जल प्रदूषण रोगों में वृद्धि और फैलाव, राहत पर्यायावास प्रभावों और आस-पास के समुदायों पर सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिए नियमित अंतराल में फार्मों / हैचरियों का दौरा करके झीगा हैचरियों और फार्मों की सीएए द्वारा प्राधिकृत दल द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। प्रचालन के कारण है चडियों / फार्मों में जैव सुरक्षा की स्थिति, उत्पादन प्राणालियों में उत्पादन तरीकों, कार्य निष्पादन, जल गुणवत्ता, स्वस्थ बीजों / झीगों / पर्यावरणीय समस्थानों, यदि कोई हो, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुमत हैचारियों और फार्मों से निकले अपशिष्ट जल नमूनों को जांचके लिए ईटी एस के अंतिम निकासी बिंदु से एकत्रित किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपशिष्ट जल प्रचालों को पूरा किया जाए

- 2016-17 वर्ष के दौरान सीएए दल 47 हैचारियों (जिल पूर्वी गोदावरी में 33 और प्रकाशम जिले में 14) को निगरानी कर सीएए द्वारा अनुमति प्रदान कर दिया। उत्पादन की सुविधाएँ पर भी निरीक्षण कर दिया है। साथ-साथ अभिलेख को भी सत्यापन किया गया था। प्राधिकरण के मार्ग दर्शन के अनुसार उचित सत्यापन को जारी रखने का सलाह दिया।
- 23 हैचरियों के ईटीएस के अंतिम निकास बिंदु से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल नमूने सीएए द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप थे। जिन में एक हैचरी सीएए के परिवर्तित प्रतिमान जैसे हो। कमी भरे हैचरियों को चेतावनी पत्रों द्वारा सावधान किया गया था। सीएए ने हैचरियों के स्वामियों को जैविक भार के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अपनी ईटीएस में आवश्यक सुधार करने का निर्देश भी दिया था।
- उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था और अभिलेखों / पंजीकाओं को भी सत्यापन किया गया था और आयातित ब्रूइस्टाक की मात्रा, उनका स्रोत मोटलिटी यदि कोई हो, अंडे न्युप्लाई उत्पादित / बेचे गए पोस्ट लार्वा और उन किसानों का नाम एवं पता जिनको बीच बेचे गये थे, हैचरियों के सीएए नामांकन की तारीख और संख्या, उत्पादित बिक्री किए गया झीगा की मात्रा,

उन प्रसंस्करण कर्ताओं का नाम एवं पता जिन्हें इनकी बिक्री की गई थी, आदि संबंधी विवरणों की जांच की गई थी। किसनों / हैचरी प्रचालकों को उपयुक्त अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यकता और उक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित सिएए को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में बार-बार बताया गया था। किसों को उस स्थिति पारिस्थितिकीय और आर्थिक तौर पर वहनीय जल कृषि कार्यकलापों को अपनाने और सुरक्षित तथा गुणवत्ता वाले जलकृषि उत्पादों का उत्पादन करने की सलाह भी दी गई थी। स्थल विशिष्ट प्रोबायोटिक लागू करने के साथ-साथ के उत्पादन में श्रेष्ठ जलकृषि पद्धतियों (जीए क्यू पी ए एस) को अपनाने का सुझाव भी दिया गया था।

ब्रूडस्टाक आपूर्ती कर्ताओं का पता लगाने, ब्रूडस्टाक को आयात तथा संगरोध में कठोर विनियमन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि देश में अब तक आयातित एल वेन्नामई ब्रूडस्टाक ओआईई में सूची बद्ध रोगाणुओं से मुक्त हो। इसी प्रकार जैव सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बाद हैचरियों और फार्मों का अनुमोदन करने में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और नियमित निगरानी है कि दिशा-निर्देशों को उचित रूप से कार्यातित किया गया है और फार्मों तथा हैचरियों के ई.टी.एस. (ETS) से निकले अवशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो इसने झींगा पालन क्षेत्र को रोगों विशेष रूप से अर्लीमोरटैलिटी सिन्ड्रोम (ईएमएस) से बचने में सक्षम बनाया है। यद्यपि, इसने, पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों झींगा फार्मों को नष्ट कर दिया है।

#### D. कानूनी और शिकायत करना

टीएटी डब्ल्यूटी (TATWT) यानी तमिल अन्नाई तामर भरणीवेल्लेफेर ट्रस्ट ने नौशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एन जी टी) (NGT) के दक्षिणी बेंचे के समक्ष एक याचना दाखिल किया गया था, जो सिएए संबंधित था। अंतिम इसके अनुकूल अधिमत बताये गया था। जो इस प्रकार था :

टी ए टी डब्ल्यू (TATWT) ने चेन्नाई, एन जी टी समक्ष एक याचना दाखिल किया था, जो विल्लुपुरम जिला के मरक्काणम क्षेत्र के तटीय जलकृषि फार्म और हैचरियों के संबंधित शिकायत था। इसने वातावरण पर बुरा असर पड़ने का आदि स्रोत था। मरक्काणम और इसके चारों तरफ में स्थित पूरे फार्म और हैचरियों को सर्व नाश करने की प्रार्थना की ताकि उस क्षेत्र के वातावरण बुरा असर में न पड़ा। एन जी टी, 2016 जूलाई एक तारीख में जिला प्राधिकरण संबंधित अधिकारों ने निर्देश दे दिया कि तुरंत सभी को सर्व-नाश कर वहाँ से हटाना चाहिए। 2016 अगस्त में सीएए के नाते उनके ओर से एक अफिडविट उचित कार्रवाई कराने के लिए समर्पण किया गया था। साथ-साथ एन जी टी को पंजीकृत 32 हैचरियों को प्रमाण पत्रों को भी सौंप कर दिया था। जिन्हें 2005 सीएए के अधिनियम के आधार से कार्रवाई कराने की सुविधाओं प्राप्त हो सके।

ट्रिबुनल ने जिला कलेक्टर को याचिका पर विचार-विमर्श दस्तावेज पर करने के बाद आदेश को यथास्थिति जारी रखने के दिशा निर्देश दिया गया था। अंतिम वेरडिक्ट दक्षिणी बेंच के द्वारा विमोचन करने के बाद सीएए ने विधिमान्य के आधार से जारी करने की अनुमति प्रदान कर वकालत पर विराम चिन्ह लगाकर समाप्त किया गया था।

#### IV. एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण

उत्पादों में प्रतिजैविकों के पाए जाने के कारण हाल में निर्यात होने वाले समुद्री भोजन की बृहद स्तर पर अस्वीकृति की सूचना पर डीएएचडी एंड एएफ और वाणिज्य विभाग तथा समुद्री भोजन निर्यातकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के कारण सीएए से झींगा हैचरियों और फार्मों में प्रतिजैविकों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े उपाय करने के लिए कहा गया था। जल कृषि आदानों के लिए मानक विकसित करने हेतु 24, जुलाई 2015 को सीएए में झींगा फूड निर्माताओं साथ हुई बैठक के अनुसार मामले की आगे समुद्री भोजन निर्यातकों साथ चर्चा की गई थी। जैसा कि सदस्य सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया। एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि एक्वा किसान और हैचरी प्रचालक को अपने संस्थापनों केवल पंजीकृत आदानों का उपयोग करने की अनुमति होगी। तदनुसार जल कृषि आदानों के सभी निर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित) को उस तारीख से परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करके सीएए में अपने प्रत्येक उत्पादों को पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए थे ताकि वे प्रतिजैविक चिंताओं अर्थात् क्लोराम्फेनीकोल और नाइट्रोफ्यूरोन मूल मिक्चर और मेटाबोलाइट्स फ्यूराजोलिडान - एओजेड फ्यूराफ्यूराल डैडान - एमओजेड नाइट्रोफ्यूरोनटोइन - एएचडी और नाइट्रोफ्यूराजोन (सेमीकारवेजाइड) एसईएम से मुक्त रहे।

वर्ष के दौरान कुल 584 प्रति जैविकमुक्त जलकृषि आदानों के पंजीकृत में आठ श्रेणियों अर्थात् फीड एडिटिव, प्रो-बायोटिक, लार्वा फीड, एडल्टफीड, रसायन, डिसइन्फिक्टेंट, इमुनीस्टीम्यूलेंट और ड्रग के तहत पंजीकरण किये गए जिसकी सूची सीएए की वेबसाइट [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) पर डाली गई थी।

उत्पादों को सक्रिय सूची में बनाए रखने के लिए बाजार से उद्घोष के नमूनों की अधिक निगरानी और परीक्षण सीएए द्वारा की जाएगी और यदि प्रतिजैविक अथवा प्रतिबंधित रसायनों के मामले उत्पादों में पाए जाते हैं तो उत्पाद का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा और उसे अनुमोदित उत्पादों की सूची से निकाल दिया जाएगा। इस संबंध में सभी तटीय राज्यों के मात्स्यिकी सचिवों को उक्त निर्णय की सूचना देने के लिए पत्र जारी किए गए थे। और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्यों में संबंधित मात्स्यिकी अधिकारियों के माध्यम से पणधारकों में जागरूकता बढ़ाए ताकि सीएए उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। उपयुक्त कार्रवाई था प्रारंभ करने के कारण और चूंकि पंजीकरण को एक सतत प्रक्रिया के रूप में खुला रखा जाता है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में उत्पादों के शीघ्र पंजीकृत होने की संभावना होती है।

#### V. जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला

हैचारियों और फार्मों से निकलनेवाले अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्कासित अपशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर रहे, सीएए के तकनीकी खण्ड में जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अपेक्षित अन्य उपकरणों के अलावा प्रयोगशाला सीएएनएसओ एनेलाइजर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, नाइट्रोजन जेलटेक डिस्टीरलेशन यूनिट, मल्टीपेरामीटर वाटर क्वालिटी सेंड मिली पोर टिट्रेशन सिस्टम, बीओडी इंक्यूबेटर, सीओडी एनालाइजर और हैडसैम्पलर (जीसी एसएस) सहित गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमिटर जैसे उपकरणों के संस्थापनों सहित पूरी तरह से सुसज्जित है। वर्ष के दौरान की गई नियमित निगरानी के दौरान की गई नियमित निगरानी के दौरान झींगा हैचरी और फार्मों से एकत्र किए गए नमूनों का विश्लेषण किया गया ताकि अपेक्षित जल गुणवत्ता मानक सीएए विनियमों के अनुरूप रहे।

## VI. सीएए पुस्तकालाएँ

पुस्तकालय में 355 पुस्तक और जल कृषि संबंधित दैनीकी और पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं। विभागीय सदस्यों के अनिवार्यता पर ध्यान रखकर आपूर्ति कर रहे हैं। जलकृषि हेल्थ मैनेजमेन्ट, जलकृषि क्षेत्र की योजनाएँ और मैनेजमेन्ट, विश्व आर्थिक, फिश मैनेजमेन्ट और वैस्ट मिनिमैशेषन जैसे अतिप्रचुरता पुस्तकों के भण्डार हैं। पाठकों की रुचिपूर्ण प्रयोजनमूलक संदर्भ ग्रन्थों भी उपलब्ध हैं।

## VII. वेबसाइट का अद्यतन

जल कृषि क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कि जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण नवीनीकरण के तौर तरीकों संबंधी पूरे ब्यौरे के साथ ही अपेक्षित आवेदन पत्रों, बीज उत्पादन और संबंधि दिशा निर्देशों और इससे जुड़ी सूचना, परिष्कृत झींगों के बारे में कोई सूचना तथा अन्य उत्पादों तक खरीदारों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सीएए की वेबसाइट अर्थात: [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चेन्नाई के माध्यम से अपलोड किया जाता है। इससे आंकडेवैश्विक तौर पर देखे जा सकते हैं और विदेशी में खरीददार पता लगाने योग्य फार्मों के पूरे ब्यौरे प्राप्त करते हैं। झींगा किसान और हैचरी प्रचालक नामांकन के लिए आवेदन पत्रों तथा पालन और बीज उत्पादन के लिए दिश - निर्देशों संबंधि विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर संपर्क करते हैं। वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों / हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण के तौर - तरीकों से संबंधित पूरे ब्यौरे झींगा हैचरियों के लिए विनियमन, ब्रूइस्टाक का आयात जलीय संगरोध झींगा फार्मों और एस.पी. एफ. एल.वेन्नामई तथा एस.पी.एफ. पी.मोनोडान झींगाओं से संबंधित ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर सीएए अधिनियम, प्राधिकरण के नियम, विनियम तथा दिशा - निर्देशों प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य बजट और लेखाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध / करवाई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य, जनहित के अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा प्राधिकरण द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सूची भी वेबसाइट पर दी गई है। सीएए ने वेबसाइट पर झींगा फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण से संबंधित डाटाबेस को अद्यतन किया है जिनके जरिए पंजीकृत फार्मों और हैचरियों के ब्यौरे अंत्य प्रयोक्ताओं का उपलब्ध करवाए जाते हैं। और डाटाबेस को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है। सीएए के सभी प्रकाशनों, दस्तावेजों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, विज्ञापन आदि तथा जनहित के अन्य सभी मामलों को भी डाऊनलोड किए जाने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है और इन्हें भी नियमित रूप अद्यतन किया जाता है। सीएए की वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों / हैचरियों के पंजीकरण / नवीनीकरण, तिमाही अनुपालना रिपोर्ट, जलीय संधरोध में स्थापन के आरक्षण, एंटीबायोटिक्स के परीक्षण के लिए जैविक नमूने, प्रतिबंधित एंटी बायोटिक्स की सूची, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों आदि से संबंधित विभिन्न फार्म प्रयोक्ताओं के अनुकूल फार्मेट में उपलब्ध है जिन्हें अंत्य प्रयोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार डाऊनलोड कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। नई और नवीनतम सूचना वेबसाइट पर पाक्षिक रूप से अपडेट की जाती है।

आवेदन - पत्र, पंजीकरण शर्तों सहित एंटी बायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों के पंजीकरण संबंधी सूचना, पंजीकृत - उत्पादों सूची और संबंधित सूचना आदि भी प्रयोक्ता हितैषी डाऊनलोड करने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर डाले गए थे और इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए साफ्टवेयर को भी बनाए रखा जाता है।

सीएए वेबसाइट के जरिए जलकृषि फार्मों की आनलाइन पंजीकरण की नई अवधारणा में सतत रूप से वृद्धि हुई है जो उपयोग के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाएगी और इससे किसानों का लाभ होगा।

## VIII. तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मजबूत बनाना

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास 10 तटीय राज्यों और 04 तटीय केन्द्र शासित प्रदेशों में तटीय जलकृषि कार्यकलापों को विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है। 2005 में जब सीएए अधिनियम, 2005 के सांविधिक प्रावधान के तहत सीएए को स्थापित किया गया था तो 1977 में जारी तटीय जलकृषि प्राधिकरण को केन्द्र सरकार ने मूलरूप से 21 कर्मचारियों की मंजूरी प्रदान की थी। 2008 में सीएए का

प्रमुख कार्यकलाप नए और पुराने झींगा फार्मों का डीएलसी और एस.एल.सी द्वारा निर्धारित निरीक्षण करवाकर पंजीकरण करना था। 2009 से विदेशी झींगा एस.पी.एफ एल.वेन्नामई शुरू होने से सीएए को कई अधिरिक्त कार्य दिए गए हैं जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं। जैसे तटीय राज्यों के डीएलसीज / एस.एल.सीज के साथ पत्राचार करना, पणधारकों के साथ बैठक, जलकृषि संगरोधन के प्रचालन की देखरेख के लिए तकनीकी समिति को नियंत्रित करना, एल वेन्नामई ब्रूडस्टाक और बीज उत्पादन के अनुमत आयात के लिए हैचरियों का निरीक्षण, एल.वेन्नामई पालन की अनुमति के लिए झींगा फार्मों का निरीक्षण, हैचरियों और फार्मों की सतत निगरानी ताकि इन प्रजातियों की अवैध प्रजनन पालन को रोका जा सके, हैचरियों और फार्मों से छोड़े गए अपशिष्ट जल का मूल्यांकन करने के लिए एकत्र, विश्लेषण करना जिससे वह सीएए के मानकों अनुरूप हो, जलकृषि में प्रतिबंधित दवाओं और रसायनों के उपयोग, एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि आदानों का पंजीकरण, उत्तरदायी जलकृषि संव्यवहारों के संबंध में न्युपाई रियरिंग केन्द्र (एन आर सी) जागरूकता निर्माण का कार्यान्वयन आदि, तटीय जल प्राधिकरण को मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस संबंध में निम्न लिखित प्रस्ताव रखे गए हैं।

गुजरात, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में 30 व्यक्तियों के स्टापवाले और तमिलनाडु के चेन्नाई में मुख्यालय को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 34 पदों सहित तीन क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव डीए एचडी एंड एफ, कृषि और कृषक कल्याण मन्त्रालय के समक्ष सरकार से अनुमोदन के अनुरोध के साथ रखा गया है, क्योंकि इन राज्यों में जलकृषि क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हुआ है और किसानों हैचरी प्रचालकों और संबंधित पणधारकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। पूरे औचित्य के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव गौर - भोजन व्यय संबंधी समिति विचारार्थ तैयार किया गया है।

सीएए अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित जलकृषि प्राधिकरण के राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर का चेन्नै में निर्माण करने जिसमें कर्मचारियों को समाहित करने (वर्तमान और मुख्यालय को - मजबूत करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पद) और इसके साथ ही प्रयोगशाला के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने तथा अन्य सुविधाओं को तैयार करने के लिए सरकारी भूमि के आबंटन के लिए किया गया प्रयास सफल नहीं हुआ, इसलिए अलामट्टी, चेन्नाई (डीएएचडी एंड एफ के लीवस्टाक हेल्थ प्राभाग के तहत एक इकाई) में भूमि आबंटित करने का अनुरोध डीएएचडी एंड एफ. कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इसी बीच मात्स्यकीय विभाग, तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके सैदापेट, चेन्नाई में निर्माणाधीन अपने मात्स्यकीय परिसर में एक तल पर सीएए के कार्यालय के लिए पर्याप्त जगह आबंटित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया है। जीओ के अनुसार आबंटित जगह को सिद्धान्त में स्वीकार कर लिया गया था और समिति द्वारा आयोजित बैठक में सरकार द्वारा चिन्हित विभाजन संबंधी आवश्यकताओं, स्थायी कपबोर्डों। फर्नीचर, विद्युत प्वाइंट / फिटिंग आदि पर विचार किया गया और सीएए की वास्तविक आवश्यकताएं उपलब्ध कराई गईं।

## IX. सीएए के अतिरिक्त कार्याकलाप

### i) प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीएए ने सी आई बी ए (सेन्द्रल इन्स्टिट्यूट आफ ब्राकिश वाटर अक्वाकल्चर) चेन्नाई के साथ एकत्र होकर तीन दिन के प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी) झींगा फार्मिंग हैचरी सीड प्रोडक्शन एण्ड रेगुलेशन के शीर्षक में 14 अफ्रीसिल्स को राज्य मात्स्यकीय विभाग, आन्ध्र प्रदेश को चेन्नाई में 26 से 28 तक अप्रैल, 2016 दिनांक में प्रबन्ध किया गया था। सीएए के द्वारा यह कार्यक्रम तीसरी बार किया गया था (जुलाई 2006). कुल मिलाकर 40 अधिकारियों के जो आन्ध्र प्रदेश के मात्स्यकीय विभाग की ओर से इन तीन

कार्यक्रम में भाग लिया था। सीएए और सी आई बी ए के वैज्ञानिक दल ने सुभाषन को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम फील्ड विसिप्टस के साथ आयोजित किया गया था।

## ii) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों / सेमिनारों गोष्ठियों में सीएए सदस्यों / अधिकारियों की भागीदारी

नई दिल्ली कृषि भवन में आयोजित इण्डो-नार्वेईन जाइण्ड वर्किंग ग्रूप की पाँचवाँ बैठक में सीएए के सदस्य सचिव ने भाग लिया गया था। और 2016 अप्रैल 08 दिनांक में हुई जल कृषि की सेमिनार में भी भाग लिया था।

नई दिल्ली कृषि भवन में 2016 जुलाई 25 की दिनांक में हुई परियोजना विचार – विमर्श समिति में सीएए निर्देशक (तकनीकी) भाग लिया जो संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) के अध्यक्षता से हुई थी। और बी एम सी की ओर आयोजित की गई थी।

सदस्य सचिव ने 24 जून 2016 को नई दिल्ली के कृषि भवन में संयुक्त सचिव (मत्स्य) की मध्यरता में भारतीय जल में विदेशी जलीय जीवों के परिचय पर समिति की 19वीं बैठक में भाग लिया।

## X. वर्ष 2017–18 के दौरान किए जानेवाले संभावित कार्यकलाप

### i) पंजीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है। उम्मीद है कि अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान देश के और अधिक तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण किया जाएगा।

### ii) एल.वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदन

लगभग 2000 हेक्टेयर के अतिरिक्त फार्मक्षेत्र को एल.वेन्नामई पालन के तहत सीएए पंजीकरण में लाने का प्रस्ताव है।

### iii) निरीक्षण और निगरानी

सुविधाओं खासतौर से झींगा फार्मों और हैचरियाँ से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता और प्रतिजैविक मुक्ति जलकृषि आदानों के उपयोग की आवधिक निगरानी की जाएगी ताकि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना सुनिश्चित हो सके।

### iv) प्रतिजैविक मुक्त जलकृषि आदानों के लिए अनुमोदन

चूंकि पंजीकरण को सतत प्रक्रिया के रूप में जारी रखा जाता है और सभी तटीय राज्यों के मात्स्यिकी सचिव स्तर पर विभिन्न कार्रवाई प्रारंभ की जाती है इसलिए अधिक संख्या में उत्पादों के पंजीकृत होने की संभावना रहती है।

**v) जागरूकता कार्यक्रम**

पर्यावरण संरक्षण, तटीय जलकृषि कार्यकलापों और अच्छी जलकृषि पद्धतियों के दीर्घकालिक विकास के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।



फार्मों के जाँच और जागरूकता का कार्यक्रम

**vi) विज्ञापन और प्रकाशन**

अप्राधिकृत कार्यकलापों और सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के संबंध में पणधारकों को सावधान करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण मामलों के संबंध सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है ताकि रोगों के पैदा होने को रोका जा सके और झींगा पालन क्षेत्र में वहनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान कार्यों और क्रियाओं के संबंध में पणधारकों को सलाह दी जा सके।

**vii) प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

तटीय राज्य मात्स्यिकी विभाग के अधिकारों में जो प्रशिक्षक के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन करने में अधिक श्रद्धा दिखा रहे हैं।

**viii) मैनुआल्स / ब्रोशर तैयार करना**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियम और दिशा - निर्देशों के संग्रह को आगे संपादित किया जाएगा ताकि मंत्रालय द्वारा जारी सभी अधिनियम, दिशा - निर्देशों और अधिसूचनाओं के संग्रह का कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

## ix) कार्यशालाएँ और बैठकें

तटीय जलकृषि कार्यकलापों में सामने आ रही समस्याओं का सामना करने के लिए पणधारकों की बैठकें – आयोजित की जाएगी जिन में प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा अन्य पहलुओं के संबंध में विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।



सीएए से प्रबन्ध किया गया वर्कशाप

सीएए तटीय जलकृषि कार्यकलापों के संबंध अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं प्रदर्शनियों (सी – फूड) मेलों और एक्वाशोज में यथासंभव भागी दारी करेगा।

## x) क्षमता निर्माण

विनियामक उपायों के प्रभावी कार्यन्वयन तथा अपने कार्यक्षेत्र में जानकारी को बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्टाप के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राओं की आयोजन किया जाएगा।

## XI. वित्त

### i) वास्तविक वित्तीय परिणामों के सारांश

2016-17 वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षा 1971 सीएजीस (डीपीसी) कानून के अनुभाग 19(2) आधार चेन्नाई लेखा परीक्षा के सार्विक निर्देशक (केन्द्र) के द्वारा किया गया था और इसके रिपोर्ट अनुलग्नक में दिया गया है।

तटीय जलकृषि अधिनियम प्राधिकरण, 2005 की धारा 16 एवं 17 के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा किए गए बजट अनुमानों पर आधारित अनुदान सहायता पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के बजट, प्रावधानों के तहत 6 (छः) किशतों में उपलब्ध कराई गई थी। प्रशासन मंत्रालय ने दिनांक 14 दिसंबर 2014 के पत्र संख्याओं एफ.नं 41011/1/2014 – एफ वाई (बीएंडए) खण्ड 11 के तहत 24 दिसंबर 2014, केवल 330 लाख रूपए का बजट अनुमान स्वीकृत किया था। मंत्रालय ने 330 लाख रूपए का संशोधित अनुमान मंजूर किया था और कार्यालय में पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया था।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बटट अनुमान / संशोधित अनुमान तथा व्यय निम्नातुसार हैं -

प्रमुख शीर्ष 2405

उपशीर्ष - 131731 अनुदान सहायता (सामान्य)

-131736 अनुदान सहायता (वेतन)

(लाख रु में)

तालिका 16

2016 - 17 (लाख में रुपए)				
मंत्रालय से अनुमति बी.ई.	मंत्रालय से अनुमति आर.ई.	प्राप्ती रकम	व्यय रकम	खर्च न किया गया रकम
380	380	380	380	0.00

तालिका 17

2016 - 17 (लाख में रुपए)			
क्र.सं.	योजना क नाम	उप - शीर्ष	2017-18 बी.ई.
1	तटीय जल कृषि प्राधिकरण	131731 अनुदान सहायता (सामान्य) 131736 अनुदान सहायता (वेतन)	400

ii) वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लेखों का ब्यौरे

वर्ष 2016-17 ते वार्षिक लेखा के ब्यौरे अनुलग्नक में दिया गया है।

**XII. स्टाप और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना**

वर्तमान में वर्ष 2016-17 के दौरान सीएए में 21 स्वीकृत पद हैं जो निम्ननुसार हैं ।

तालिका 18

क्र. सं	समूह	पद	स्वीकृत पद	प्रारंभ में स्टाप की संख्या	वर्ष के दौरान वापस भेजे गए स्टाप की संख्या	वर्ष के दौरान स्टाप में हुई वृद्धि	वर्ष के अन्त में स्टाप
1	क	निर्देशक	1	1	0	0	1
		सहायक निर्देशक	1	1	1	0	0
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1	0	0
2	ख	अधीक्षक	1	1	0	0	1
		निजी सचिव	2	2	0	0	2
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	0	0	2
		लेखकार	1	0	0	1	1
		आशुलिपिक ग्रइ सी	2	0	0	0	0

3	C	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	1	1
		आशुलिपिक ग्रंथ डी	1	1	0	0	1
		घनिष्ठ लिपिक	2	2	0	0	2
		स्टाप कार ड्राइवर	1	1	0	0	1
		एम टी एस	4	3	0	1	4
		<b>योग</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

### सलाहकार और परामर्श दाता

तालिका 19

क्र. सं.	पद नाम	प्रारंभ में संख्या	वित्तवर्ष के दौरान छोड़कर जानवाले	वित्तवर्ष केशामिल होने वाले	वित्त वर्ष के अंत में
1	सलाहकार	1	1	0	0

### XIII. भर्ती / सेवा निवृत्ति / वापस भेजना

- श्री.एस. मणि, उप निर्देशक (तक) 13-07-2016 में मूल विभाग को वापस भेज दिया गया है।
- श्री.वी. आनन्द प्रतिनियुक्त पर लेखाकार पद को 26-07-2016 दिनांक से कार्यभार ग्रहण किया है।
- श्री. एस पीर मुहम्मद रियाझा एम.टी.एस पद पर नियुक्त किया गया और 01-07-16 दिनांक में कार्यभार ग्रहण किया है।

### XIV. सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2016-17 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए थे। माँगी गई सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी।

## अनुलग्नक

वर्ष 2016-17 के लिए  
सीएए की वार्षिक लेखे

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन.पत्र

(घनराशि - ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>संग्रह/ पूंजी निधि और देयताएं</b>			
संग्रह/ पूंजी निधि	1	158,31,742	140,57,989
निर्धारित/ अक्षय निधियां	2	420,83,237	207,70,053
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	23,66,463	22,50,437
<b>योग</b>		<b>602,81,442</b>	<b>370,78,479</b>
<b>संपत्ति</b>			
अचल संपत्ति	4	109,70,272	129,51,205
पूंजी निवेश-निर्धारित/ अक्षय निधियां से	5	26,42,503	58,50,114
चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम, इत्यादि	6	466,68,667	182,77,160
<b>योग</b>		<b>602,81,442</b>	<b>370,78,479</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखांकन पर टिप्पणियां	15		

ह/-  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-  
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टेई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

**31.03.2017 को समाप्त अवधि/ वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा**

(धनराशि - ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आय</b>			
अनुदान/ राजसहायताएं	7	342,69,650	319,44,279
शुल्क/ अभिदान	8	140	10,090
निवेश से आय (निर्धारित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय/ निधियों को निधियों में अंतरित किया गया)	9	-	-
अर्जित ब्याज	10	17,96,272	4,63,374
अन्य आय	11	6,926	63,704
<b>योग (क)</b>		<b>360,72,988</b>	<b>324,81,447</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	12	238,82,555	183,31,711
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	121,90,433	148,12,348
अनुदानों, राजसहायताओं आदि पर व्यय		-	-
मूल्य ह्रास	4	19,96,379	23,56,023
<b>योग (ख)</b>		<b>380,69,367</b>	<b>355,00,082</b>
<b>व्यय से अधिक आय के अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष (क-ख)</b>		<b>(19,96,379)</b>	<b>(30,18,635)</b>
<b>पूर्व कालावधि विषय</b>			
टेलीफोन के जमानत		39,782	-
विशेष आरक्षण में स्थानांतरण (प्रत्येक विवरण से)			
सादा आरक्षण से / तक स्थानांतरण			
<b>अधिशेष/(घाटे) के रूप में संग्रह निधि/पूंजी निधि में ले जाया गया</b>		<b>(19,56,597)</b>	<b>(30,18,635)</b>
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां	15		

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

वार्षिक खाते: भाग- II

31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां	(धनराशि-₹)		भुगतान	(धनराशि-₹)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>I. प्रारंभिक शेष</b>			<b>I. व्यय</b>		
क) हाथ में नकदी	-	-	क) स्थापना व्यय	132,80,531	171,44,656
ख) बैंक शेष	-	-	ख) प्रशासनिक व्यय	115,27,130	154,02,028
i) चालू खातों में	-	-			
ii) जमा खातों में	-	-	<b>II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किए गए भुगतान</b>		
iii) बचत खातों में	180,72,300	59,92,346	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए के विरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)	-	-
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>					
क) भारत सरकार से			<b>III. किए गए निवेश और निक्षेप</b>		
पूंजीगत प्राप्तियां	15,446	10,55,721	क) निर्धारित/ अक्षय निधियों में से	-	-
राजस्व प्राप्तियां	379,84,554	319,44,279	ख) अपनो निधियों में	-	-
ख) राज्य सरकार से	-	-	<b>IV. अचल संपत्तियाँ एवं चल रहे पूंजीगत कार्य</b>		
ग) अन्य स्रोत से	-	-	क) निर्धारित/ अक्षय निधियों में से	15,446	10,30,328
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग-अलग दर्शाएं)			ख) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय	-	-
<b>III. निम्नलिखित से निवेश पर आय</b>					
क) निर्धारित अक्षय निधियां (एफडीआर ब्याज़)	-	-	<b>V. अधिशेष धनराशि/ ऋणों की वापसी</b>		
ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
			ख) राज्य सरकार को	-	-

प्राप्तियां	(धनराशि-₹)		भुगतान	(धनराशि-₹)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>IV. प्राप्त ब्याज</b>					
क) बैंक जमाओं पर	17,96,272	4,63,374	<b>VI. वित्त प्रभार (ब्याज)</b>		
ख) ऋणों, अग्रिम इत्यानदि	-	-			
ग) चिन्हित निवेश पर	-	-	<b>VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)</b>		
			क) जमानत राशि	4,55,389	2,05,000
<b>V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)</b>			ख) निष्पादन जमा राशि की वापसी	-	-
परीक्षा शुल्क	-	-	ग) त्योहार अग्रिम		36,000
निविदा शुल्क	-	7,400	घ) पूर्वदत्त भुगतान	-	2,02,143
त्योहार अग्रिम	18,000	44,915	ङ.) अक्षय निधियों के इतर खर्च	-	-
आरटीआई शुल्क	140	90	च) चिकित्सा अग्रिम	-	-
एमटीएस आवेदन शुल्क	-	2,600	छ) खर्च नहीं की गई अनुदान वापसी	-	-
जमा वापसो रकम - सीपीडब्ल्यूडी - सी.सी.डी.	482	-	ज) पोस्ट मास्टर	4,00,000	-
स्क्राप बिक्री	1,860	-	झ) हाथ में स्टेप	20,000	2,25,050
<b>VI. उधार ली गई धनराशि</b>			ञ) डीडीओ सेटिलमेंट	-	70,000
डीडीओ	-	70,000	ट) निरीक्षण अग्रिम	9,57,369	-
			ठ) विविध लेनदार	78,505	-
<b>VII. अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दें)</b>			ड) टीडीएस	13,44,844	-
अर्जित जमा धन	-	2,55,000	ढ) एनपीएस.के.श्रीनिवासन बाबू	20,620	-
त्योहार अग्रिम वसूली	-	44,100	ण) प्रोफेशनल टैक्स	29,565	-
स्टाम्प नकदी	26,040	6,336	त) परोश्र एवर्च	1,32,723	-
साख पत्र	-	-	थ) वेतन भुगतान	11,54,155	-
अक्षय निधियां (प्रोसेसिंग फीस)	76,95,850	72,44,850			
आवेदन शुल्क (30%)	3,03,583	5,39,911			
राज्य मात्स्यकी - आंध्र प्रदेश	-	50,700	<b>VIII. ऋण एवं अग्रिम</b>		

प्राप्तियां	(धनराशि-₹)		भुगतान	(धनराशि-₹)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रतिभूति जमा	-	7,293	क) क्षेत्र भ्रमण अग्रिम	-	-
मत्स्यपालन आगत	51,80,750	48,50,000	ख) निरीक्षण अग्रिम	-	26,550
एनपीएस - के. श्रीनिवासन बाबू	20,773	-	ग) बैठक अग्रिम	40,000	75,900
प्रोफेशनल टैक्स	13,140	-	घ) छपाई एवं लेखन सामग्री अग्रिम		
टीडीएस	13,44,844	-	ङ.) वेतन अग्रिम	-	10,741
			च) प्रशिक्षण अग्रिम	60,000	32,000
सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन खातों से स्थानान्तरित निधि	8,000	22,45,000	छ) वाहन खरीदा अग्रिम	5,000	1,49,600
			ज) साफ्टवैयर अग्रिम	-	10,800
अग्रिम वापसी			झ) अक्वेरियम अग्रिम	-	25,000
क) क्षेत्र भ्रमण अग्रिम	-		ञ) साइकल अग्रिम	-	5,000
ख) निरीक्षण अग्रिम	-	11,454	ट) डीजल (कार) अग्रिम	-	1,500
ग) बैठक अग्रिम	12,499	29,406	ठ) डीजल (जोनेरेटर) अग्रिम	-	4,000
घ) छपाई एवं लेखन सामग्री अग्रिम	-		ड) डीएकसी आडिट अग्रिम	-	15,000
ङ.) वेतन अग्रिम	-	10,741	ढ) मत्स्य पालन अग्रिम	-	9,000
च) प्रशिक्षण अग्रिम	-	10,352	ण) हिन्दी सेमिनार अग्रिम	-	10,000
छ) वाहन खरीद अग्रिम	1,010	72,608	त) लेपहाप बैग अग्रिम	-	6,000
ज) अक्वेरियम अग्रिम	-	2,584	थ) एम टी एस परीक्षा अग्रिम	-	15,000
झ) साइकिल अग्रिम	-	10	द) पूजा सामग्री अग्रिम	-	2,000
ञ) डीआईसी आडिस अग्रिम	-	15,000	ध) स्टाफ	25,000	1,500
ट) हिन्दी सेमिनार अग्रिम	-	2,300	प) भ्रमण-यात्रा अग्रिम	1,45,968	67,650
ठ) लैपटाप बैग अग्रिम	-	1,563	फ) किताबों के अग्रिम	-	2,100
			ब) एलटीसी अग्रिम	2,18,764	-

प्राप्तियां	(धनराशि-₹)		भुगतान	(धनराशि-₹)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ड) एमटीएस परीक्षा अग्रिम	-	120	भ) सलाहकार और कार्यक्रम कर्ता साक्षात्कारता अग्रिम	1,80,000	-
ढ) यात्रा और भ्रमण अग्रिम	23,063	67,650	म) टेलिफॉन अग्रिम	5,000	-
ण) एलटीसी अग्रिम	-	-	य) आकस्मिक खचे अग्रिम	5,000	-
त) मरामत और निगरानो अग्रिम	595	-	र) मरामत और निगरानी अग्रिम	12,000	-
थ) सालाहकार और कार्यक्रमकर्ता अग्रिम	1,37,197	-	सीपीएफ, जीपीएफ पेंशन खातों से स्थानांतरित निधि	87,80,247	26,03,425
द) आकस्मिक व्यय अग्रिम	3,870	-			
ध) स्टाप कल्याण अग्रिम	11,664	-	<b>IX. अंतिम शेष</b>		
न) टेलीफोन अग्रिम	800	-	क) हाथ में नकदी	-	-
			ख) बैंक शेष		
<b>प्रत्यक्ष खर्च परिवर्तित</b>			i) चालू खातो में	-	-
क) स्थापना व्यय	20,239	3,61,394	ii) जमा खातो में	-	-
ख) प्रशासनिक व्यय	56,972	50,506	iii) बचत खातो में	338,56,687	180,72,300
<b>योग</b>	<b>727,49,943</b>	<b>554,60,271</b>	<b>योग</b>	<b>727,49,943</b>	<b>554,60,271</b>

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

**31-03-2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग**

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुसूची 1: अक्षय/पूंजी निधि</b>		
वर्ष 1.04.2015 के प्रारंभ में शेष	140,57,989	160,20,903
जोड़ें: संग्रह पूंजी निधि में अंशदान	15,446	10,55,721
जोड़ें: खर्च नहीं की गई (31-03-2017) अनुदान रकम को संग्रह पूंजी निधि में स्थानांप्रित की गई रकम	37,14,904	
	177,88,339	170,76,624
घटाएं: आय एवं व्यय खाते से अंतरित आय से अधिक व्यय	(19,56,597)	(30,18,635)
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते से अंतरित आय से अधिक व्यय		-
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>158,31,742</b>	<b>140,57,989</b>

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड़ई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091  
**31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग**

(लाशि-₹)

**अनुसूची 2: निर्धारित/संचयी निधियां:**

विवरण	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वी. फार्म)	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वी. फार्म)	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वी. हेक्टर)	सामान्य भाविच्य निधि		अंशदात्री भाविच्य निधि		पेंशन निधि		रुधि	स्थाना उत्पादों	खर्च में निर्धारित निधि	योग	
					आइओबी	इंडियन बैंक	आइओबी	इंडियन बैंक	आइओबी	इंडियन बैंक				चाकू वर्ष	फिक्से वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	20,43,997	64,24,629	98,17,250	1,957	17,02,119	1,575	3,77,826	23,831	12,88,783	7,25,644	48,50,000	(64,87,558)	2,07,70,053	78,43,703	
ख) निधियों में वर्धन:															
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	.....	-	1,88,480	-	-	1,88,480	1,91,586	
ii. निर्धारित निधियों के लेखा पर किए गए विवेक से आय	-	-	-	-	-	-	-	.....	-	-	51,80,750	-	1,31,80,183	1,26,65,267	
iii. शुल्क	3,03,583	12,25,750	64,70,100	-	-	-	-	.....	-	-	-	-	-	-	
iv. योगदान	-	-	-	-	2,93,000	-	31,600	-	84,55,647	-	-	-	-	-	
v. व्याज प्राप्ति	-	-	-	-	426	1,15,654	343	24,557	965	-	-	-	-	-	
जोड़ (क+ख)	23,47,580	76,50,379	1,62,87,650	2,383	21,10,773	1,918	4,33,983	24,796	98,27,033	9,14,124	1,00,30,750	(64,87,558)	4,31,43,511	2,42,45,780	
ग) निधियों के व्ययों के लिए जखीलिता/व्यय															
i. पूंजी व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- अवल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- अन्य - निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- फार्मों के निरीक्षण पर व्यय	10,60,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60,274	10,55,588	
- जेआईएफएसएएन प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- सेमिनार/सम्मेलन आदि व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
घ) भारतीय बैंक खाते में स्थानांतरित	10,60,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60,274	24,20,139	
जोड़ (ग)	12,87,306	76,50,379	1,62,87,350	2,383	21,10,773	1,918	4,33,983	24,796	98,27,033	9,14,124	1,00,30,750	(64,87,558)	4,20,83,237	2,07,70,053	
बर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)															

टिप्पणियां: 1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अधीन प्रकटन किए जाएंगे  
2) केंद्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधियों के रूप में दर्शाये जाते हैं और किसी अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाता है

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

**31-03-2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची भाग**

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>अनुसूची 3 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान</b>				
<b>क. वर्तमान देयताएं</b>				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध ऋणदाता				
क) माल के लिए	-	-	-	-
ख) अन्य				
3. निष्पादन जमानत राशि		-		1,11,139
क) मैसर्स ऐश्वर्या कंस्ट्रक्शन, चेन्नै	-		1,11,139	
4. पेशगी जमानत राशि		50,000		3,94,250
क) मैरिट एंटरप्राइजेज	-			
ख) ऑर्बिट टैक्नोलॉजी	-		44,250	
ग) डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि.	30,000		30,000	
घ) बायो-इनकार्प/ एजीलैट टैक्नोलॉजी	-		2,50,000	
ड.) सिवा कैब्स, चेन्नै	-		50,000	
च) ब्राड लाइन	5,000		5,000	
छ) मुथ्थूल सॉफ्ट लैब्स	5,000		5,000	
ज) नुकम टैक्नोलॉजीज	5,000		5,000	
झ) विगनेश कैप्स	5,000		5,000	
5. प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण/ उधारियां				
ख) असुरक्षित ऋण/ उधारियां				
6. सांविधिक देयताएं:				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)				
7. सुरक्षित जमानत				
क) हिटाची सिस्टम माइक्रोक्लीनिक प्रा.लि.	10,955	10,955	7,293	7,293

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
8. राज्य मात्स्यकी, आंध्र प्रदेश	50,700	50,700	50,700	50,700
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. भुगतान योग्य वेतन-मार्च, 2016	-	-	11,87,055	11,87,055
11. आई ओ बी-खाता-ने-209501000010000	1,13,174	1,13,174	-	-
12. एन पी एस घटना - श्री के श्रीनिवासन	153	153	-	-
13. सीपीसी एल एस पी सी बाकियाँ	15,72,401	15,72,401	-	-
14. बोनस भुगतान 2015-16	69,080	69,080	-	-
<b>योग</b>		<b>23,66,463</b>		<b>22,50,437</b>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

**31-03-2017 तक तुलनपत्र की अनुसूची भाग**

अनुसूची 5 : निर्धारित/संचयी निधियों से निवेश

(राशि-₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सावधि जमा प्राप्तियां (आईओबी)	26,42,503	24,54,023
जोड़	26,42,503	24,54,023

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

**31-03-2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग**

अनुसूची 6: वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>क. वर्तमान परिसंपत्तियां :</b>		
1. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
ख) बचत खातों पर	338,56,687	180,72,300
2. हाथ में मुद्रा		
क) स्टैप (फ्रैंकिंग)	1,96,229	88,416
ख) स्टैप (पोस्टल)	12,113	3,883
3. मियादी जमा प्रापत्तियाँ		
क) आईओबी		
पेंशन निधि निवेश एस बी खाता संख्या-209501000007601 में सामान्य भविष्य निधि निवेश	24,796	23,831
एस बी खाता संख्या- 209501000006535 अंशदानिक भविष्य निधि निवेश	2,383	1,957
एस बी खाता संख्या- 209501000006536	1,918	1,575
आई ओबी - 209501000010000	1,17,758	-
ख) इण्डियन बैंक		
पेंशन निधि निवेश एस बी खाता संख्या-6349080748	98,27,033	12,88,783
सामान्य भविष्य निधि निवेश एस बी खाता संख्या-6349080908	21,10,773	17,02,119
अंशदानिक भविष्य निधि निवेश एस बी खाता संख्या-6349081107	4,33,983	3,77,826
<b>योग (क)</b>	<b>465,83,673</b>	<b>215,60,690</b>

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31-03-2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

(धनराशि-₹)

अनुसूची 6: वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<p>ख. ऋण/ अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां</p> <p>अग्रिम और ऐसी धनराशियां जो नकद रूप में अथवा वस्तु के रूप में अथवा मूल्य के लिए प्राप्त होती हैं:</p> <p>क) पूर्व भुगतान (अनुलग्नक-1)</p> <p>ख) निरीक्षण अग्रिम (अनुलग्नक-1)</p> <p>ग) स्टाफ त्यौहार अग्रिम (अनुलग्नक-1)</p> <p>घ) भ्रमण-यात्रा अग्रिम (अनुलग्नक-1)</p> <p>ड) वसूली योग्य वेतन</p> <p>च) टेलीफोन जमानत</p>		
	25,122	76,961
	-	17,600
	-	18,000
	20,000	-
	90	-
	39,782	-
<b>योग (ख)</b>	<b>84,994</b>	<b>1,12,561</b>
<b>योग (क + ख)</b>	<b>466,68,667</b>	<b>182,77,160</b>

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टेई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091  
**31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का  
अनुसूची प्रपत्र भाग**

(धनराशि-₹)

अनुसूची 7: अनुदान/ राजसहायताएं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(गैर-वसूली योग्य अनुदान और प्राप्त राजसहायताएं)		
1) केन्द्र सरकार	342,69,650	319,44,279
<b>योग</b>	<b>342,69,650</b>	<b>319,44,279</b>

अनुसूची 8: शुल्क/ अभिदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) निविदा शुल्क	-	7,400
2) आरटीआई शुल्क	140	90
3) एमटीएस आवेदन पत्र शुल्क	-	2,600
<b>योग</b>	<b>140</b>	<b>10,090</b>

**नोट:** प्रत्येक मद के संबंध में लेखाकरण नीतियों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

अनुसूची 9: निवेशों से आय	निर्धारित निधि से निवेश	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निधियों में अंतरित की गई निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)		
इंडियन बैंक में मीयादी जमा पर ब्याज	-	-
<b>योग</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>निर्धारित/ अक्षय निधियों में अंतरित</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(Amount - Rs.)

अनुसूची 10: अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमाओं पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	-	-
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	17,96,272	4,63,374
<b>योग</b>	<b>17,96,272</b>	<b>4,63,374</b>

नोट: स्रोत पर की कटौती दर्शाई जाएगी

अनुसूची 11: अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विविध आय	2,342	63,704
ब्याज आईओबी खाता संख्या- 209501000010000	4,584	-
<b>योग</b>	<b>6,926</b>	<b>63,704</b>

अनुसूची 12: स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	229,22,231	172,37,268
ख) बोनस	1,10,528	44,902
ग) एलटीसी सुविधा	2,30,972	1,22,330
घ) पीएफ अंशदान	2,91,700	6,29,872
ड.) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	1,02,210	1,36,008
च) चिकित्सा व्यय	1,94,411	1,52,936
छ) कर्मचारी कल्याण	11,267	8,395
ज) छुट्टी की भुनाई	19,236	-
<b>योग</b>	<b>238,82,555</b>	<b>183,31,711</b>

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टेई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31-03-2016 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय के तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

(धनराशि-₹)

अनुसूची 13: अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	60,998	4,67,955
2. प्रकाशन	79,590	3,844
3. घरेलू यात्रा व्यय	-	2,18,810
4. आपूर्ति और सामग्री	-	-
5. कार्यालय व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण (वाहन)	86,779	2,94,889
विद्युत और ऊजा	5,31,192	5,41,298
ईंधन प्रभार	45,200	5,500
किराया, दर और कर	44,81,880	41,37,120
फोटोस्टेट्स व्यय	-	-
पोस्टेज, टेलीग्राम	5,25,340	2,69,206
प्रिंटिंग, स्टेशनरी और उपभोज्य	3,09,904	8,40,498
जल प्रभार	-	-
पुस्तकालय व्यय (पीरियाडिकल्स और जर्नल्स)	-	-
कंप्यूटर अनुरक्षण	68,828	-
टेलीफोन व्यय	-	2,94,929
प्रोफेशनल चार्जेज	23,38,877	25,57,419
वाहन किराया प्रभार	7,80,703	15,13,329
बैटक व्यय	52,255	3,76,221
टेलीफोन, मोबायल प्रतिपूर्ति व्यय	4,07,810	80,486

अनुसूची 13: अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मोबायल प्रतिपूर्ति व्यय	68,609	
टेलीफोन सामग्री	4,200	
विविध व्यय	64,057	3,84,774
सेमिनार/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण व्यय	35,478	1,26,562
अन्य संविदागत सेवाएं	12,44,341	18,87,582
वेबसाइट अनुरक्षण प्रभार	5,98,360	53,992
वेबसाइट विकास	-	1,79,208
एएमसी व्यय (एसी, कंप्यूटर्स, कार्यालय उपस्कर आदि)	2,16,611	2,07,716
एएमसी व्यय (कम्प्यूटर) वित्त वर्ष 2014-15)	-	8,267
वार्षिक पीआरए अनुरक्षण प्रभार (एनएसडीएल)	2,222	1,414
अनुवाद व्यय	-	38,973
समाचार पत्र एवं मैगजीन	9,086	6,333
बर्दीधारी (यूनिफार्म)	-	
सफाई कर्मचारी वेतन	-	1,200
वेब संस्थापन प्रभार	43,000	53,072
वेब संस्थापन प्रभार (वित्त वर्ष 2009 - 10 से 2011-12))	-	1,29,000
शिपिंग व्यय	-	
प्रयोगशाला रासायनिक व्यय	38,804	87,707
बैंक व्यय	6,852	12,672
आडिट व्यय	31,700	9,160
मस्तिकी पालन सामग्रियाँ	-	8,332
एमटीएस परीक्षा शुल्क	3,000	14,880
साक्षात्कार व्यय	42,803	-
लीगल फीस	9,000	-
पूजा सामग्रियाँ	2,955	-
<b>योग</b>	<b>121,90,433</b>	<b>148,12,348</b>

रातीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेडुई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुलग्नक-1

स्टाफ त्योहार अग्रिम			
क्र.सं.	नाम	31.03.2017	31.03.2016
1	श्रीमती जी. प्रिया, एसटीए	-	2,250
2	श्री. रामेश कुमार, एसटीए	-	2,250
3	कुमारी. एस. प्रिया, स्टेनो.ग्रे.डी.	-	2,250
4	श्री. वी.सेल्वम, स्टाफकार ड्राइवर	-	2,250
5	श्री. इलवरसन, एमटीएस	-	2,250
6	श्री. पी. राजेश, एमटीएस	-	2,250
7	श्री. वी. प्रसाद, एमटीएस	-	2,250
8	श्रीमती. जयंति, जेआर.क्लर्क	-	2,250
	<b>योग</b>	-	<b>18,000</b>

क्र.सं.	अन्य अग्रिम		
1	पूर्व भुगतान व्यय	25,122	76,961
2	निरीक्षण के लिए अग्रिम	-	17,600
3	श्री.जयरामन - यात्रा अग्रिम	20,000	-
	<b>योग</b>	<b>45,122</b>	<b>94,561</b>

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय**

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

## अनुसूची 14: लेखाकरण नीतियां

### 1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किये जाते हैं, तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) आईसीएआई द्वारा जारी और लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा सीजीए द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए यथानिर्धारित संगत प्रस्तुतकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार जारी किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय के समस्त मदों के संबंध में जब तक कुछ और नहीं कहा जाए, प्रोद्भवन पद्धति अपनाता है।

### 2. अचल परिसंपत्तियाँ

- क) अचल परिसंपत्तियों का लेखा इन्हें प्रभारित किए जाने का निरीक्षण करने के बाद किया जाता है।
- ख) अचल परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्य ह्रास लागत, जिसमें खरीद मूल्य, अंदर लाने का भाड़ा, शुल्कों और करों तथा उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए उन्हें कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए लगी अन्य लागत शामिल होती है, को घटाकर दर्शाया जाता है। पात्र अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को उस सीमा तक शामिल किया जाता है जिस सीमा तक वे उपयोग के लायक रहती हैं।
- ग) तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात हीं होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है।
- घ) गैर-मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त हुई अचल परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजी निधि में तदनुसूची जमा द्वारा बताए गए मूल्य पर किया जाता है। फ्री गिफ्ट के रूप प्राप्ती हुई अचल परिसंपत्तियों का लेखा 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान कर किया जाता है।
- ड.) विशेष अनुदान सहायता से अधिगृहीत की गई अचल परिसंपत्तियों का लेखा प्राधिकरण के लेखाओं में अचल परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। अनुदान सहायता से सृजित की गई अचल परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि में जमा किया जाता है। इन परिसंपत्तियों पर उनके उपयोग की अवधि के लिए आयकर अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दरों पर मूल्य ह्रास भी प्रभारित किया जाता है और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

### 3. मूल्य ह्रास

- क) मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर अपलिक्षित मूल्य पद्धति से किया जाता है।
- ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/कमी होने के संबंध में वित्त वर्ष की पहली छः माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट/ दरों पर पूरा मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है और दूसरी छः माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर 50% मूल्य ह्रास प्रभारित किया जाता है।

- ग) 5000/- रुपए अथवा इससे कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण के वर्ष में पूरा मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

#### 4. पट्टा/किराया

पट्टा/किराया का लेखांकन पट्टे की निबंधन और शर्तों के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है।

#### 5. परिसंपत्तियों का खराब होना

एक परिसंपत्ति को तब खराब माना जाता है जब उसको बनाए रखने की लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। खराब होने की हानि को उस वर्ष के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें उस परिसंपत्ति को खराब परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। खराब होने की हानि को वसूली योग्य धनराशि के रूप में माना जाता है।

#### 6. सरकारी अनुदान/ राजसहायताएं

पूंजीगत व्यय अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्य ह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्वा व्ययों को आय व्यय खाते में नामे किया जाएगा। वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

#### 7. सेवा निवृत्ति लाभ

- क) वर्ष के दौरान नई पेंशन योजना में प्राधिकरण के अंशदान को आय और व्यय खाते में दर्शाया जाता है।
- ख) उपदान से संबंधित देयताओं, जिनका पता वर्ष में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है, का प्रावधान किया जाएगा और पृथक रूप से निधीयन किया जाएगा।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण से संबंधित देयताओं, जिनका पता वास्तविक मूल्यांकन पर प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से लगता है, हेतु प्रावधान किया जाता है।

#### 8. कराधान

प्राधिकरण केंद्र/राज्य सरकार को अपनी संपत्ति, आय और लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अतः चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

#### 9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा देयता की स्थिति में प्रमाणन में काफी अनुमान के आधार पर प्रावधान किए जाते हैं और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्गमन हो। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हें लेखाओं के भाग के रूप में नोट में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों न तो मान्यता दी जाती है और ना ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

## 10. आय और व्यय

निचे विनिर्दिष्ट की गई आय और व्यय को छोड़कर वर्ष के सभी आय और व्यय का लेखाओं के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन किया जाता है।

- क) पूर्व वर्ष की आय अथवा व्यय जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान करने देयता का सृजन करने में चूक करने के कारण हुआ था, का लेखांकन “पूर्व अवधि समायोजन” के तहत किया जाता है।
- ख) यदि व्याय आधार पर देयता का सृजन किया जाता है। प्रावधान किया जाता है तो इसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।
- ग) वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राधिकरण को प्राद्भूत होने वाले व्याय-आय, भूतलक्षी प्रभाव से यदि कोई हो, का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।
- घ) तुलन पत्र और अथवा आय और व्यय खातों में किसी मद को किस प्रकार और किस तरीके से दर्शाया जाए इसका निर्धारण करने में मूर्तता पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में पूर्वदत्त पूर्व अवधि के 1000 रुपए तक के मदों का लेखांकन लेखाओं के आम शीर्षों के तहत नकद आधार पर किया जाता है।

## 11. राजस्व मान्याता

- क) प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्ति कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपनियस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेसिंग फीस और प्रति जैविक मुक्ते जल कृषि आदानों का पंजीकरण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क का लेखा इसके प्राप्ते होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/अक्षय निधि के रूप में किया जाता है।
- ख) व्याज की आय का लेखांकन बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए नकद आधार पर किया जाता है।

## 12. पृथक प्रकटीकरण

प्रथक प्रकटीकरण के संबंध में आय और व्यय खाते में किए जाते हैं:

- क) “पूर्व अवधि” के मद जिनमें आय अथवा व्यय के सामग्री मद शामिल होते हैं और जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरण तैयार करने में चूक करने के परिणाम स्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं।
- ख) “असाधारण” मद, जो प्राधिकरण के सामान्य कार्यकलापों से स्पष्ट तौर पर हुई घटनाओं और लेनदेनों से उत्पन्न आय अथवा व्यय होते हैं और इनके बार बार अथवा नियमित तौर पर होने की उम्मीद नहीं होती है।

ग) “विविध आय” शीर्ष के तहत 50,000 रुपए से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

“विविध व्यय” शीर्ष के तहत 50,000 रुपए से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

ह/-  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-  
सदस्य सचिव

## तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

### अनुसूची - 15

#### आकस्मिक देयताओं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां

##### आकस्मिक देयताएं

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देयता का कोई मामला सामने नहीं आया है।

##### अचल परिसंपत्तियां

तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात ही होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1 (एक) रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है। सभी परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में निर्धारित दर से मूल्यह्रास का परिकलन कर लिया गया है और वर्ष 2016-17 के आय और व्यय खाते में प्रभावित किया गया है।

##### वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने पोस्ट अफिस से फ्रैंकिंग मशीन ले ली है जिसमें एक निश्चित धनराशि के स्टैंप हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण पोस्ट अफिस से पोस्टएल स्टैंप खरीदता है और इसके लिए भुगतान की गई धनराशि को हाथ में स्टैंप के रूप में दर्शाया जाता है। स्टैंप की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर स्टैंप पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ में स्टैंप खाते को तदनुसूची जमा करके संबंधित व्यय शीर्ष में नामे किया जाता है। 31 मई, 2016-2017 की स्थिति के अनुसार हाथ में स्टैंप की धनराशि 2,08,342/- रुपए है।

##### वर्तमान देयता

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त हुई रु. 3,662/- की जमानत राशि को इसकी वारंटी की अवधि पूरी होने तक बनाए रखा जाएगा।

##### कराधान

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

##### सरकारी अनुदान प्राप्त/शुल्क

“पूंजीगत व्यय” अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्व व्ययों को ‘आय व्यय खाते’ में नामे

किया जाएगा। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण डीएलसी/ एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्ति कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपिनस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेसिंग फीस और प्रति जैविक मुक्त, जल कृषि आदानों का पंजीकरण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क, का लेखा इसके प्राप्त होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित अक्षय निधि के रूप में किया जाता है। निर्धारित निधि 10,60,274/- रु का उपयोग किया गया।

### पिछला वर्ष के आंकड़े

सीएजी द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया में तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उनसे संबंधित विभिन्न अनुसूचियों सहित पिछला वर्ष के आंकड़े दर्शाना विनिर्दिष्ट किया गया है।

ह/-  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-  
सदस्य सचिव



सत्यमेव जयते

## Annual Report 2016-17

# COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण



COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

### Government of India

Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare

GDR Tower, 12-A Bharathi Street

Vanuvampettai, Madipakkam Post

Chennai - 600 091, Tamil Nadu

Tel : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, Telefax : 044-2260 3780

Email : [aquaauth@vsnl.net](mailto:aquaauth@vsnl.net) / [aquaauth@gmail.com](mailto:aquaauth@gmail.com)

Website : [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in)



डॉ. के. के. विजयन  
सदस्य सचिव

**Dr. K. K. Vijayan**  
Member Secretary

फ़ोन/Phone : +91 44 2260 3782 / 83  
ईमेल/e-mail : aquaauth@vsnl.net  
वेबसाइट/Website : <http://www.caa.gov.in>



भारत सरकार,  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग  
**तटीय जलकृषि प्राधिकरण**  
Government of India  
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare  
Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries  
**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

## P R E F A C E

Coastal aquaculture collectively includes all the saline water or brackishwater aquaculture of varieties species of shrimps, fishes, crabs, molluscs, etc., and other ancillary industries that supplies various inputs. It contributes significantly to the nutritional and food security of the country and the world, hence the management of resources and the socio-economic impacts in coastal areas assumes very high degree of significance.

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) has been established for the protection of the coastal environment, sustainable development of the coastal aquaculture and related activities through responsible and regulated coastal aquaculture practices.

CAA, strives to enforce various provisions of the CAA act, 2005 which include registration of farms and hatcheries, site selection, best aquaculture practices that emphasize on waste management and effluent treatment system and control and regulate the use of aquaculture inputs such as antibiotics in coastal aquaculture.

The Authority also conducts various awareness programmes in all the coastal districts to educate the farmers and the people about the significance of sustainable and responsible aquaculture practices. Another priority of the CAA is the conduct of exhibitions and other related activities to create awareness among the public about its functions and importance.

The CAA accords its gratitude to the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, as well as the scientific fraternity and all the stakeholders involved in coastal aquaculture for the support and cooperation provided for smooth functioning of the CAA.

**(K.K. Vijayan)**  
Member secretary



## I. Composition of the Authority during 2016-17

The Coastal Aquaculture Authority was established under the Coastal Authority Act, 2005 for regulating activities connected with coastal aquaculture in coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and the concept of responsible aquaculture is followed. Coastal aquaculture means 'culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackishwater; but does not include fresh water aquaculture'. Coastal area means 'area of land within a distance of two kilometres from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters'. The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal aquaculture practices and to protect the livelihood of various stakeholders living in the coastal area.

### 1. Composition of the Authority during 2016-17

- |   |                 |
|---|-----------------|
| (i) <b>Justice K Raviraja Pandian</b><br>(Retired Judge of the Madras High Court)<br>(Till May 2016)  | ... Chairperson |
| (ii) <b>Dr K K Vijayan</b><br>Director, Central Institute of Brackishwater<br>Aquaculture, Chennai<br>(Expert in the field of coastal aquaculture)  | ... Member      |
| (iii) <b>Dr R Kirubhakaran</b><br>Scientist 'F', National Institute of Ocean<br>Technology, Chennai<br>Representative of the Ministry of Earth Sciences, Govt of India<br>(Expert in the field of Coastal Ecology)<br>(With effect from 19 <sup>th</sup> October, 2015)   | ... Member      |
| (iv) <b>Dr T Balasubramanian</b><br>Former Director & Dean<br>Centre for Advanced Studies in Marine Biology<br>Annamalai University, Chidambaram<br>Parangipettai, Tamil Nadu<br>(With effect from 19 <sup>th</sup> October 2015)<br>(Expert in the field of environment) | ... Member      |
| (v) <b>Aditya Kumar Joshi, IFS</b><br>Joint Secretary (Fisheries)<br>Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries<br>(Representative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,<br>Government of India)  | ... Member      |

- (vi) **Leena Nair, IAS** ... Member  
 Chairman  
 Marine Products Export Development Authority  
 MPEDA House, Panampilly Avenue, Cochin, Kerala  
 (Representative of the Ministry of Commerce)
- (vii) **Rama Shankar Naik, IAS** ... Member  
 Commissioner of Fisheries  
 Government of Andhra Pradesh  
 (Representative of Andhra Pradesh)
- (viii) **Bishnupada Sethi, IAS** ... Member  
 Fisheries & Animal Resource Development Department,  
 Secretariat, Bhubaneswar, Odisha  
 (Representative of Odisha)
- (ix) **Cholleti Prabhakar, IAS** ... Member  
 Secretary/Special Secretary (Fisheries)  
 Government of Puducherry  
 (Representative of Puducherry)
- (x) **Dr N S Chennappa Gowda, IAS** ... Member  
 Secretary (Fisheries),  
 Department of Animal Husbandry and Fisheries  
 Government of Karnataka  
 (With effect from 19<sup>th</sup> October 2015)
- (xi) **Dr P Ravichandran** ... Member Secretary  
 Member Secretary, CAA  
 (up to June 2016)

## 2. Aims and objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate ‘coastal aquaculture’ activities in the areas notified by the Central Government as ‘coastal areas’ and for matters connected therewith. The Authority aims to accomplish these by its powers to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms and hatcheries in coastal areas, inspection of farms and hatcheries of *L. vannamei* to ascertain their environmental impact, registration of agriculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms and hatcheries which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, viz. seed, feed, growth supplements, chemicals etc., used in coastal aquaculture and for the overall monitoring of coastal aquaculture activities in the country.

## 3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March 2008. The CAA shall *inter alia* make regulations for the orderly

and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals is to ensure registration of all kinds of coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries engaged or to be engaged in coastal aquaculture including SPF shrimp culture with biosecurity, etc., in the country within the notified area. Number of measures have been implemented by the Authority to sensitize the farmers for registering all eligible coastal aquaculture farms through various awareness programmes. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms through renewal of registration, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meter from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms' i.e., farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research Institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees or with as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLC) and the District Level Committees (DLC) to set up under the provision of the CAA Rules, 2005 which are the primary linkages on matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify compliance of norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to the CAA for registration

Coastal Aquaculture Authority was authorized to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from approved overseas SPF broodstock suppliers and to allot annual requirements of broodstock, as detailed in the Guidelines issued under Notification dated 15<sup>th</sup> October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD &F), under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001).

CAA is also empowered to monitor SPF *L. vannamei* hatcheries and farms for strict compliance of the Guidelines issued through Notification under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009.

**The CAA also has the powers and functions as stated below:**

- Ensure that agricultural lands, salt pan land, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- Survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- Advise and extend support to the State/UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- Fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organism reared and other aquatic life.
- Carry out or sponsor investigations and studies/schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- Collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- Prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- Give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- Constitute various technical committees, sub-committees, working groups etc., for preparation of technical manuals etc.,
- Direct the owners of the farm to carry out modification to minimize the impacts on coastal environment.
- Order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- Cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- Deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- Make suitable recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time.

#### 4. Regulations of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, vide Notification dated 15<sup>th</sup> October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898 (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei*. The broodstock suppliers were approved by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and Marine Product Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods etc. are mentioned in the Guidelines specified in the above Notification.

Under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei*. These Guidelines include the criteria for applicants to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March, 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through discard and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

An amendment Notification was issued on 16<sup>th</sup> February 2015 whereby Guidelines have also been issued for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange.

An amendment to Guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including *P.monodon*) in the coastal areas by the CAA was issued by the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in November 2015 in consonance with the provisions of CAA Act, 2015.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF *L. vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

## II. Targets and Performance

### 1. Annual Targets Contemplated

- Convening of meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.
- Registration and renewal of coastal aquaculture farms which is a continuous process, and cannot be specifically targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms are expected to be registered during the next one year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District Level Committees and State Level Committees (DLCs/SLCs).
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000ha for the year 2015-16 with an anticipated additional production of about 20,000MT of the shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Evaluation Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Issuing Public Notice to invite applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers approved by CAA.
- The broodstock requirement for *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and extent of farming area for *L. vannamei* culture.
- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture *P. monodon*, SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of the required facilities and issuing Certificate of Registration and or permission therefore.
- Inspection of hatcheries, NRCs and farms by the Inspection Team to ascertain the bio security as well as other requirements.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval by the Authority in its regular meetings.
- Monitoring of hatcheries and farms will be done periodically; and appropriate action to be taken for violation of the conditions of approval.
- Sampling and testing of wastewater discharged from Effluent Treatment System (ETS) to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by the CAA.
- Organising awareness programmes in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms for undertaking *P. monodon*, SPF *L. vannamei*, finfishes and crab farming and on issues concerning banned drugs and other substances, as and when required.

- Organising workshops/seminars or participation in workshops/seminars/exhibitions conducted by related organization by depicting sustainable farming practices relating coastal aquaculture.
- Preparation of brochures/handouts on Good Aquaculture Practices (GAqP)/BMPs in vernacular languages for distribution to stakeholders.

### 2. Brief review of Actual Performance

- Fifty Eighth meeting of the Authority was held on 15<sup>th</sup> April, 2016. The Authority has approved 3,449 applications received for registration.
- The registration certificates were issued to all the 3,449 farms approved by the CAA.
- During the year, the Authority has considered 3,054 applications for renewal and renewed all the 3054 farms and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates.
- After scrutinizing the applications received from farmers for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, 488 farms with water spread area 604.97 ha were approved by the CAA.
- On the basis of the Inspection Team's report, 22 new hatcheries were permitted for SPF *L. vannamei* seed production after inspection; and permission granted to the 259 hatcheries during 2015-16 were renewed up to 31.03.2017
- Altogether 281 hatcheries were issued Letter of Permission (LoP) for importing 6,78,600 numbers of broodstock of SPF *L. vannamei* from seven broodstock suppliers shortlisted by the CAA against which only 2,26,851 numbers of broodstock were imported during the year.
- CAA introduced the concept of Nauplii Rearing Centres (NRCs) to encourage small scale hatcheries for producing SPF *L. vannamei* seed without maturation facility and on the basis of the Inspection Team's report, 10 nauplii rearing centres with a production capacity of 915 million were registered during the year.
- The number of SPF *L. vannamei* hatcheries have grown steadily from nine since the commencement of programme (July 2009). Within a period of eight years (March 2017), the CAA has approved 281 *L. vannamei* hatcheries with a production capacity of 26,783 million seeds/year.
- Seed production has also increased considerably from 310.69 million during 2009-10 to estimated 9,468.478 million during 2016-17 by approved hatcheries and supplied to registered shrimp farmers during the year.
- The average survival rate of total post larvae from total nauplii produced during the year was estimated at 24%.
- The procedures for registration of hatcheries were simplified by granting approvals based on the recommendation of the Inspection Team immediately after inspection due to the time lag between meetings of the Authority. However, ex-post facto

approval by the Authority was obtained. In cases where clarifications are required approvals were granted only after placing them before the Authority.

- A total of 584 products are registered as antibiotic-free aquaculture inputs during the year. The registration is kept open as a continuing process to enable more number of products to be registered.
- Conducted two meetings of the Technical Committee to Oversee and Monitor the functioning of the AQF during the year and decision on 15 days quarantining period of PPL were taken. Committee approved the proposal to hike cubicle user fee charge which would be ₹ 84,000 for a nominal cubicle and ₹ 1,19,000 for a premium cubicle after the revise. Other issues such as modification of SOP of PPL, forming new yardstick to quarantine indigenous species, usage of new poly bags were discussed.
- Conducted a first meeting of Technical Committee set up to scientific review of actual requirement for the SPF *L. vannamei* on 25<sup>th</sup> May, 2016
- Conducted a meeting of the committee set up to simplify the registration process of shrimp farms.
- Conducted the meeting of the Technical Evaluation Committee set up to shortlist overseas suppliers of SPF *L. vannamei* on 11<sup>th</sup> April 2016. Though committee approved nine overseas suppliers, seven suppliers have been retained in the list due to no response from other two suppliers.
- In association with CIBA, the Authority conducted a Trainers' Training Programme on 'Shrimp Farming, Hatchery Seed Production and Regulations' for 14 officials of the Department of Fisheries, Andhra Pradesh.
- Database in CAA website [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) was uploaded through National Informatics Centre, Chennai which is updated periodically with new and latest information. Information on registration of antibiotic-free aquaculture inputs including application form, terms & conditions of the registration, list of products registered and related.

### III. Activities and Achievements

#### A. Meeting of the Authority and Committees constituted by the Authority

During the current year i.e., from April 2016 to March 2017, the CAA conducted its regular Authority meeting, in addition to other meetings for specific purposes.

##### 1. Meeting of the Authority

- Under the Chairmanship of Dr P Ravichandran, Member Secretary, CAA, one meeting had been convened during the current year.

In a meeting held at Royal Court 1, Radisson Blue Hotel, Chennai, on 15<sup>th</sup> April, 2016, the Authority approved the registration of application, renewed the certificates of registered farms and hatcheries, constituted a scientific review committee and revamped the Inspection Committee. Issues such as monitoring of wastewater

discharged from farms and hatcheries, review of registration process of hatcheries and closure of unregistered hatcheries are also discussed in the 58<sup>th</sup> meeting of the Authority.



Meeting of the technical committee

The details of the meetings of the Authority and important decisions taken are summarized in Table 1.

**Table 1: Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April 2016 – March 2017)**

Meeting	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Fifty Eighth Meeting	15 <sup>th</sup> April, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approved the registration of 425 shrimp farms</li> <li>• Granted ex-post facto approval for 193 farms for renewal of registration</li> <li>• Granted ex-post facto approval for the four hatcheries.</li> <li>• Granted ex-post facto approval to 33 farms to cultivate SPF <i>L. vannamei</i>.</li> <li>• Approved the ex-post facto approval for three Nauplii Rearing Centres</li> <li>• Committee has been constituted for the scientific review of SPF <i>L. vannamei</i> seed production, hatcheries and functioning of NRCs.</li> <li>• Reconstitution of CAA Inspection Committee for inspecting SPF <i>L. vannamei</i> hatcheries and farms with the inclusion of representative of MPEDA.</li> </ul>

## 2. Meeting of the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility

The Technical Committee constituted by the CAA to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF) established at Neelankarai, Chennai conducts meets regularly to sort out technical or operational issues faced and to facilitate the smooth operation of the AQF.

During the current year, the Technical Committee met two times, the details of meetings and important decisions taken are summarized in **Table 2**.

**Table 2: Details of the meetings of the technical committee on the monitoring of AQF**

Meetings	Date and Venue	Salient Decisions of Technical Committee
12 <sup>th</sup> Meeting	26 <sup>th</sup> May 2016, CAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A decision on quarantining Parent Post Larvae (PPL) for a period of fifteen days may be taken on the basis of trial operation.</li> <li>• Discussion on suggested changes in the SOP for fifteen days quarantining of PPL.</li> <li>• It was requested that SOP should provide for testing animals twice i.e., first time on arrival and second testing after ten days.</li> <li>• It was indicated that the total number of animals to be screened would be a mix up of 150 taken from different packages for testing the six pathogens.</li> <li>• Agreed to the new definition of post larvae given by the representative of DAHD&amp;F which is as follows, "SPF <i>L. vannamei</i> Post Larvae imported from overseas for growing into brood stock at the BMC".</li> <li>• It was pointed out that seven days gap between the consignments would enable AQF to handle fifteen such consignments in a year.</li> </ul>

13 <sup>th</sup> Meeting	3 <sup>rd</sup> February,2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of the proposal to review cubicle user fee charge which would be ₹ 84,000 for a nominal cubicle and ₹ 1,19,000 for a premium cubicle after the revise.</li> <li>• In order to ensure SPF status of imported <i>vannamei</i> broodstock, proposal also suggested on the inclusion of additional pathogens AHPND in the list of disease screening at AQF.</li> <li>• Modification in the draft of SOP of PPL was recommended on the basis of trial run conducted by AQF.</li> <li>• RGCA was requested to go ahead to apply for service tax exemption</li> </ul>
13 <sup>th</sup> Meeting	3 <sup>rd</sup> February,2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AISHA suggested using new poly bags for sending the packages to far off places and cost of the same may be borne by the hatchery operators.</li> <li>• It was informed to frame separate yardstick to quarantine the indigenous species. Yardstick used for quarantining of exotic species need not be applied to indigenous species.</li> <li>• RGCA was informed to send a report to the Authority on SPF status of the species brought into the mainland through quarantine.</li> <li>• Discussion on renovation of AQF and forming the committee to look into the proposal to obtain NFDB funds.</li> <li>• AISHA suggested to arrange the quality sea water from out sources as water quality of intake sea water deteriorated due to recent oil spill at Chennai Port</li> <li>• Regulating the shut-down period as per the demand.</li> <li>• The issue regarding import of Australian seabass and expanding quarantine facility to RGCA to accommodate such seabass was discussed.</li> </ul>



Technical committee meeting on AQF Monitoring

### 3. Other Meetings of Various Committees

#### a) Meeting of the Technical Committee set up to scientific review of actual requirement for the SPF *L. vannamei* seed

Based on the decision taken during the 57<sup>th</sup> Meeting of the Authority, Ministry of Agriculture (DAHD&F) has constituted a committee to review scientifically the specific issues relating to *L. vannamei* seed production and hatchery requirements. It has been constituted under the chairmanship of Member Secretary, CAA. The committee held its first meeting on 25<sup>th</sup> May 2016 at CAA, Chennai.

Committee urged to check the high production of seeds from the imported broodstock and it observed that high production of seeds is due to the improved production technology which would not lead to healthy growth of sector. Committee requested DLCs to take up an extensive survey of *L. vannamei* hatcheries and farms which would enable CAA to identify the unauthorised activities for taking action for their closure.



Meeting of the technical committee

Inclusion of MPEDA in the monitoring programme of CAA and conducting surprise visit to hatcheries have been suggested in the meeting.

CIBA was requested to handle the issue relating to the setting up of *L. vannamei* hatcheries outside the jurisdiction of CAA.

Committee also examined the details on the restriction of number of hatcheries to be permitted based on their annual capacity.

### b) Committee Constituted by the Ministry

As per the decision taken by the Secretary of DAHD&F in the meeting held on 5<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> July, 2016, a committee was constituted under the Chairmanship of the Member Secretary to simplify the farm registration process. Committee was constituted for looking into the matter concerned with production performance of *L. vannamei* hatcheries, requirement of the SPF *L. vannamei* seed and the import of broodstock in tune with the farming area under *L. vannamei* cultivation, functioning of DLCs and SLCs and restricting the number of hatcheries based on their annual capacity.

## B. Registration/Renewal of Coastal Aqua Farms

### 1. Registration of Shrimp Farms

One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the basis of recommendation of the State and District Level Committees constituted for this purpose.

- The Authority considered the applications recommended by the District and State Level Committees for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 3,449 registration certificates to shrimp farmers during 2016-17. Registered farms have the total cultivation area of 5119.02 ha and water spread area of 3343.94ha.

With the registration of 3,449 farms during 2016-17, total number of registered farms with CAA has increased to 33,423.



Farm monitoring by CAA team

- A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 Maritime States/UTs is given in the **Table 3** and their State-wise and area-wise distribution in terms of number of farms is depicted in Figure 1 and Figure 2.

The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in), which is being updated periodically.

**Table 3: Details of Registration Certificates issued by CAA from 1<sup>st</sup> to 58<sup>th</sup> Meeting (December 2005 to March 2017)**

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)					Total	Area of Farm	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01		TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	2806	165	6	0	0	2977	3097.27	2204.79
2	Odisha	7382	424	30	17	0	7853	10292.18	6308.69
3	Andhra Pradesh	16901	1059	128	60	9	18157	27022.37	19097.05
4	Tamil Nadu	958	631	131	19	1	1740	5139.88	3557.86
5	Puducherry	41	1	0	0	0	42	72.28	50.15
6	Kerala	1018	215	18	5	1	1257	2534.48	1703.7
7	Karnataka	266	42	2	2	0	312	459.16	349.78
8	Goa	23	15	2	2	0	42	151.17	109
9	Maharashtra	95	123	25	18	6	267	2077.23	1306.92
10	Gujarat	146	603	8	1	2	760	3450.00	2461
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	12	60.00	38
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	4	22.00	5
	<b>Total</b>	<b>29639</b>	<b>3291</b>	<b>350</b>	<b>124</b>	<b>19</b>	<b>33,423</b>	<b>54,378.02</b>	<b>37,191.94</b>




Figure 1: Showing the number of farms registered with CAA, statewise from Dec 2005 to Mar 2017




Figure 2: Area wise distribution of the number of farms registered in all coastal states from December 2005 to March 2017




Figure 3: Total area of farms registered (state-wise) during the period from December 2005 to March 2017

- During the year under report (April 2016 to March 2017), the Authority has considered and approved 3,449 applications and the registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers. Those certificate returned undelivered were sent to the Member Conveners of the SLCs of the States as resolved in the 27<sup>th</sup> meeting of the Authority.
- A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April 2016 to March 2017 in the 12 Maritime States and UTs is given in the Table 4.



Communal harmony day activities



CAA Staff meetings

Charts showing the total area of shrimp farms registered with the Authority (State-wise and area-wise) from December 2005 to March 2017 are depicted in Figure 3.

**Table 4: Details of Registration Certificates issued by CAA during the Current Year (April 2016 to March 2017)**

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)					Total	Area of Farm	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01		TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	558	0	0	0	0	558	459.27	428.79
2	Odisha	1241	0	0	0	0	1241	1681.18	825.69
3	Andhra Pradesh	1528	0	0	0	0	1528	2685.37	1884.05
4	Tamil Nadu	28	0	0	0	0	28	113.88	87.86
5	Puducherry	8	0	0	0	0	8	12.28	5.15
6	Kerala	75	0	0	0	0	75	111.48	68.7
7	Karnataka	8	0	0	0	0	8	40.16	29.78
8	Goa	1	0	0	0	0	1	13.17	12
9	Maharashtra	2	0	0	0	0	2	2.23	1.92
10	Gujarat	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>3449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,449</b>	<b>5119.02</b>	<b>3343.94</b>




Figure 4 : Registration of farms (State-wise) in all coastal states from April 2016 to March 2017

- The total area of the farms registered (33,423 numbers) up to March 2017 was 54,378.02 ha and the water spread area was 37,191.94 and the total area and WSA for

the farms registered during the current year (3,449 numbers) were 5,119.02 ha and 3343.94 ha respectively as presented in Table 3 (depicted in figures 2 & 3) and table 4 (depicted in figures 4).

### State-wise performance:


During the current year, the Authority has registered 3,449 farms with total area of 5,119.02 ha and water spread area of 3,343.94 ha. Andhra Pradesh recorded the highest growth with registration of 1,528 farms in 2,685.37 ha total area and 1,884.05 ha water spread area. Odisha ranked second in registration of farms during the current year. Total number of farms registered in Odisha is 1,241 with total area of 1,681.18 ha and water spread area 825.69 ha. With the registration of 558 farms (TFA 459.27 ha and WSA 428.79 ha), West Bengal ranked 3<sup>rd</sup> followed by Kerala having 75 farms in 111.48 ha of total area and 68.7 ha of water spread area. Tamil Nadu registered 28 farms with the total area of 113.88ha and water spread area of 84.16 ha. Number of farms in Karnataka increased from 1 in previous year to 8 in current year. The State Puducherry registered 8 farms having total area of 12.28 ha and water spread area of 5.15 ha. Like previous year (2015-16), current year also only one farm with total area of 13.17 ha and water spread area of 12 ha has been registered in Goa.

During 2016-17, no farms have been registered in maritime states of Gujarat, Daman & Diu and A&N Islands.

## 2. Renewal of Registration of Shrimp Farms


Renewal of registration of coastal aqua farms with the Authority is mandatory after expiry of the period of approval. Renewal of registration process started during September-2012 and 4974 farms with a total area of 9168.417 ha (WSA 6276.53 ha) were approved for renewal of registration till March 2017. (Table 5)

- During the year, all the 3054 application received from farmers with a total area 4447.417ha (WSA 3024.53 ha) were approved for renewal of registration Certificates. (Table 6)
- A statement showing the registration of total number of farms renewed with the Authority from September - 2012 to March 2017 in the 12 Maritime States and UTs is given in **Table 5** and the State-wise and area-wise details of renewal of registration during the period is depicted in figures 6 and 7. The State-wise details of renewed farms during the current year (April 2016 - March 2017) is presented in **Table 6** and the State-wise and area-wise details of renewal of registration in terms of number of farms during the current year are depicted in figures 8 and 9 .




Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	2806
2.01-5.00	165
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
above 40.00	0

Figure 5 : No. of farms registered in West Bengal from December 2005 to March 2017




Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	7382
2.01-5.00	424
5.0-10.00	30
10.01- 40.00	17
above 40.00	0

Figure 6 : No. of farms registered in Odisha from December 2005 to March 2017




Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	16901
2.01-5.00	1059
5.0-10.00	128
10.01- 40.00	60
above 40.00	9

Figure 7 : No. of farms registered in Andhra Pradesh from December 2005 to March 2017




Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	958
2.01-5.00	631
5.0-10.00	131
10.01- 40.00	19
above 40.00	1

Figure 8 : No. of farms registered in Tamil Nadu from December 2005 to March 2017




Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	41
2.01-5.00	1
5.0-10.00	0
10.01- 40.00	0
above 40.00	0

Figure 9 : No. of farms registered in Puduchery from December 2005 to March 2017




Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	1018
2.01-5.00	215
5.0-10.00	18
10.01- 40.00	5
above 40.00	1

Figure 10 : No. of farms registered in Kerala from December 2005 to March 2017




Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	266
2.01-5.00	42
5.01-10.00	2
10.01- 40.00	2
above 40.00	0

Figure 11 : No. of farms registered in Karnataka from December 2005 to March 2017



Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	23
2.01-5.00	15
5.01-10.00	2
10.01- 40.00	2
above 40.00	0

Figure 12 : No. of farms registered in Goa from December 2005 to March 2017



Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	95
2.01-5.00	123
5.01-10.00	25
10.01- 40.00	18
above 40.00	6

Figure 13 : No. of farms registered in Maharashtra from December 2005 to March 2017




Figure 14 : No. of farms registered in Gujrat from December 2005 to March 2017

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	146
2.01-5.00	603
5.01-10.00	8
10.01- 40.00	1
above 40.00	2




Figure 15 : No. of farms registered in Daman & Diu from December 2005 to March 2017

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	0
2.01-5.00	12
5.01-10.00	0
10.01- 40.00	0
above 40.00	0




Figure 16 : No. of farms registered in Andaman & Nicobar Islands from December 2005 to March 2017

Area (ha)	No. of Farms
0 - 2.00	3
2.01-5.00	1
5.01-10.00	0
10.01- 40.00	0
above 40.00	0

**Table 5: Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA during the period from September 2012-March 2017**

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	7	0	0	0	0	7	6	4
2	Odisha	1107	34	2	6	1	1150	2085.13	1210.38
3	Andhra Pradesh	3021	22	2	6	3	3054	5007.33	3515.26
4	Tamil Nadu	391	15	0	0	0	406	939.017	738.81
5	Puducherry	2	0	0	0	0	2	4	3
6	Kerala	123	6	0	0	0	129	217.58	155.94
7	Karnataka	47	6	1	0	0	54	92.25	73.71
8	Goa	14	6	1	0	0	21	63.61	45.93
9	Maharashtra	58	7	7	0	0	72	297	211
10	Gujarat	9	60	0	0	1	70	411.5	289.5
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	9	45	29
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>4779</b>	<b>165</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4,974</b>	<b>9168.417</b>	<b>6276.53</b>

**Table 6: Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA during the period from April 2016-March 2017**

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Odisha	534	0	0	0	0	534	1013.13	582.38
3	Andhra Pradesh	2329	0	0	0	0	2329	3107.33	2166.26
4	Tamil Nadu	80	0	0	0	0	80	137.017	137.81
5	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kerala	78	0	0	0	0	78	130.58	93.94
7	Karnataka	26	0	0	0	0	26	38.25	29.71
8	Goa	3	0	0	0	0	3	12.61	7.93
9	Maharashtra	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Gujarat	4	0	0	0	0	4	8.5	6.5
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3054</b>	<b>4447.417</b>	<b>3024.53</b>

### State-Wise Performance

There is significant growth in renewal of registration of shrimp farms during the year. Among 3,054 renewed registered farms, Andhra Pradesh having 2,329 farms which is 76.26% of the total renewed farms during the year. Odisha ranked 2<sup>nd</sup> with 534 renewed farms having 1013.13 ha of total area and 582.38 ha of water spread area. Third place is possessed by Tamil Nadu with the 80 renewed registered farms followed by Kerala having 78 farms. Number of renewed registered farms in Karnataka, Goa and Gujarat are 26, 3 and 4 respectively.

Renewal process has not been carried out in five coastal states (West Bengal, Puducherry, Maharashtra, Daman & Diu and Andaman & Nicol) during the year.

Renewal of farms in all coastal states: their area-wise break up are depicted in charts given below

### 3. Efforts made by CAA to promote Registration/Renewal of Aqua farms

CAA has undertaken several initiatives in the recent past in terms of introducing single window application through online, sending letters to District Collectors, Secretaries of Fisheries, conducting awareness programmes in coastal States and sensitizing farmers, advising farmers through public notices in leading and vernacular dailies to expedite the process of registration.

- For expediting the process of registration, letters were sent to District Collectors and Secretaries of Fisheries of various coastal States.
- Farmers have been advised through public notices in leading newspapers, CAA website as well as through SLCs/DLCs on the need for farm registration/renewal coastal aquaculture farms with CAA and the consequences to be faced if not registered.
- Awareness on registration/renewal of farms for undertaking farming of shrimp (*P.monodon*, *SPF L. vannamei*), finfishes, crabs, etc., are created by CAA through awareness programmes conducted in coastal States and through sensitizing the farmers by CAA monitoring team during their field visits.
- Organizing workshops/participation in workshops/awareness programmes and exhibitions connected with coastal aquaculture organized by related institutes, State Fisheries Department, DLCs by power point presentations as well as by

distribution of brochures/handout prepared in local languages to aqua farmers and related stakeholders illustrating the importance of registration/renewal coastal aquaculture farms displayed in posters. Farmers also educated about the provision for punishment/penalty, if the farms for aquaculture purpose are not registered with CAA.

- Destroy/disposal of the stock from unapproved farms by the Inspection Team.
- Single application system for registration of new farms by online system in consultation with NIC is in the final stage for introduction.

### C. SPF *Litopenaeus vannamei* Farming

#### i) Meeting of the Technical Evaluation Committee on import of broodstock - Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers

Meeting of the Technical Evaluation Committee to assess annual requirement of broodstock of SPF *L. vannamei* was held on 11<sup>th</sup> April, 2016 at Chennai.

CAA carried out the exercise of short listing and selecting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, based on the genetic base and disease status, by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPED. There were 12 suppliers existing till 2016-17. Due to the occurrence of EMS disease in shrimp in the South East Asian region, import of brood stock from Thailand was not allowed and the three suppliers from Thailand were debarred. Altogether, nine suppliers have been approved for the supply of brood stock of SPF *L. vannamei* in a meeting of the Technical Evaluation Committee set up to shortlist overseas suppliers of SPF *L. vannamei* brood stock to Indian hatcheries held on 11<sup>th</sup> April 2016. Since no response was received from two suppliers viz., M/s High Health Aquaculture, Hawaii and M/s Shrimp Improvement Systems, Singapore, Technical Evaluation Committee had decided to retain only seven overseas suppliers in the list of approved suppliers for the present.

1. M/s Oceanic Institute, Hawaii
2. M/s Kona Bay Marine Resources, Hawaii
3. M/s Shrimp Improvement Systems LLC, Florida
4. M/s Shrimp Improvement Systems Pvt. Ltd, Hawaii
5. M/s PT Bibit Unggul (Global Gen), Indonesia
6. M/s Blue Genetics, Mexico
7. M/s Sea Products Development-Global Blue Technologies, USA

Due to the prevalence of EMS in South East Asian countries importers were advised to exercise due caution while importing brood stock from these sources. They were subsequently advised that since OIE (World Animal Health Organization) has officially

reported four countries in Asian region (viz., China, Malaysia, Thailand and Vietnam) as EMS affected, import of brood stock from other countries which are reported to be free from EMS may be considered subject to furnishing the required certification from exporting countries and on fulfilling pre-border quarantine requirements.

## ii) Import of SPF *L.vannamei* broodstock and seed production in the year 2016-17

- CAA granted approvals for import of SPF *L. vannamei* broodstock and seed production in bio secured hatcheries and also for farming SPF *L. vannamei* in bio-secured farms. CAA also regularly conducted inspection of the hatcheries and farms. Monitoring of hatcheries and farms is carried out to ensure that the quality of wastewater discharged from the ETS conform to the standards prescribed by CAA.
- After scrutinizing all the applications received from the hatchery operators for issuance of new registration, the Inspection Committee constituted by the CAA inspected the hatcheries to evaluate their facilities and ascertain their suitability. On the basis of the report of the Inspection Committee, 22 new hatcheries (6 in Tamil Nadu, 14 in Andhra Pradesh, 1 in Gujarat and 1 in Odisha) were given approval by the Authority for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* during 2016-17 and LoP were issued for all the 22 hatcheries to import broodstock during 2016-17.
- As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries, Letters of Permission were renewed for all the 259 hatcheries approved during 2015-16.
- LoP for the 22 new hatcheries were approved along with the approval of hatcheries during 58<sup>th</sup> meeting of the Authority held during the current year.




Figure 17: State-wise distribution of *L. vannamei* hatcheries

- Altogether, LoPs have so far been issued to 281 hatcheries (212 in Andhra Pradesh, 60 in Tamil Nadu, 4 each in Odisha and Gujarat and 1 in Karnataka) with production capacity of 26,783 million post larvae per annum and they were permitted to import 6,78,600 pairs of SPF *L. vannamei* broodstock for the year 2016-17. The validity of

LoP is up to 31.03.2017. The State-wise details of the approved hatcheries with their production capacity are presented in **Table 7**, their distribution on percentage is depicted in Figure 17 and the district-wise distribution is provided in Figure 11 .

**Table 7: State-wise distribution of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA for the year 2016-17**

Sl. No	State / District	No. of hatcheries permitted	Seed production capacity (million/ annum)	No. of brooders permitted (pairs)
<b>1</b>	<b>Tamil Nadu</b>			
	a) Villupuram	32	2720	71200
	b) Kancheepuram	22	1509	39200
	c) Nagapattinam	4	550	14800
	d) Cuddalore	1	120	3200
	e) Ramnad	1	50	1200
	<b>Sub Total</b>	<b>60</b>	<b>4,949</b>	<b>1,29,600</b>
<b>2</b>	<b>Andhra Pradesh</b>			
	a) Nellore	65	6405	159600
	b) Prakasam	28	3755	91200
	c) Guntur	8	803	18200
	d) East Godavari	74	6514	166400
	e) Vishakaptnam	27	2562	67200
	f) Vizianagaram	8	810	21200
	g) Srikakulam	2	240	6000
	<b>Sub Total</b>	<b>212</b>	<b>21,089</b>	<b>5,29,800</b>
<b>3</b>	<b>Odisha</b>			
	a) Puri	1	90	2400
	b) Ganjam	3	360	8800
	<b>Sub Total</b>	<b>4</b>	<b>450</b>	<b>11,200</b>
<b>4</b>	<b>Gujarat</b>			
	a) Junagadh	2	95	2800
	b) Valsad	1	40	1200
	c) Gir Somnath	1	100	2400

	d) Porbandhar	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>4</b>	<b>235</b>	<b>6400</b>
5	<b>Karnataka – Uttar Kannada</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>1600</b>
	<b>Total</b>	<b>281</b>	<b>26,783</b>	<b>6,78,600</b>

### iii. Performance of SPF *L. vannamei* Hatcheries during 2016-17

The performance of SPF *L. vannamei* hatcheries assessed based on the data on import of broodstock and seed production provided by the hatchery owners in their quarterly reports revealed that:

- The total number of broodstock permitted during 2016-17 was 6,78,600 numbers for all the 281 hatcheries with a minimum production potential of 26,783 million SPF seeds. It is estimated from reports received from the hatcheries, that a total of 9,468.478 million seed (Post Larvae) were produced from 2,26,851 numbers of broodstocks during the year and supplied to the registered shrimp farmers. The hatcheries have produced about 39,503.61 million nauplii through 3,19,820 spawning and the average survival rate from nauplii to PL shown in the States is estimated at 24%.
- The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily with nine from the commencement of the programme (July 2009) and reached a level of 281 hatcheries within a period of eight years (March 2017), with a production capacity of 26,783 million seeds.
- Andhra Pradesh retained the first position in development and registration of SPF *L. vannamei* hatcheries during the current year too with 212 hatcheries and producing 7,670.243 million post larvae and sale of 6,222.863 million seeds which is 81.09% of the seed sold in the country. The production is through 1,74,159 numbers of broodstock and releasing of 27,922.2 million nauplii through 2,13,205 spawning.
- Tamil Nadu retained the second position with 60 registered *L. vannamei* hatcheries producing 1549.875 million post larvae and supply of 1,255.935 million seeds (16% of the seed sold in the country) during the year. The production is through 49,692 number of disease free broodstock. State produced 10,678.01 million nauplii through 1,01,734 spawning and achieved a production of 1,549.875 million with survival rate of 14.51% from nauplii to post larvae.
- All the four hatcheries in Odisha acquired 1600 broodstocks, much lower than the allotted numbers of 11,200 (14.28%) during the year. They reported production of 146.68 million post larvae from 175.4 million nauplii with a survival rate of 83.62% from nauplii to post larvae.

- All the four hatcheries in Gujarat obtained 1400 numbers of broodstocks which is 21.875% of the allotted broodstock during the year. However, they could produce 48.35 million post larvae from 604 million nauplii with a survival rate of 8% from nauplii to post larvae.
- The single *L. vannamei* hatchery registered in Karnataka with production capacity of 60 million per annum has not imported broodstock in the current year.
- The performance of SPF *L. vannamei* seed production based on the data provided by the hatchery owners through their quarterly reports is presented in **Table 8**.

**Table 8: Performance of SPF *L. Vannamei* Hatcheries during 2016-2017 (State-wise)**

Sl. No.	State	No. of Hatcheries permitted	Production Capacity (Million)	No. of Brooders Permitted (Pair s)	Performance Indicators					
					No. of Brooders (Imported & from RGCCA)	Total No. of Spawning	Total No. of Nauplii Produced (Million)	Total No. of PL Produced (Million)	Average Survival rate from Nauplii to PL (%)	Total No. of Seeds (PL) Sold (Million)
1	Andhra Pradesh	212	21089	529800	174159	213205	27922.2	7670.243	27.470	6222.863
2	Tamil Nadu	60	4949	129600	49692	101734	10678.01	1549.875	14.510	1255.935
3	Odisha	4	450	11200	1600	1140	175.4	146.68	83.620	146.680
4	Gujarat	4	235	6400	1400	3741	604	48.35	8.000	31.040
5	Karnataka	1	60	1600	0	0	124	53.33	43.000	17.100
<b>TOTAL</b>		<b>281</b>	<b>26783</b>	<b>678600</b>	<b>226851</b>	<b>319820</b>	<b>39503.61</b>	<b>9468.478</b>	<b>24.000</b>	<b>7673.618</b>

#### iv) Growth of SPF *L. vannamei* Hatcheries in India

Remarkable growth in *L. vannamei* hatcheries was achieved in India within a short span of eight years. The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily with 9 from the commencement of the programme (July 2009) and reached a level of 281 during March 2017, with a production capacity of 26,783 million seeds/annum.

Seed production has also increased considerably from 310.69 million during 2009-10 to 9468.478 million during 2016-17 by the approved hatcheries. The State of Andhra Pradesh contributed considerably to the fast growth starting with 6 hatcheries during 2008-09 to 212 during 2016-17 followed by Tamil Nadu with 3 during 2008-09 to 60 in 2016-17. While the number of hatcheries in Gujarat increased from 1 in 2008-09 to 4 during 2016-17 and in Odisha number of hatcheries increased from 2 in 2008-09 to 4 during 2016-17. During the current year, no hatcheries have been approved in Karnataka.

The growth of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since initiation (July 2009) up to 58<sup>th</sup> meeting (March 2017) in the country is presented in **Table 9** and the State-wise growth in hatcheries and seed production during the period is depicted in Figures



Hatchery Inspection by CAA Team

**Table 9: Growth of CAA approved SPF *L. vannamei* hatcheries in India since inception (July 2009) up to 58th meeting (March 2017)**

Year	No. of Hatcheries Permitted	Production Capacity (million PI)	seed (PI) Produced (million)	Broodstock	
				Permitted (Pairs)	Imported (Pairs)
2008-09	9	0	0	-	-
2009-10	24	615	310.69	15,300	12,367
2010-11	21	1329	1328.88	16,100	10,733
2011-12	74	5608	2465.06	48,720	18,980
2012-13	105	8295	8000	66,360	64,580
2013-14	117	8776	5044.75	70,208	52,818
2014-15	183	13928	13442.05	1,65,156	99,899
2015-16	259	24209	7163.06	6,05,264	1,87,603
2016-17	281	26783	9468.478	678600	226851

In order to facilitate the hatcheries to enhance production of improved quality SPF *L. vannamei* seeds, CAA has implemented the following measures:

- Amendment to guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of hatcheries was issued by DAHD&F so as to include all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the Coastal Aquaculture Authority.
- Simplified the procedures for registration of hatcheries by granting approvals based on the recommendation of the Inspection Team immediately after inspection prior to placing it for the approval of the Authority and to obtain ex-post facto approval by the Authority to avoid delay in issue of LoPs.

- Introduced single window system for issuance of LoPs to hatcheries to dispose with the issue of LoP every year by which the DAHD&F issues SIP as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate.
- Advocated the use of CAA approved antibiotic-free aquaculture inputs only in seed production to augment supply of good quality antibiotic-free seeds to ensure food safety in the cultured produce.
- Continued approval of consortia of hatcheries based on the production capacity of the lead hatchery to help the partner hatcheries (which have poor maturation performance) to get the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium.
- Ex-post facto approval has granted to 3 NRCs in 58<sup>th</sup> Authority Meeting held at Chennai.

#### v) Consortium of Hatcheries

In order to facilitate the import of SPF *L. vannamei* broodstock to those hatcheries having lesser production capacity, the concept of consortium of hatcheries has been introduced by the CAA in its 46<sup>th</sup> Authority meeting. Approved hatcheries having poor maturation performance can have the nauplii production and PL production done at the lead hatchery of the consortium.

During 2016-17, 24 hatcheries were permitted for the consortium mode of operation. They have been issued with LoP for consortium after the verification by CAA Inspection Team. Out of the 281 hatcheries approved as on 31.03.2017 with production capacity of 26,783 million, 62 hatcheries have formed 24 consortia each accommodating 1 to 6 small hatcheries. Out of 24 hatcheries, 21 are formed in Andhra Pradesh and three are formed in Tamil Nadu.

#### vi) Registration of Nauplii Rearing Centre(NRC)

Many registered hatcheries are not utilizing the maturation facilities due to lack of suitable technical persons, therefore CAA has introduced the concept of Nauplii Rearing Centre (NRC) without maturation facility in 2015.

During the current year, based on the recommendation of the Inspection Committee, 10 hatcheries with seed production capacity of 915 million have been approved by the Authority to operate as Nauplii Rearing Centre.

Of 10 approved Nauplii Rearing Centres, one (production capacity of 30 million) is operating in Villupuram district of Tamilnadu, six (production capacity 675 million) are in East Godavari district of AP, one each in Prakasam (production capacity 40) and Nellore (production capacity 70) of AP and one (production capacity 100) in the Somnath district of Gujarat.

A statement showing the total number of NRCs registered with the Authority during April 2015 to March 2017 is given in the **Table 10**.

**Table 10: State-wise distribution of Nauplii Rearing Centres approved by CAA**

Sl. No	State	District	No. of Hatcheries permitted		Capacity (in millions)		Dist-wise Total
			2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	
1	Tamilnadu	Villapuram	1	1	100	30	130
2	Andhra Pradesh	Prakasam	2	1	125	40	165
		East Godavari	1	6	40	675	715
		Nellore		1		70	70
		Visakhapattinam					
		Viziayanagaram					
		Krishna					
		Guntur					
3	Kerala	Ernakulam	1		2		2
4	Gujarat	Somnath		1		100	100
	<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>267</b>	<b>915</b>	<b>1182</b>

#### vii) Setting up of PCR disease diagnostic laboratories

CAA in collaboration with ICAR-CIBA conducted capacity building and harmonization of PCR diagnosis of aquatic animal pathogens and ring test programme in February 2017. This is the 3<sup>rd</sup> such programme conducted in the past 10 years.

The first PCR ring test was conducted in India at ICAR-CIBA, Chennai in the year 2005 under a regional project entitled "Application of PCR for improved shrimp health management in the Asian region" with key partners including ACIAR, CSIRO and AusVet Services in Australia; MPEDA and College of Fisheries, Mangalore in India; Mahidol University, BIOTEC and FAO-NACA in Thailand; Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Indonesia. The second voluntary PCR ring testing exercise was to provide efficient and reliable PCR testing services on both East coast and West coast of our country for the benefit of aquafarmers, where they can get their samples tested confidently to enable them to take appropriate decision through a certification process.

A total of 25 laboratories from Andhra Pradesh (no 11), Tamil Nadu (no 8), Karnataka (no 3) and Gujarat (no 3) had undergone this PCR ring test programme of 2016-17. Out of the

25 laboratories which participated in the ring test, 24 laboratories submitted the results, out of which, 17 laboratories passed the ring test.

The list of the 17 laboratories which passed the PCR ring test is given below in the **Table 11**. All these laboratories are provided with a certificate, which will be valid for a period of one year.

**Table 11: State-wise list of PCR laboratories**

State	No of PCR labs
Andhra Pradesh	8
Tamil Nadu	5
Gujarat	3
Karnataka	1
Total	17

#### viii) Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*

The proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture were perused and the farms were inspected by the Inspection Team constituted by CAA for the following bio security requirements essential for SPF *L. vannamei* culture. After verification by the team permission has been granted:

- i) Peripheral fencing of farms
- ii) Crab fencing
- iii) Water intake reservoirs
- iv) Installation of bird netting/bird scares
- v) Effluent Treatment System (ETS)

#### ix) State-wise performance of SPF *L. vannamei* farming

During the year 2016-17 the Authority has registered 488 farms with total area of 957.5 ha and water spread area of 604.97 ha distributed in three maritime states, of which Odisha ranked 1<sup>st</sup> having total area of 875.35 ha and WSA of 557.21 ha (484farms), Andhra Pradesh ranked 2<sup>nd</sup> with total area of 78.5 ha and WSA of 45.86 ha (3 farms) followed by Kerala having one farm with total area of 3.3 ha and water spread area of 1.90 ha. All the 488 farms were issued LoPs for SPF *L. vannamei* farming. SPF seeds (PL12-15) supplied by the hatcheries approved by CAA were stocked in these farms and farming operations were continued in bio secured conditions till harvest.

- The State-wise details of the farms for which registration and LoPs were issued are given in **Table 12** and their percentage distribution is depicted in Figure 18. The area-wise distribution of farms in different states is depicted in Figure 19

**Table 12: State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from April 2016 to March 2017**

Sl. No	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	3	78.5	45.86
2	Tamil Nadu	0	0	0
3	Gujarat	0	0	0
4	Maharashtra	0	0	0
5	Odisha	484	875.35	557.21
6	Kerala	1	3.3	1.9
	<b>Total</b>	<b>488</b>	<b>957.5</b>	<b>604.97</b>




Figure 18 : Percentage distribution of CAA approved *L. vannamei* farms for the year 2016-2017




Figure 19 : Details of *L. vannamei* farms permitted in the current year

During the current year, Odisha ranked 1st in culture of SPF *L. vannamei* farm registration. A total of 632 farms were registered with a farm area of 1574.85 ha (WSA 987.80 ha) out of which 484 farms with a farm area of 875.35 ha (WSA 557.21 ha) are permitted during the current year (Table 12). It occupies 76.6 % of total SPF *L. vannamei* farms in India. Andhra Pradesh ranked 2nd in culture of SPF *L. vannamei* farm registration. A total of 702 farms were registered with a farm area of 6238.5 ha (WSA 4289.81 ha) out of which 3 farms with a farm area of 78.85 ha (WSA 45.86 ha) are permitted during the current year. Kerala has only one farm permitted during the current year with a farm area of 3.3 ha (WSA 1.9 ha) in Kannur district. Shrimp farms were not registered for the cultivation of SPF *L. vannamei* farms in 8 maritime states of Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Pondicherry, Daman & Diu and West Bengal during the current year.

CAA has so far registered and issued LoP to 1,685 SPF *L. vannamei* farms till March 2017, covering a total area of 11,497.71 ha (WSA 7748.28), the State-wise details of the farms are presented in **Table 13**, their percentage distribution is depicted in Figure 20.



Independence day celebrations

**Table 13: State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* permitted farms since inception (December 2009) up to 58<sup>th</sup> meeting ( March 2017)**

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	702	6238.5	4289.81
2	Tamil Nadu	164	1153.89	799.26
3	Gujarat	97	1075.88	769.69
4	Maharashtra	51	1228.13	742.73
5	Karnataka	24	72.68	56.97
6	Odisha	632	1574.85	987.8
7	Goa	7	38.11	26.81

8	Puducherry	2	20.11	14.35
9	Daman & Diu	3	60.11	38.4
10	West Bengal	1	3	2
11	Kerala	2	32.56	20.46
	<b>Total</b>	<b>1685</b>	<b>11497.71</b>	<b>7748.28</b>

The growth of *L. vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal states during the year 2009-10 to 2016-17 is presented in **Table 14**. The country witnessed a fast growth in farming too, starting initially with 107 farms with total farm area of 1744.9 ha during 2009-10 which has grown steadily to 1,685 farms with total farm area of 11,497.71 ha during 2016-17 within a period of eight years.




Figure 20 : Percentage distribution of CAA approved *L. vannamei* farms from December 2005 to March 2017

The State of Andhra Pradesh contributed much to the growth and attained 1<sup>st</sup> place starting with 87 farms with total farm area of 1,236.3 ha during 2009-10 and reaching a level of 702 farms with total farm area of 6,238.50 ha during 2016-17 followed by Tamil Nadu with 6 farms (TFA 90.14 ha) during 2009-10 to 164 farms (TFA 1,153.9 ha) during 2016-17 and Gujarat(3<sup>rd</sup> place) with 4 farms (TFA 146 ha) during 2009-10 to 97 farms (TFA1,075.88ha) during 2016-17. The growth in terms of total as well as water spread area is depicted in Figure and the State-wise growth during the period is given in Figure 23.



CAA at Various exhibits

**Table 14** Number of LoPs issued for SPF *L. vannamei* farming in all coastal states during the year 2009-10 to 2016-17

Sl. No.	Name of the State	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)t	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	87	1236.32	815.44	192	2442.23	1648.69	321	4062.03	2767.58	580	5536.61	3826.88	585	5666.5	3900.71
2	Tamil Nadu	6	90.14	55.41	38	414.35	258.82	79	691.24	472.6	113	986.54	675.05	123	1044.82	718.17
3	Gujarat	4	146	77.99	10	271	174.99	28	443.5	303.55	39	547.87	377.96	51	651.87	453.17
	Maharashtra	10	272.47	168.62	13	424.47	260.12	16	514.11	291.12	29	997.9	599.97	36	1133.03	684.38
4	Karnataka	0	0	0	16	47.04	37.38	17	47.98	38.18	17	47.98	38.18	18	56.3	43.13
5	Odisha	0	0	0	5	140.08	83.78	5	140.08	83.78	16	218.24	132.64	79	488.36	286.5
6	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	1	5.6	2.8	4	23.91	16.71	6	31.11	22.09
7	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85
8	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	38.4	3	60	38.4
9	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
10	Kerala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>1744.93</b>	<b>1117.46</b>	<b>275</b>	<b>3744.77</b>	<b>2466.58</b>	<b>468</b>	<b>5921.64</b>	<b>3971.46</b>	<b>802</b>	<b>8436.12</b>	<b>5717.64</b>	<b>903</b>	<b>9152.06</b>	<b>6160.4</b>

Sl. No.	Name of the State	2014-15			2015-16			2016-17			Total (2009-10 to 2016-17)		
		No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	645	5997.32	4131.25	699	6159.65	4244.01	3	78.85	45.86	702	6238.5	4289.81
2	Tamil Nadu	147	1123.82	776.03	164	1153.89	799.26	0	0	0	164	1153.89	799.26
3	Gujarat	86	904.51	638.29	97	1075.88	769.69	0	0	0	97	1075.88	769.69
4	Maharashtra	46	1192.5	724.51	51	1228.13	742.73	0	0	0	51	1228.13	742.73
5	Karnataka	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	0	0	0	24	72.68	56.97
6	Odisha	115	584.32	359.59	148	699.5	430.59	484	875.35	557.21	632	1574.85	987.8
7	Goa	6	31.11	22.09	7	38.11	26.81	0	0	0	7	38.11	26.81
8	Puducherry	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	0	0	0	2	20.11	14.35
9	Daman & Diu	3	60	38.4	3	60	38.4	0	0	0	3	60	38.4
10	West Bengal	1	3	2	1	3	2	0	0	0	1	3	2
11	Kerala	1	29.26	18.56	1	29.26	18.56	1	3.3	1.90	2	32.56	20.46
	<b>Total</b>	1076	10018.6	6782.04	1197	10540.21	7143.5	488	957.50	604.97	1685	11497.71	7748.28




Figure 21 : Total growth of *L. vannamei* farms during December 2009 to March 2013




Figure 22 : State-wise growth of *L. vannamei* farms during April 2013 to March 2017




Figure 23 : Growth of *L. vannamei* farms in terms of area during the year 2009-10 to 2016-17

In order to facilitate faster processing of proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture and issuance of CAA registration to cope up with faster development in the sector, CAA constituted District Level Teams (DLTs) in the coastal States to inspect farms having water spread area below 5 ha and to recommend eligible cases to CAA after verifying the essential biosecurity requirements.

On the basis of the recommendations of the Inspection Team and the District Level Teams, further processing is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals

are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the farms are registered and LoPs are issued to the farmers.

### **x) Production of SPF *L. vannamei***

Farming of SPF *L. vannamei* started in the country during December 2009 and till the end of current year (31.03.2017) a total number of 1,685 farms were approved by CAA with total farm area of 11,497.71 ha and WSA 7,748.28 ha.

### **xi) Cluster farming of SPF *L. vannamei***

Cluster farming system introduced by CAA facilitated the farmers having small farm holdings to take up SPF *L. vannamei* culture by having common ETS and bio security measures. Since inception till date of CAA, out of 1,685 farms (total farm area 11,497, WSA 7748.28 ha) registered, 571 cluster farms accommodating 2,622 number of small farm holdings. The cluster farms formed 33.88% of the total number of farms registered as 31.03.2016 with CAA.

### **xii) Monitoring of *L. vannamei* Hatcheries /farms**

Regular monitoring of *L. vannamei* hatcheries and farms by the monitoring team authorized by CAA is carried out by visiting the registered farms/hatcheries at regular intervals to avoid negative social and environmental impacts related to farming such as water pollution, spreading of disease, escapes, habitat/social impacts etc. to surrounding communities. The status of biosecurity in the hatcheries/farms, production methods, performance, water quality in the culture system, health of seeds/shrimps, environmental problems if any due to the operation are assessed. Waste water sample discharged from the hatcheries and farms were also collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that wastewater parameters conform to the standard prescribed by the CAA.

- During the year 2016-17, CAA team monitored 47 hatcheries (33 in East Godavari District and 14 in Prakasam District) permitted by the CAA. The production facilities were inspected and the records were also verified. The hatcheries were advised to maintain proper record as per the guidelines issued by the Authority.
- Analysis of water samples collected at the final discharge point of ETS of 23 hatcheries conformed to the wastewater quality standards prescribed by the CAA, where as one hatchery deviated CAA standards. These hatcheries and farms were cautioned by serving Warning Notices. The CAA also directed the owners of the hatcheries and farms to carry out modifications in their ETS to minimize the impacts of organic load.
- The production facilities were inspected and the record/registers were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality if any, spawning, eggs, nauplii, number of post larvae produced/sold, name and

address of the farmers to whom the seeds were sold , date and number of the valid CAA registration of hatcheries/farms; quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold etc. in farms as detailed in the guidelines were checked. The farmers and hatchery operators were reiterated to maintain proper records as per the Guidelines and submission of regular reports to CAA as required. Also, the farmers were advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and in the production of safe and quality aquaculture products using CAA registered antibiotic-free aquaculture inputs and good aquaculture practices (GAQPs).

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import procedure and the quarantining of the broodstock ensured use of only SPF *L. vannamei* broodstock free from OIE listed pathogen imported in to the country so far. Similarly, approval of hatcheries and farms after ensuring biosecurity facilities as well as regular monitoring etc., ensured that the guidelines are properly implemented for healthy production. Also, the wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries were monitored to conform to the standards prescribed by CAA. All these efforts have enabled the shrimp farming sector to avoid diseases especially the Early Mortality Syndrome(EMS), though, it has devastated shrimp farms reported to be still persisting in shrimp farms of a few of the neighbouring South East Asian countries.

#### **D. Legal and Compliance**

In connection with the plea filed by TATWT-Tamil Annai Thamarabharani Welfare Trust, Southern bench of the National Green Tribunal (NGT) delivered a verdict which was in favour of CAA.

In a plea filed before NGT, Chennai, TATWT alleged that shrimp farms in Marakkanam Area, Villupuram District causing damage to environment and pleaded the Court to remove or demolish all coastal aquaculture farms and hatcheries functioning in and around Marakkanam village. The NGT, in its order dated 1<sup>st</sup> July, 2016 directed the district authorities concerned to remove such farms. In August 2016 hearing, the lawyer filed an affidavit on behalf of the CAA and handed over copies of Registration Certificates of the 32 hatcheries approved by the CAA, which is the competent body for these purposes vide the CAA Act 2005.

The Tribunal upon considering the documents has extended the order of Status Quo and issued directions to the District Collector to file status report. The final verdict on the case by the Southern bench of the NGT validated CAA's action and disposed the case.

#### **IV. Registration of Antibiotic Free Aquaculture Inputs**

Due to concerns raised by the DAHD&F and Department of Commerce as well as the Seafood Exports over the reported large scale rejection of seafood meant for exports in recent times due to detection of antibiotics in the products, CAA was asked to take strict measures to prevent the use of antibiotics in shrimp hatcheries and farms. Following a meeting held with the shrimp feed manufacturers at CAA on 24<sup>th</sup> July 2015 to develop standards for aquaculture inputs, the issue was further deliberated with the seafood exporters. A public notice to this effect was issued stating that the aqua farmers and hatchery operators will be permitted to use only the registered inputs in their facilities and consequently all manufacturers (indigenous) and distributors (imported) of aquaculture inputs were directed to register each of their product with CAA by submitting test reports to the effect that they are free from the antibiotics of concern viz. Chloramphenicol & Nitrofurantoin parent compounds and metabolites [Furazolidone-AOZ, Furaltidone-AMAZ, Nitrofurantoin-AHD and Nitrofurantoin (Semicarbazide)-SEM].

During the current year CAA has registered **584** Antibiotic Free Aquaculture inputs in eight categories such as Feed Additive, Probiotic, Larval Feed, Adult Feed, Chemical, Disinfectant, Immunostimulant and Drug the list of which hosted in our website [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in).

Periodical monitoring and testing of samples of the product from market will be done by CAA to keep the product in the active list and in case antibiotics or prohibited chemicals are found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of approved products. Letters in this regard were sent to the Secretary Fisheries of all coastal States informing the said development and requesting them to create awareness among the stakeholders through the concerned Fisheries officials in their States so as to enable the CAA to initiate suitable punitive action. Due to the above actions initiated and as the registration is kept open as continues process, more number of products are expected to be registered.

#### **V. Water Quality Monitoring Laboratory**

A water quality monitoring laboratory was established in the Technical section of CAA for analysis of the wastewater samples collected from hatcheries and farms during regular monitoring to ensure that they are within the standards of permissible levels prescribed by CAA. The laboratory is equipped with the installation of instruments such as CHINSO Analyser, Spectrophotometer, Nitrogen Kjeltac-Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system, BOD Incubator, COD Analyser and Gas Chromatography-Mass Spectrum with Head Sampler(GC-MS) apart from other equipment required for water quality monitoring in aquaculture system. All the water samples collected from shrimp hatcheries and farms were analysed for the optimal water quality parameters pertinent to CAA regulations.

## VI. CAA Library

Library has around 355 books and journals related to aquaculture like health management in aquaculture, aquaculture sector planning and management, world economy, fish management, waste minimisation etc.

CAA has well-furnished library section for the utility of readers.

## VII. Website updation

In order to facilitate the shrimp farmers and hatchery operators to get full details on the modalities for registration and renewal of aquafarms and hatcheries with the required application forms, guidelines on seed production and farming with related information connected therewith, full details on cultured shrimps and other products to the buyers in abroad for traceability, etc. CAA is having a website viz. [www.caa.gov.in](http://www.caa.gov.in) which is uploaded through National Informatics Centre, Chennai. Database having detailed information about registration and regulation for shrimp hatcheries and farms, broodstock import and aquatic quarantine on *L. vannamei* farming activities are focused. The website also describes the powers and functions of the Authority, Act, Rules, Regulations and Guidelines, recent Notifications relevant to aquaculture as well as the detailed list of CAA members appointed by the central government, besides details on District level and State Level Committees (DLCs and SLCs). Farming activities of other species in practice are also focused with list of banned antibiotics, procedures for biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards etc., are also given in user-friendly downloadable format.

The website also contains full details on the modalities for registration and renewal of hatcheries/aquafarms with the required forms, list of shortlisted suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, quarterly compliance report, reservation of space in aquatic quarantine, details on DLCs and SLCs, list of banned antibiotics, biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards etc. Given in user-friendly downloadable format. New and latest information are frequently and exigently uploaded periodically in the website.

The new concept of Online Registration of aqua farms through CAA website has progressed considerably which will be ready shortly for use for the benefit of farmers.

## VIII. Strengthening of Coastal Aquaculture Authority

The Coastal Aquaculture Authority has the jurisdiction to regulate the coastal aquaculture activities in ten coastal States and four Coastal Union Territories. A total of 21 staff originally sanctioned by the Central government to the Aquaculture Authority existing in 1977 were continued when CAA was established under the statutory provision of CAA Act, 2005. Until 2008, major activity of CAA was registration of shrimp farms, both new and old, with due inspection carried out by the DLCs and SLCs. Since 2009, with the introduction of the exotic shrimp SPF *L. vannamei* in the country, many additional functions such as

correspondence with coastal States, DLCs/SLCs and meetings with stakeholders, handling the technical committee for overseeing the operation of aquatic quarantine, inspection of hatcheries for permitting import of *L. vannamei* broodstock and seed production, inspection of shrimp farms for permitting *L. vannamei* culture, regular monitoring of hatcheries and farms to prevent unauthorised breeding/farming of this species, collection/analysis of wastewater released from hatcheries & farms to assess their conformity with CAA standards, usage of banned drugs and chemicals in aquaculture, registration of antibiotic free aquaculture inputs, implementation of Nauplii Rearing Centres(NRC) awareness creation on responsible aquaculture practices, etc., there is an urgent need to strengthen the Coastal Aquaculture Authority. In this regard the following proposals were made:

A proposal, for the establishment of three Regional Centres in the States of Gujarat, West Bengal and Andhra Pradesh with a staff strength of 30 persons and additional 34 posts for strengthening the headquarters at Chennai in Tamil Nadu was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare requesting approval of the government as the aquaculture sector has picked up very fast in these States and there is an urgent need to satisfy the requirements of farmers, hatchery operators and related stakeholders. A detailed proposal with full justification has been prepared for the consideration of the Committee on non-plan expenditure.

Efforts were taken for allotment of government land to construct a National Headquarters Complex of the Aquaculture Authority established under CAA Act, 2005 at Chennai to accommodate the staff(present and additional posts proposed for strengthening the headquarters) as well as to have a permanent set up for having the laboratory and other facilities did not materialise. Hence, a request for allotment of land at Alamaty, Chennai(a unit under Livestock Health Division of DAHD&F) was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Meanwhile the Department of Fisheries, Government of Tamil Nadu has taken a decision to allot adequate space for the office of the CAA in one of the floors in their Fisheries Complex under construction at Saidapet, Chennai by issuing a Notification. The allotted space as per the GO was accepted in principle and the meetings held with the Committee identified by the government to indicate the requirements on partition, permanent cupboards/furniture, electrical points/fittings etc were attended and the actual requirement of CAA was proposed.

## **IX. Outreach Activities of CAA**

### **i) Training Programmes**

The CAA, in association with Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), Chennai conducted a three day Trainers Training Programme (TTP) on "Shrimp Farming, Hatchery Seed Production and Regulations" for 14 officials of State Fisheries Department of Andhra Pradesh at Chennai from 26<sup>th</sup> to 28<sup>th</sup> April, 2016. It was the third TTP conducted

by CAA from its inception (July 2006). A total of 40 officials, from Fisheries Department of Andhra Pradesh, have so far been trained in these three TTP programmes.

Lectures were delivered by the officials from the CAA and scientists of CIBA. Training programme was combined with the field visits.

## **ii) Participation of CAA members/officers in meetings/seminars/symposia organized by other organization**

Member Secretary CAA attended the 5<sup>th</sup> meeting of the Indo-Norwegian Joint Working Group and Seminar on Aquaculture on 8<sup>th</sup> April, 2016 at Krishi Bhavan, New Delhi.

Director (Technical) CAA attended the Project Screening Committee for the BMCs under the Chairmanship of Joint Secretary (Fisheries) on 25<sup>th</sup> July, 2016 at Krishi Bhavan, New Delhi

Member Secretary participated in the 19<sup>th</sup> meeting of committee on Introduction of Exotic Aquatic Organisms into Indian water under the Chairmanship of Joint Secretary (Fisheries) on June 24, 2016 at Krishi Bhavan, New Delhi.

## **X. Activities likely to be taken up during 2017-18**

### **i) Registration**

Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries are continues process. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2016 and March 2017.

### **ii) Approval for *L. vannamei* culture**

About 2,000 ha of additional farm area is proposed to be brought under *L. vannamei* culture with CAA registration.

### **iii) Inspection and Monitoring**

Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms and hatcheries are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed the Authority.

### **iv) Approval for Antibiotic-free Aquaculture Inputs**

As the registration is kept open as continues process and also various activities initiated at the level of Secretary Fisheries of all coastal States, more number of products are expected to be registered.

### v) Awareness Programmes

Awareness programmes relating to environment protection, suitable development of coastal aquaculture activities and good aquaculture practices are to be organised.



Awareness programme cum farm monitoring

### vi) Advertisement and Publication

Public notices are to be issued on important matters from time to time to caution stakeholders on unauthorised activities and for taking precautionary measures to avoid occurrence of disease.

### vii) Trainers Training Programme

More numbers of Trainers Training Programmes will be conducted for officials of Fisheries Department of coastal States.

### viii) Preparation of Manuals/Brochures

The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules and Guidelines would be further edited incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry in some local languages.

## ix) Workshops and Meetings

Stakeholder meetings would be organized for addressing the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.



Workshop conducted at CAA

CAA would be participating in workshops, exhibitions, seafood fairs, Krishi Mela and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

## x) Capacity building

Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

## XI. Finance

### i) Summary of Actual Financial Results

The Accounts pertaining to the financial year 2016-17 was audited under the section 19(2) of CAG's(DPC) Act , 1971 by the Director General of Audit (Central), Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in 6 (six) instalments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned budget estimates for ₹ 330 lakhs for the financial year 2015-16 vide F.No 41011/1/2014-Fy (B&A) Vol II dated 24 December 2014. Ministry has admitted Revised Estimates for Rs. 330 lakhs and this office utilized the full amount.

Budget Estimates/Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2016-17 are as follows:

Major Head 2405

Sub Head-131731 Grant-in-Aid (General)

-131736 Grant-in Aid (Salaries)

(Rupees in Lakhs)

Table 16

2016 – 17 (Rupees in Lakhs)				
BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
380	380	380	380	0.00

Table 17

2016 – 17 (Rupees in Lakhs)			
Sl. No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2017-18
1	Coastal Aquaculture Authority	131731 Grant-in-Aid (General) 131736 Grant-in-Aid (Salaries)	400

ii) Details of the Annual Accounts for the year 2016-17

The Details of the Annual Accounts for the year 2016-17 are presented in ANNEXURE.

**XII. Staff and existing organizational structure of the Authority**

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2016-17 is as follows:

Table 18

Sl. No	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	No of staff repatriated during the year	No of new staff added during the year	Staff at the end of the year
1	A	Director	1	1	0	0	1
		Assistant Director	1	1	1	0	0
		Sr Admin Officer	1	1	1	0	0
2	B	Superintendent	1	1	0	0	1
		Private Secretary	2	2	0	0	2
		Sr. Tech Assistant	2	2	0	0	2
		Accountant	1	0	0	1	1
		Steno Gr 'C'	2	0	0	0	0

3	C	Sr Clerk	2	1	1	1	1
		Steno Gr 'D'	1	1	0	0	1
		Jr Clerk	2	2	0	0	2
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
		MTS	4	3	0	1	4
		<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

### Advisor and Consultants

Table 19

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	Number at the end of the financial year
1	Advisor	1	1	0	0

### XIII. Recruitment/Retirement/Repatriation

- Shri S Mani, Additional Director(Tech) has been repatriated to his parent department on 13.07.2016
- Shri V Anand has joined as Accountant on deputation w.e.f. 26.07.16
- Shri S Peer Mohammed Riyaz has been appointed as MTS w.e.f from 01.07.16

### XIV. Right To Information Act

In the year 2016-17, CAA received 16 applications. Information sought was furnished.

# **ANNEXURE**

**Annual Accounts of CAA  
for the year 2016-17**

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**BALANCE SHEET AS AT 31-03-2017**

(Amount - Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<b>CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITES</b>			
CORPUS /CAPITAL FUND	1	158,31,742	140,57,989
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2	420,83,237	207,70,053
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	23,66,463	22,50,437
<b>TOTAL</b>		<b>602,81,442</b>	<b>370,78,479</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	4	109,70,272	129,51,205
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	5	26,42,503	58,50,114
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	6	466,68,667	182,77,160
<b>TOTAL</b>		<b>602,81,442</b>	<b>370,78,479</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-  
 Sr. Admin. Officer

Sd/-  
 Director (Tech)

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT  
FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2017**

(Amount - Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<b>INCOME</b>			
Grants/ Subsidies	7	342,69,650	319,44,279
Fees/Subscriptions	8	140	10,090
Income from Investments (Income on Invest from earmarked/endow Funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	17,96,272	4,63,374
Other Income	11	6,926	63,704
<b>TOTAL(A)</b>		<b>360,72,988</b>	<b>324,81,447</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	12	238,82,555	183,31,711
Other Administrative Expenses etc.	13	121,90,433	148,12,348
Expenditure on Grants, Subsidies etc.,		-	-
Depreciation	4	19,96,379	23,56,023
<b>TOTAL(B)</b>		<b>380,69,367</b>	<b>355,00,082</b>
<b>Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)</b>		<b>(19,96,379)</b>	<b>(30,18,635)</b>
<b>Prior Period Items</b>			
Telephone deposits		39,782	-
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
<b>BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND</b>		<b>(19,56,597)</b>	<b>(30,18,635)</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	15		

Sd/-  
Sr. Admin. Officer

Sd/-  
Director (Tech)

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR  
ENDED 31.03.2017**

Receipts	(Amount-Rs.)		Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
<b>1. Opening Balances</b>			<b>I. Expenses</b>		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses	132,80,531	171,44,656
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	115,27,130	154,02,028
i) In current accounts	-	-			
ii) In deposit accounts	-	-	<b>II. Payments made against funds for various projects</b>		
iii) Savings accounts	180,72,300	59,92,346	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)	-	-
<b>II. Grants Received</b>					
a) From Government of India-			<b>III. Investments and deposits made</b>		
Capital Receipts	15,446	10,55,721	a) Out of Earmarked/ Endowment funds	-	-
Revenue Receipts	379,84,554	319,44,279	b) Out of Own Funds	-	-
b) From State Government	-	-			
c) From Other Source	-	-	<b>IV. Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital work-in-Progress</b>		
(Grants for capital & revenue exp to be shown separately)			a) Purchase of Fixed Assets	15,446	10,30,328
			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
<b>III. Income on Investment from</b>					
a) Earmarked/ Endowment Funds(FDR Interest)	-	-	<b>V. Refund of surplus money/loans</b>		
b) Own Funds (other Investment)	-	-	a) To the Government of India	-	-

Receipts	(Amount-Rs.)		Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
			b) To the State Government	-	-
<b>IV. Interest Received</b>					
a) On Bank deposits	17,96,272	4,63,374	<b>VI. Finance Charges (Interest)</b>		
b) Loans, Advances etc.	-	-			
c) On Earmarked Investments	-	-	<b>VII. Other Payments (Specify)</b>		
			a) Earnest Money Deposit	4,55,389	2,05,000
<b>V. Other Income (Specify)</b>			b) Performance security Deposit Refund	-	-
Examination fees	-	-	c) Festival Advance		36,000
Tender Fees	-	7,400	d) Prepaid Expenses	-	2,02,143
Festival Advance	18,000	44,915	e) Expenditure out of Earmarked fund	-	-
RTI Fees	140	90	f) Medical Advance	-	-
MTS Application Fees	-	2,600	g) Unspent Grant in aid refund	-	-
Refund of deposit - CPWD CCD	482	-	h) Post Master	4,00,000	-
Sale of scrap	1,860	-	i) Stamps in Hand	20,000	2,25,050
<b>VI. Amount Borrowed</b>			j) D.D.O Settlement	-	70,000
D.D.O	-	70,000	k) Travelling expenses for Inspection	9,57,369	-
			l) Sundry Creditors	78,505	-
<b>VII. Any other receipts (give details)</b>			m) TDS	13,44,844	-
Earnest Money Deposit	-	2,55,000	n) NPS - K Srinivasan Babu	20,620	-
Festival Advance Recovery	-	44,100	o) Professional Tax	29,565	-
Stamps in Hand	26,040	6,336	p) Indirect expenses	1,32,723	-
Letter of Credit	-	-	q) Salary payable	11,54,155	-
Endowment Fund (Processing Fees)	76,95,850	72,44,850			
Application Fees - 30%	3,03,583	5,39,911			
State Fisheries- Andhra Pradesh	-	50,700	<b>VIII. Loans and Advances</b>		

Receipts	(Amount-Rs.)		Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
Security Deposit	-	7,293	a)Advance for Field visit	-	-
Feed Products	51,80,750	48,50,000	b)Advance for Inspection	-	26,550
NPS - K Srinivasan Babu	20,773	-	c)Advance for Meeting	40,000	75,900
Professional tax	13,140	-	d)Advance for Printing & Stationery		
TDS	13,44,844	-	e)Advance for Salary	-	10,741
			f)Advance for Training	60,000	32,000
<i>Fund Transfer from CPF, GPF, Pension A/c</i>	8,000	22,45,000	g)Advance towards Vehicle Hiring	5,000	1,49,600
			h)Advance for software	-	10,800
<i>Advance Refund</i>			i)Advance for aquarium installation	-	25,000
a)Advance for Field visit	-		j)Advance for bicycle	-	5,000
b)Advance for Inspection	-	11,454	k)Advance for diesel (car)	-	1,500
c)Advance for Meeting	12,499	29,406	l)Advance for diesel (generator)	-	4,000
d)Advance for Printing & Stationery	-		m)Advance for DLC audit	-	15,000
e)Advance for Salary	-	10,741	n)Advance for feed materials	-	9,000
f)Advance for Training	-	10,352	o)Advance for Hindi seminar	-	10,000
g)Advance towards Vehicle Hiring	1,010	72,608	p)Advance for laptop bag	-	6,000
h)Advance for Aquarium Installation	-	2,584	q)Advance for MTS exam	-	15,000
i)Advance for bicycle	-	10	r)Advance for pooja expenses	-	2,000
j)Advance for DLC audit	-	15,000	s)Advance for staff welfare	25,000	1,500
k)Advance for feed materials	-	668	t)Advance for travelling expenses	1,45,968	67,650
l)Advance for Hindi seminar	-	2,300	u)Advance For Books	-	2,100
m)Advance for laptop bag	-	1,563	v)LTC Advance	2,18,764	-

Receipts	(Amount-Rs.)		Payments	(Amount-Rs.)	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
n) Advance for mts exam	-	120	w) Advance for consultant & Programmer Interview	1,80,000	-
o) Advance for Travelling / Tour Expenses	23,063	67,650	x) Advance for Telephone	5,000	-
p) LTC Advance	-	-	y) Advance for Contingent expense	5,000	-
q) Advance for repair and maintenance	595	-	z) Advance for repair and maintenance	12,000	-
r) Advance for consultant and programmer deposit	1,37,197	-	<i>Fund Transfer to CPF, GPF, Pension A/c</i>	87,80,247	26,03,425
s) Advance for contingent expense	3,870	-			
t) Advance for staff welfare	11,664	-	<b>IX. Closing Balances</b>		
u) Advance for telephone	800	-	a) Cash in hand	-	-
			b) Bank Balances		
<i>Direct Expenses reversal</i>			i) In current accounts	-	-
a) Establishment Expenses	20,239	3,61,394	ii) In Deposit accounts	-	-
b) Administrative Expenses	56,972	50,506	iii) Savings accounts	338,56,687	180,72,300
<b>Total</b>	<b>727,49,943</b>	<b>554,60,271</b>	<b>Total</b>	<b>727,49,943</b>	<b>554,60,271</b>

Sd/-  
Sr. Admin. Officer

Sd/-  
Director (Tech)

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET**  
**AS AT 31-03-2017**

(Amount - Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND</b>		
Balance at the Begning of the year 1.4.2015	140,57,989	160,20,903
Add : Grant received towards Corpus/Capital Fund	15,446	10,55,721
Add : Grant unspent as on 31.03.2017 transferred to corpus	37,14,904	
	177,88,339	170,76,624
Less :Expenditure Over Income transferred from the Income & Expenditure A/c	(19,56,597)	(30,18,635)
Add: Excess of Income over Expenditure Transferrerd from Income & Expenditure A/c		-
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>158,31,742</b>	<b>140,57,989</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017**

**Schedule 2: Earmarked/ Endowment Funds**

(Amount- ₹)

Description	Farm Registration Fees	Processing Fees (L.V Farms)	Processing Fees (L.V Hatchery)	General Provident Fund		Contributory Provident Fund		Pension Fund		Interest	Food Products	Expense out of Earmarked Fund	Total	
				IOB	Indian Bank	IOB	Indian Bank	IOB	Indian Bank				Current Year	Previous Year
a) Opening balance of the funds	20,43,997	64,24,629	98,17,250	1,957	17,02,119	1,575	3,77,826	23,831	12,88,783	7,25,644	48,50,000	(64,87,558)	2,07,70,053	78,43,703
b) Addition to the Funds:														35,45,224
i. Donations/grants	-	-	-	-	-	-	-	.....	-	1,88,480	-	-	1,88,480	1,91,586
ii. Income from investment made on account of Earmarked funds	-	-	-	-	-	-	-	.....	-	-	51,80,750	-	1,31,80,183	1,26,65,267
iii. Fees	3,03,583	12,25,750	64,70,100	-	-	-	-	.....	-	-	-	-	-	-
iv. Contributions	-	-	-	-	2,93,000	-	31,600	-	84,55,647	-	-	-	-	-
v. Interest receipts	-	-	-	426	1,15,654	343	24,557	965	82,603	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (a+b)</b>	<b>29,47,580</b>	<b>76,50,379</b>	<b>1,62,87,650</b>	<b>2,383</b>	<b>21,10,773</b>	<b>1,918</b>	<b>4,33,983</b>	<b>24,796</b>	<b>98,27,033</b>	<b>9,14,124</b>	<b>1,00,30,750</b>	<b>(64,87,558)</b>	<b>4,31,43,511</b>	<b>2,42,45,780</b>
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds														
i. Capital Expenditure														
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Others - Settlement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>														
ii. Revenue Expenditure														
- Salaries, Wages and Allowances etc.														
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc	10,60,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60,274	10,55,588
- JIFSAN Training Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Seminar/conference etc Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>														
d) Transferred to Indian Bank account														
<b>TOTAL (c)</b>	<b>10,60,274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,60,274</b>	<b>24,20,139</b>
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)</b>	<b>12,87,306</b>	<b>76,50,379</b>	<b>1,62,87,350</b>	<b>2,383</b>	<b>21,10,773</b>	<b>1,918</b>	<b>4,33,983</b>	<b>24,796</b>	<b>98,27,033</b>	<b>9,14,124</b>	<b>1,00,30,750</b>	<b>(64,87,558)</b>	<b>4,20,83,237</b>	<b>2,07,70,053</b>

**Notes** 1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2017**

(Amount - Rs.)

	Current Year		Previous Year	
<b>SCHEDULE 3 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>				
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>				
<b>1.Acceptances</b>				
<b>2. Sundry Creditors:</b>				
i) For Goods	-	-	-	-
ii) Others				
<b>3. Performance Security Deposit</b>		-		1,11,139
a) Aishwarya Construction	-		1,11,139	
<b>4.Earnest Money Deposit</b>		50,000		3,94,250
a) Merit Enterprises	-			
b) Orbit Tecnologies	-		44,250	
c) Day N Day services( P) Ltd	30,000		30,000	
d)Bio-incorp/Agilent Technology	-		2,50,000	
e) Siva Cabs	-		50,000	
f) Broadline	5,000		5,000	
g) Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
h) Nucum Technology	5,000		5,000	
i) Sri Vignesh Cabs	5,000		5,000	
<b>5. Interest accrued but not due on :</b>				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
a) New Pension Scheme(Employee Contribution)				
<b>7. Security Deposit</b>				
a) Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	10,955	10,955	7,293	7,293

	Current Year		Previous Year	
8. State fisheries- Andhra Pradesh	50,700	50,700	50,700	50,700
9. Other Provision (Contingent)				
	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. Salary payable - March 2016	-	-	11,87,055	11,87,055
11. IOB - Account 209501000010000	1,13,174	1,13,174	-	-
12. NPS deduction - Shri K Srinivasan Babu	153	153	-	-
13. CPC / LSPC Arrears	15,72,401	15,72,401	-	-
14. Bonus payable - 2015 - 16	69,080	69,080	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>23,66,463</b>		<b>22,50,437</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2017**

SCHEDULE 4	Item	Rate of Dep.	Gross Block				Depreciation						Net Block	
			Cost /Valuation as at Beginning of the Year	Addition during the year up to 30.09.16	after 30.09.16	Deduction during the Year	Cost Valuation at the Year end	As at the Beginning of the Year	on Addition during the Year	at 100% on purchase of assets below Rs. 5,000	On Deduction during the Year	Total upto the Year end	As at the Current Year end	As at the Previous Year end
	Plant & Machinery	15%	108,07,581				108,07,581	61,32,193	7,01,308	-		68,33,501	39,74,080	46,75,388
	Lab Equipments	15%	52,54,588				52,54,588	19,87,537	4,90,058			24,77,595	27,76,993	32,67,051
	Office Equipment	15%	44,55,261	10,408			44,65,669	22,94,700	3,25,645			26,20,345	18,45,324	21,60,561
	Car	15%	3,30,860				3,30,860	3,10,450	3,062			3,13,512	17,348	20,410
	Furniture & Fixtures	10%	45,63,133		5,038		45,68,171	21,21,887	2,44,377			23,66,264	22,01,907	24,41,246
	Computers & Peripherals	60%	33,74,900				33,74,900	30,89,961	1,70,963			32,60,924	1,13,976	2,84,939
	Library Books & Technical Books	60%	23,58,882				23,58,882	22,57,272	60,966	-		23,18,238	40,644	1,01,610
	<b>TOTAL of Current Year</b>		<b>311,45,205</b>	<b>10,408</b>	<b>5,038</b>		<b>311,60,651</b>	<b>181,94,000</b>	<b>19,96,379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201,90,379</b>	<b>109,70,272</b>	<b>129,51,205</b>
	Previous Year													
	B.Capital Work-In-Progress													
	<b>TOTAL</b>												<b>109,70,272</b>	<b>129,51,205</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017**

**Schedule 5 : Investments from Earmarked/ Endowment Funds (Amount- ₹)**

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	26,42,503	24,54,023
<b>Total</b>	<b>26,42,503</b>	<b>24,54,023</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2017**

SCHEDULE 6 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
<b>A. CURRENT ASSETS:</b>		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Savings Accounts	338,56,687	180,72,300
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	1,96,229	88,416
b) Stamps (Postal)	12,113	3,883
3. Bank balances (Earmarked funds)		
a. IOB:-		
Pension Fund Investment in SB A/c No:209501000007601	24,796	23,831
General Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006535	2,383	1,957
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006536	1,918	1,575
IOB - 209501000010000	1,17,758	-
b. INDIAN BANK:-		
Pension Fund Investment in SB A/c No:6349080748	98,27,033	12,88,783
General Provident Fund Investment in SB A/c No:6349080908	21,10,773	17,02,119
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No:6349081107	4,33,983	3,77,826
<b>TOTAL ( A )</b>	<b>465,83,673</b>	<b>215,60,690</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31-03-2017**

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 6 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. Contd.)	Current Year	Previous Year
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) Prepayments (Annexure-1)	25,122	76,961
b) Advance for Inspection (Annexure-1)	-	17,600
c) Staff Festival Advance (Annexure-1)	-	18,000
d) Advance for Travel (Annexure - 1)	20,000	-
e) Salary recoverable	90	-
f) Telephone deposits	39,782	-
<b>TOTAL ( B )</b>	84,994	1,12,561
<b>TOTAL ( A + B )</b>	466,68,667	182,77,160

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE  
FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2017**

(Amount - Rs.)

<b>SCHEDULE 7 - GRANTS/SUBSIDIES</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
( Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1) Central Government	342,69,650	319,44,279
<b>TOTAL</b>	<b>342,69,650</b>	<b>319,44,279</b>

<b>SCHEDULE 8 - FEES/SUBSCRIPTIONS</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
1) Tender Fees	-	7,400
2) RTI Fees	140	90
3) MTS Application Fees	-	2,600
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>10,090</b>

**Note** - Accounting Policies towards each item are not be disclosed

<b>SCHEDULE 9 - INCOME FROM INVESTMENTS</b>	<b>Investment from Earmarked Fund</b>	
	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)		
Interest on Fixed Deposit with Indian Bank	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(Amount - Rs.)

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 10 - INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	-	-
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	17,96,272	4,63,374
<b>TOTAL</b>	<b>17,96,272</b>	<b>4,63,374</b>

**Note** - Tax deducted at source to be indicated

SCHEDULE 11 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
Miscellaneous Income	2,342	63,704
Interest - IOB 209501000010000	4,584	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,926</b>	<b>63,704</b>

SCHEDULES 12-ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Current Year
a) Salaries and Wages	229,22,231	172,37,268
b) Bonus	1,10,528	44,902
c) LTC facility	2,30,972	1,22,330
d) PF Contribution	2,91,700	6,29,872
e) Reimbursement of Tution Fees	1,02,210	1,36,008
f) Medical expenses	1,94,411	1,52,936
g) Staff welfare	11,267	8,395
h) Leave encashment	19,236	-
<b>TOTAL</b>	<b>238,82,555</b>	<b>183,31,711</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE  
FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31-03-2017**

(Amount - Rs.)

<b>SCHEDULE 13 - OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES ETC</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
1. Advertisement and Publicity	60,998	4,67,955
2. Publication	79,590	3,844
3. Domestic Travelling Expenses	-	2,18,810
4 Supply & Materials	-	-
<b>5. Office Expenditure</b>		
Repairs and maintenance	86,779	2,94,889
Electricity and Power	5,31,192	5,41,298
Fuel Charges	45,200	5,500
Rent, Rates, and Taxes	44,81,880	41,37,120
Photostate Expenses	-	-
Postage, Telegram	5,25,340	2,69,206
Printing ,Stationery and Consumables	3,09,904	8,40,498
Water Charges	-	-
Library Expenses( Periodicals & Journals)	-	-
Computer Maintenance	68,828	-
Telephone Expenses	-	2,94,929
Professional Charges	23,38,877	25,57,419
Vehicle Hire Charges	7,80,703	15,13,329
Meeting Expenses	52,255	3,76,221
Telephone and Mobile Reimburesment Expenses	4,07,810	80,486

<b>SCHEDULE 13 - OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES ETC</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
Mobile Reimbursement Expenses	68,609	
Telephone equipments	4,200	
Miscellaneous Expenses	64,057	3,84,774
Seminar/Workshops/Training Expenses	35,478	1,26,562
Other Contractual Service	12,44,341	18,87,582
Website Maintenance Charges	5,98,360	53,992
Website Development	-	1,79,208
AMC Expenses(A.C, Computers, Office Equipment Etc)	2,16,611	2,07,716
AMC Expenses(Computers) [Financial year 2014 - 15]	-	8,267
Annual PRA Maintenance Charges(NSDL)	2,222	1,414
Translation charges	-	38,973
Newspaper and Magazine	9,086	6,333
Liveries ( Uniform )	-	
Sweeper Salary	-	1,200
Web Hosting Charges	43,000	53,072
Web Hosting Charges [Financial year 2009 - 10 to 2011 - 12]	-	1,29,000
Shifting Expenses	-	
Lab Chemicals	38,804	87,707
Bank Charges	6,852	12,672
Audit Expenses	31,700	9,160
Feed Material	-	8,332
MTS Exam	3,000	14,880
Interview expense	42,803	-
Legal fee	9,000	-
Pooja expense	2,955	-
<b>TOTAL</b>	<b>121,90,433</b>	<b>148,12,348</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Annex-1

<b>Staff Festival Advance</b>			
<b>S.No</b>	<b>Name</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>
1	Smt G. Priya ,STA	-	2,250
2	Shri. Ramesh Kumar,STA	-	2,250
3	Kumari.S.Priya, StenoGr D	-	2,250
4	Shri. V.Selvam,Staff Car Driver	-	2,250
5	Shri.Elavarasan,MTS	-	2,250
6	Shri.P.Rajesh, MTS	-	2,250
7	Shri.V.Prasad, MTS	-	2,250
8	Smt.Jayanthi,Jr.clerk	-	2,250
	<b>Total</b>	-	<b>18,000</b>

<b>S.NO</b>	<b>Other Advances</b>		
1	Prepaid Expenses	25,122	76,961
2	Advance for inspection	-	17,600
3	Advance for travel - Mr. Jayaraman	20,000	-
	<b>Total</b>	<b>45,122</b>	<b>94,561</b>

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**SCHEDULE - 14 : ACCOUNTING POLICIES**

**1. ACCOUNTING CONVENTION**

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles(GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority Follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and Income except where otherwise stated.

**2. FIXED ASSESTS**

- a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.
- b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.
- c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.
- d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of Rs.1/-
- e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund .Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

**3. DEPRECIATION**

- a) Depreciation is provided on written down value method as per rates Specified in Income tax Act.1961
- b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

- c) Each item of fixed assets costing Rs.5000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

#### 4. LEASE/ RENT

Lease/ Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

#### 5. IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

#### 6. GOVT.GRANTS / SUBSIDIES

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to 'Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year.

#### 7. RETIREMENT BENEFITS

- Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.
- The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year end, will be provided and funded separately.
- The liabilities for the leave encashment to employees are ascertained annually on accrual basis based on actuarial valuation at the year end and provided for.

#### 8. TAXATION

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, service Tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

#### 9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGEMENT ASSETS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

## 10. INCOME AND EXPENSES

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

- a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision/creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "prior period Adjustment" account.
- b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.
- c) Expenditure/Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items. if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.
- d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/prior period items up to Rs.1,000 in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

## 11. REVENUE RECOGNITION

- a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* Farms and Hatchery .As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. b)
- b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

## 12. SEPARATE DISCLOSURE

Separate disclosures are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

- a) "Prior period" items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result of errors of omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods. A sum of Rs. 39,782 being amount paid towards telephone deposits were charged to income and expenditure a/c in previous years. As a result current assets ie. Telephone deposits were not recognized in institute's Balance sheet. The same was rectified in current year accounts.
- b) "Extra-ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and. Therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

- c) Any item under the head "Miscellaneous Income "which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Any item under the head 'Miscellaneous Expenses' which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-  
Sr. Admin. Officer

Sd/-  
Director (Tech)

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**SCHEDULE – 15**

**CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS**

**Contingent liabilities**

As on 31<sup>st</sup> Mar.2017, there does not appear to be any case of contingent liability.

**Fixed Assets**

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2016-17 to Income and Expenditure Account.

**Current Assets, Loans and Advances**

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount .In addition to that Authority purchase Govt. Postal stamp from Post Office, The amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31<sup>st</sup> Mar, 2017 the stamps in hand amounted to Rs.208,342/-

**Current Liabilities**

Security deposits of Rs. 3,662/- received as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

**Taxation**

The Authority is not liable to pay wealth tax, income –tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

**Government Grants/Fees Collected**

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund'' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of Income over Expenditure is transferred to capital fund account at the end of the year as on 31<sup>st</sup> March, 2017.

Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for L.V Farms and Hatchery. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. Out of The Earmarked Fund a sum of Rs. 10,60,274 was utilized towards Travelling Expenses for Inspection of Farms & Hatcheries in connection with registration of farms etc.

### Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account & Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-  
Sr. Admin. Officer

Sd/-  
Director (Tech)

## भाग II

वर्ष 2016-17 के लिए सीएंडएजी की  
पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट



प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय  
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

**OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)**  
Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

दूरभाष / Fhone : 044 - 2431 6400

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924

तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

सं. पीडीए(सी)/सीई/II/28-49/2017-18/

दिनांक: 19.02.2018

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,

कृषि मंत्रालय,

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग,

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

महोदय,

**विषय: वर्ष 2016-17 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में।**

मैं वर्ष 2016-17 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखा विवरण के साथ अग्रेषित करता हूँ। संसद के समक्ष यथा प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट की तीन प्रतियाँ आने वाले समय में इस कार्यालय को अग्रेषित की जाएँ।

कृपया संलग्नकों के साथ इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

- 82 -

उप निदेशक/सीई

संलग्न: उपर्युक्त

सं. पीडीए(सी)/सीई/II/28-49/2017-18/186

दिनांक: 19.02.2018

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र की प्रतिलिपि के साथ प्रति सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण को अग्रेषित की गई है। अनुरोध है कि पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हिंदी पाठ की 3 प्रतियाँ और संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट की 3 प्रतियाँ शीघ्र भेजें। यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 के लेखे संसद में पेश किए जाने की तारीखें भेजें।

उप निदेशक/सीई

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय  
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै-600018

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
तटीय जलकृषि प्राधिकरण,  
चेन्नई-600091

महोदय,

मैं इसके साथ दिनांक 19.02.2018 का पत्र सं. सीएबी पीडीए(सी)/सीई/II/28-49/17-18/  
अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,



निदेशक/प्रशासन

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 की धारा 20 (3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा के संलग्न तुलनपत्र का लेखापरीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम योजना और लेखापरीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हैं कि क्या वित्तीय विवरण सामग्री गतल विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में जांच, एक परीक्षण के आधार पर, राशि और वित्तीय विवरण में प्रकटन का समर्थन सबूत शामिल हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने के रूप में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षा दी गई राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

### 4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. हमें सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं।
- ii. इस रिपोर्ट से निपटाए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियों एवं भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- iii. हमारी राय में, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा प्राधिकरण के नियमों और विनियमों में की गई अपेक्षा के अनुसार बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है, जहां तक यह ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

**क. तुलन पत्र**

**पूंजी निधि – (अनु. 1) – रु. 1,58,31,742**

**वर्तमान देयताएं और प्रावधान – (अनु. 3) – रु. 23,66,463**

संस्थान को वर्ष के दौरान 3.80 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई थी। इस अनुदान में से, 3.43 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनु.14; पैरा 6) में यथा उल्लिखित संस्थान द्वारा अंगीकृत लेखांकन नीति के अनुसार 0.37 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और 0.37 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया शेष अनुदान पूंजी निधि में अंतरित किया गया है।

तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक खातों के लिए लेखांकन मानक-12 और एकसमान प्रारूप के प्रावधानों के अनुसार, अप्रयुक्त अनुदान को तुलनपत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत प्रकट किया जाना चाहिए। संस्थान द्वारा गलत लेखा नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि का अति विवरण हुआ है और वर्तमान देनदारियों को 0.37 करोड़ रुपये तक कम उल्लिखित किया गया है।

**ख. सामान्य**

1. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक खातों के लिए एक समान प्रारूप में दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी संस्थान द्वारा प्राप्त/अलग रखी गई किसी भी निधि को 'निर्धारित निधि' के रूप में अलग से लेखांकित करना होगा। उन निधियों पर प्रोद्भूत व्यय और किसी अर्जित ब्याज को तत्संबंधित निर्धारित निधियों में लेखांकित किया जाना चाहिए।

संस्थान ने तत्संबंधी चार निर्धारित निधियों के अधीन चार निर्धारित निधियां नामतः पंजीकरण शुल्क, लिटोपेनियस वननामी (एलवी) के लिए प्रक्रिया शुल्क, फार्म सृजित की है। तथापि, संबंधित निर्धारित निधियों से अर्जित व्यय और ब्याज को समान निधियों में लेखांकित के बजाय संस्थान ने खातों के एकसमान प्रारूप का उल्लंघन करते हुए अर्जित ब्याज और उक्त चार निधियों पर किए गए व्यय का लेखांकन करने के लिए अन्य दो निर्धारित निधियों को गलत तरीके से बनाया है।

2. 31.03.2017 तक अनु.-2 के अनुसार कुल निर्धारित निधियां (जीपीएफ/सीपीएफ/पेंशन फंड के अलावा) 2,96,82,351 रुपये थी। जबकि तुलनपत्र में बताए गए तदनुसारी निर्धारित निधि परिसंपत्तियों में 3,53,82,762 रुपये (आईओबी में एफडी-अनु.-5- 26,42,503 रुपये; इंडियन बैंक में बैंक में नकद – निर्धारित निधि 3,27,40,259 रुपये) थे। इस तरह देनदारियों की ओर से प्रकट की गई निर्धारित निधियों और तुलनपत्र में तदनुसारी परिसंपत्तियों के बीच 57,00,411 रुपये का अंतर था। इस संबंध में एक आपत्ति पहले से ही पिछले वर्ष एसएआर में शामिल की गई थी। हालांकि संस्थान द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

3. संस्थान ने वित्तीय विवरणों से संलग्न 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' (अनु.-14) में कहा है कि, वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष उपदान और अवकाश नकदीकरण के संबंध में देयता का पता लगाया जा रहा है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।

हालांकि, संस्थान ने पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान की गणना स्वयं की है और वर्ष के लिए 84.56 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उल्लिखित लेखांकन नीति सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान करने के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई वास्तविक परिपाटी के विपरीत थी।

### ग. लेखाओं में संशोधन का प्रभाव

प्राधिकरण के खातों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित हुआ:

- क. परिसंत्तियों और देयताओं में 39,782/- (दो लेनदेन) की वृद्धि हुई।
- ख. पूर्व संशोधित खातों में 17.19 लाख का अधिशेष संशोधित आय एवं व्यय लेखा में 19.56 लाख रुपये का घाटा हो गया है।

### घ. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 3.80 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान में से प्राधिकरण ने 31 मार्च 2017 को शून्य की राशि छोड़ते हुए 3.80 करोड़ रुपये का उपयोग किया था।

### ङ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के सदस्य सचिव के ध्यान में लाया गया है।

- v. पिछले अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियों एवं भुगतान खाता बही खातों के अनुसार हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों के अधीन, आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के कार्यों की 31 मार्च 2017 की स्थिति के तुलनपत्र का संबंध है; और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय खाते का संबंध है।

स्थान: चेन्नई

दिनांक: 19.02.2018

भारत के सीएंडएजी के लिए और ओर से

  
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय),  
चेन्नई

## अनुबंध

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2016-17 के लिए सीए फर्म द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

चूंकि संस्थान द्वारा अचल परिसंपत्तियों और वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, इसलिए अचल परिसंपत्तियों और प्रयोगशाला उपकरणों के सुरक्षोपायों के लिए कोई सुरक्षा नियंत्रण नहीं किया गया था और मुख्य रिपोर्ट में शामिल अन्य अनियमितताओं को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अपर्याप्त माना जाता है।

### 3. अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2016-17 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

### 4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2016-17 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

### 5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देयताओं के भुगतान में प्राधिकरण नियमित था।

उप निदेशक/सीई



**ANIM CHERIAN**  
Principal Director of Audit (Central)

**प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)**

चेन्नै

लेखापरीक्षा भवन

361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

**PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)**

Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"

361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ. स. नं. / D.O. No. : PDA(Cj)/CAB/V/28-49/2017-18/187

दिनांक / Date : 19.02.2018

प्रिय डॉ. गोपाल,

कृपया 16.02.2018 को जारी वर्ष 2016-17 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), चेन्नई के वार्षिक खातों के लेखापरीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करें। मैं लेखांकन पद्धतियों/प्रक्रियाओं में देखी गई निम्नलिखित त्रुटियों को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

1. संस्थान ने तुलनपत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत 1,13,174 रुपये की देयता का प्रकटन किया है। हालांकि जांच करने पर यह देखा गया कि उक्त राशि के लिए संस्थान की किसी के प्रति ऐसी कोई देनदारी नहीं है। जब इसकी ओर इशारा किया गया था तो आपके संस्थान ने जवाब दिया था कि अगले वित्त वर्ष में जरूरी सुधार किया जाएगा।

2. संस्थान सीएए के मुख्य खातों में जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस लेनदेनों का लेखांकन कर रहा है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरणों के लिए एकसमान प्रारूप में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस के सभी लेन-देन संस्थान के मुख्य खातों से बाहर ले जाने होंगे और जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस के लिए एक अलग वित्तीय विवरण तैयार किया जा सकता है और संस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरणों में संलग्न किया जा सकता है।

3. संस्थान वार्षिक सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, ईएल नकदीकरण और ग्रेच्युटी) के लिए प्रावधान बनाता रहा है। हालांकि, आय और व्यय खाते में 'स्थापना व्यय' के तहत इसका विशेष रूप से प्रकटन नहीं किया गया है। इसके अलावा, पेंशन, ईएल नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए बनाए गए प्रावधान की राशि का प्रकटन आईएंडई खाते में और तुलनपत्र में प्रत्येक मद के लिए अलग से किया जा सकता है।

सादर,

आपका,

डॉ. सी. गोपाल,

सदस्य सचिव,

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई-600091

दूरभाष / Phone : 044-2431 6400

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924

तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

## वर्ष 2016-17 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु पैरा-वार स्पष्टीकरण

क्र.सं.	एसएआर में पैरा सं.	स्पष्टीकरण
क.	<p><b>तुलन पत्र</b> <b>देयताएं</b> <b>पूंजी निधि – (अनु.1) – रु. 1,58,31,7432</b> <b>वर्तमान देयताएं और प्रावधान – (अनु.3) – रु.23,66,463.</b> <b>पूंजी निधि – (अनु. 1) – रु. 1,58,31,7432</b> <b>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनु. 3) – रु. 23,66,463</b></p> <p>वर्ष के दौरान संस्थान को रु. 3.80 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनु.14; पैरा 6) में यथा उल्लिखित संस्थान द्वारा अंगीकृत लेखांकन नीति के अनुसार, इस अनुदान में से, रु. 3.43 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया है और रु. 0.37 करोड़ का शेष अनुपयोगी अनुदान है।</p> <p>तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं हेतु लेखांकन मानक-12 एवं एकसमान प्रारूप के प्रावधानों के अनुसार, उपयोग नहीं किए गए अनुदान को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के अधीन प्रकट करना होता है। संस्थान द्वारा अनुचित लेखांकन नीति अंगीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप पूंजी निधि का अतिविवरण हुआ है और वर्तमान देयताओं को रु. 0.37 करोड़ तक कम किया गया है।</p>	<p>वर्ष 2016-17 के लिए सीएए के इस लेखाओं पर सीएजीआई के एसएआर का पैरा (ग) दिनांक 19.2.2018 पुष्टि करता है कि सीएए ने लेखाओं को संशोधित किया है और इस प्रकार अब आय एवं व्यय लेखा में रु. 19.56 लाख का घाटा हो गया है। जरूरी संशोधन किए गए थे और लेखापरीक्षा विभाग को संशोधित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।</p>
ख.	<b>सामान्य</b>	
ख.1	<p>वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं के लिए एकसमान प्रारूप में दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी संस्थान द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा प्राप्त की गई/अलग रखी गई निधियां 'निर्धारित निधि' के रूप में अलग-से लेखांकित किया जाएगा। उन निधियों पर उपार्जित कोई अर्जित ब्याज और व्यय तत्संबंधित निर्धारित निधियों में लेखांकित किया जाना चाहिए।</p>	<p>यह सूचित किया गया है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा पृथक खाते सृजित या अनुरक्षित नहीं किए गए थे। तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा केवल एक निर्धारित निधि खाता ही अनुरक्षित किया गया है।</p> <p>निर्धारित निधि अनुरक्षित करने के लिए पृथक बैंक खाता वर्ष 2015-16 के दौरान 23.06.2015 को सृजित किया गया था।</p>

	<p>संस्थान ने चार निर्धारित निधियां नामतः फार्म पंजीकरण शुल्क, लिटोपेनाइयस वन्नामेई (एल.वी) फार्मा के लिए प्रक्रिया शुल्क, एल.वी. हैचरियां तथा फीड उत्पाद सृजित की हैं। प्राप्त शुल्क को तत्संबंधी चार निर्धारित निधियों के अधीन लेखांकित किया गया है। तथापि, प्रोद्भूत व्यय और समान निधियों में तत्संबंधी निर्धारित निधियों से अर्जित ब्याज के लेखांकन की बजाय, संस्थान ने खातों का एकसमान प्रारूप के उल्लंघन में उक्त चार निधियों पर अर्जित ब्याज तथा प्रोद्भूत व्यय के लेखांकन के लिए अनुचित तरीके से और दो निर्धारित निधियां सृजित की हैं।</p>	<p>I. यह निवेदन किया गया है कि वर्ष 2015-16 के दौरान, वास्तविक की अधिकता में शेष में भिन्नता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लेनदेन हुए हैं:</p>	
<p><b>ख.2</b></p>	<p>31.03.2017 को अनु.-2 के अनुसार कुल निर्धारित निधियां (जीपीएफ/सीपीएफ/पेंशन निधि से इतर) रु. 2,96,82,351 थीं। जबकि तुलनपत्र में प्रकट की गई तदनुरूपी निर्धारित निधि परिसंपत्तियां रु. 3,53,82,762 (आईओबी-अनु.-5 में एफडी रु. 26,42,503; इंडियन बैंक में बैंक में नकदी - निर्धारित निधि रु. 3,27,40,259) थीं। इस प्रकार, तुलनपत्र में देयता साइड और तदनुरूपी परिसंपत्तियों पर प्रकट की गई निर्धारित निधियों के बीच रु. 57,00,411 का अंतर था। इस संबंध में आपत्ति पिछले वर्ष के एसएआर में पहले ही शामिल किया गया था। तथापि, संस्थान द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>(क). मुख्य खाते से निर्धारित निधि लेखा में अंतरित किए जाने के लिए देय राशि [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(क) के रूप में संलग्न की गई है।]</p>	<p>रु.42,68,501</p>
		<p>(ख). वर्ष 2015-16 के दौरान निर्धारित निधि खाते से मुख्य खाते में राशि आहरण [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(ख) के रूप में संलग्न की गई है।]</p>	<p>रु.90,18,959</p>
		<p>(ग). मुख्य खाते से निर्धारित खाते में वापिस की गई कुल राशि [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(ग) के रूप में संलग्न की गई है।]</p>	<p>रु.1,30,72,503</p>

		(घ) यह निवल घाटा है [[ग) - (क+ख)]	(-) ₹.2,14,957
		II. वर्ष 2015-16 के दौरान, मुख्य खाते से किए गए व्यय को त्रुटिवश निर्धारित निधि खाते में लेखांकित किया गया था [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(घ) के रूप में संलग्न की गई है।]	₹.10,20,072
		III. वर्ष 2016-17 के दौरान, वास्तविक की अधिकता में शेष में भिन्नता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लेनदेन हुए हैं:	
		(क). वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारित निधि से ऋण आहरण [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(ड) के रूप में संलग्न की गई है।]	₹.45,00,000
		(ख). वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य खाते से निर्धारित निधि खाते में पुनर्भुगतान [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(च) के रूप में संलग्न की गई है।]	₹.65,82,175
		(ग). निर्धारित निधि खाते में भुगतान किया गया कुल आधिक्य [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि (क-ख) के रूप में संलग्न की गई है।]	₹.20,82,175

		<p><b>IV</b> वर्ष 2015-16 के दौरान, मुख्य खाते से किए गए व्यय को त्रुटिवश निर्धारित निधि खाते में लेखांकित किया गया था [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(छ) के रूप में संलग्न की गई है।]</p>	<p><b>₹.10,60,274</b></p>
		<p><b>V</b> वर्ष 2016-17 के दौरान, निर्धारित निधि खाते से उपार्जित ब्याज राशि को त्रुटिवश मुख्य खाते में लेखांकित किया गया था [ब्योरे दर्शाते विवरण की प्रतिलिपि अनुबंध-(ज) के रूप में संलग्न की गई है।]</p>	<p><b>₹.17,52,847</b></p>
		<p><b>VI</b> <b>Iघ + II + IIIग + V + V</b></p>	<p><b>57,00,411.00</b></p>
<p>देयताओं की तरफ और तुलनपत्र में तदनुसूची परिसंपत्तियों पर प्रकट की गई निर्धारित निधियों के बीच ₹. 57,00,411/- के अंतर के परिणामस्वरूप उपर्युक्त लेनदेनों (I+II+III+IV एवं V) का निवल प्रभाव।</p> <p>यह निवेदन किया गया है कि मुख्य खाते और निर्धारित निधि खाते में त्रुटिवश लेखांकित दूसरी दो प्रविष्टियों की पहचान तथा शोधन किया गया है।</p>			

		<p>यह निवेदन किया गया है कि प्रविष्टियों के परिवर्तन द्वारा जरूरी शोधन कार्रवाई की गई है और जिसका प्रभाव वर्ष 2019-20 के संशोधित लेखाओं के प्रारंभिक एवं अंत जमाशेष में दर्शाया गया है। 01 अप्रैल 2019 को निर्धारित निधि लेखा का संशोद्धित प्रारंभिक जमाशेष रु. 8,06,72,553/- है और 31 मार्च 2020 को निर्धारित निधि खाते के लिए अंत जमाशेष रु. 9,56,08,528/- है। तुलनपत्र में तदनुरूपी परिसंपत्तियां रु. 9,56,08,528/- (बैंक जमाशेष रु. 9,23,82,612/- + सावधि जमा रु. 32,25,916/-) है।</p> <p>तदनुसार, सीएजीआई द्वारा 2015-16 से 2019-20 तक निर्दिष्ट अंतरों का वर्ष 2019-20 के संशोधित वार्षिक लेखाओं तथा तुलनपत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं के बीच मिलान किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित वार्षिक लेखे संलग्न किए गए हैं।</p>
<p><b>ख.3</b></p>	<p>संस्थान ने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' (अनु.-14) में कहा है कि, उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण के मामले में देयता वर्ष के अंत में और दिए गए के लिए बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष संस्थान द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।</p> <p>तथापि, संस्थान ने अपनी ओर से पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान की गणना की है और वर्ष के लिए रु. 84.56 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रकार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उल्लिखित लेखांकन नीति सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान के सृजन के लिए संस्थान द्वारा अंगीकृत वास्तविक पद्धति के विपरीत थी।</p>	<p>सीए कर्मचारियों के लिए उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण देयता के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए बीमांकन मूल्यांकन उपलब्ध करवाते हुए बीमांकन मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए कार्रवाई की गई है।</p>

<b>ग.</b>	<b>लेखाओं में संशोधन का प्रभाव</b> प्राधिकरण के लेखे लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किए गए थे जिनके परिणामस्वरूप निम्नलिखित हुआ:	
<b>ग. क</b>	परिसंपत्तियों और देयताओं में रु. 39,782/- (दो लेनदेन) तक वृद्धि।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।
<b>ग. ख</b>	पूर्व-संशोधित लेखाओं में रु. 17.19 लाख का अधिशेष संशोधित आय एवं व्यय लेखा में रु. 19.56 लाख का घाटा हो गया है।	
<b>घ.</b>	<b>सहायता अनुदान</b> वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 3.80 करोड़ के सहायता अनुदान में से, प्राधिकरण ने 31 मार्च 2017 को रु. शून्य का शेष छोड़ते हुए रु. 3.80 करोड़ की राशि का उपयोग किया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।
	<b>अनुबंध</b>	
1.	<b>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</b> वर्ष 2016-17 के लिए सीए फर्म द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया था।	---
2.	<b>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</b> चूंकि संस्थान द्वारा अचल परिसंपत्तियों और वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, इसलिए अचल परिसंपत्तियों एवं प्रयोगशाला उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियंत्रण नहीं है और मुख्य रिपोर्ट में शामिल अन्य अनियमितताओं के मद्देनजर, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अपर्याप्त माना गया है।	अनुवर्ती वर्ष 2017-18 में भौतिक सत्यापन किया गया था और सीएजी लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया था। सीएजीआई ने 2017-18 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसके बारे में बताया है।
3.	<b>अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन</b> वर्ष 2016-17 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।	
4.	<b>वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</b> वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन वर्ष 2016-17 के लिए नहीं किया गया था।	
5.	<b>सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता</b> इस प्राधिकरण ने सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान किया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।

## प्रबंधन पत्र के लिए पैरा-वार स्पष्टीकरण

पैरा सं.	प्रबंधन पत्र में टिप्पणी	स्पष्टीकरण
1.	संस्थान ने तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के अधीन रु. 1,13,174 की देयता प्रकट की है। तथापि, जांच करने पर यह देखा गया था कि संस्थान की उक्त राशि के लिए किसी के प्रति ऐसी कोई देयता नहीं है। जब इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, तो आपके संस्थान ने जवाब दिया था कि अगले वित्तीय वर्ष में जरूरी शोधन किया जाएगा।	जरूरी शोधन के लिए लेखापरीक्षा की टिप्पणी वर्ष 2017-18 के बही खातों में की गई है। वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण की अनुसूची 3 की प्रतिलिपि अनुबंध-I (अ) रूप में संलग्न की गई है।
2.	संस्थान जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस लेनदेनों को सीए के मुख्य लेखाओं में लेखांकित करता रहा है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरणों के लिए एकसमान प्रारूप में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस के सभी लेनदेनों को संस्थान के मुख्य खातों से लिया जाए और जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस के लिए पृथक वित्तीय विवरण तैयार किए जाएं तथा संस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ परिशिष्ट किए जाएं।	वित्तीय वर्ष 2017-18 से पालन किया गया है। तदनुसार, जीपीएफ/सीपीएफ/पेंशन निधि के लिए पृथक खाते दर्शाता वित्तीय विवरण अनुबंध-I (ट) रूप में संलग्न किया गया है।
3.	संस्थान हर साल सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन, ईल नकदीकरण और उपदान) के लिए प्रावधान सृजित करता रहा है। तथापि, इसे आय एवं व्यय लेखा में 'स्थापना व्यय' के अधीन विशेष रूप से प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा, पेंशन, ईएल नकदीकरण और उपदान के लिए सृजित प्रावधान की राशि आईएंडई लेखा और तुलनपत्र में प्रत्येक मद के लिए अलग-से प्रकट की जाए।	सीए कर्मचारियों के लिए उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण देयता के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए बीमांकन मूल्यांकन उपलब्ध करवाते हुए बीमांकन मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए जरूरी कार्रवाई की गई है।

संदर्भ: पीडीए का पत्र सं. पीडीए (ग)/सीई/II/28-49/2017-18 दिनांक 19.2.2018

अनुलग्नक-(ए)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाककम, चेन्नै-600 091

**31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग**

**अनुसूची 2: निर्धारित/संचयी निधियां: (राशि-₹)**

विवरण	फार्म फंजीकरण शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वी. फार्म)	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वी. हेचरी)	सामान्य भविष्य निधि	अंशदायी भविष्य निधि	पेंशन निधि	व्याज	योग	
								चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	21,11,823	44,67,784	21,07,250	8,68,000	9,60,358	10,87,019	3,41,396	1,19,43,630	72,15,433
ख) निधियों में वर्षन:				2,33,416	3,66,932	37,232		6,37,580	29,15,377
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	.....	-	-	-
ii. निर्धारित निधियों के लेखा पर किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	.....	1,92,662	1,92,662	3,41,396
iii. शुल्क	4,17,345	14,86,995	9,35,000	-	-	.....	-	28,39,340	14,71,424
जोड़ (क+ख)	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416	13,27,290	11,24,251	5,34,058	1,56,13,212	1,19,43,630
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय									
i. पूंजी व्यय									
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य - निपटान	-	-	-	-	12,81,951	-	-	12,81,951	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय									
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	64,87,558	-
- फार्मों के निरीक्षण पर यात्रा व्यय आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- जेआईएफएसएन प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- सेमिनार/सम्मेलन आदि व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ (ग)	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416	45,339	11,24,251	5,34,058	77,69,509	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)								78,43,703	1,19,43,630

विवरण	वि.व. 2014-15		वि.व. 2015-16				
	मुख्य खाता	सावधि जमा	जोड़	मुख्य खाता	ईएमएफ खाता	सावधि जमा	जोड़
प्रारम्भिक	69,58,478	20,69,775	90,28,253	33,10,260	-	22,62,437	55,72,697
प्राप्तियां			-				-
आवेदन शुल्क-30%	4,17,345		4,17,345	24,900	5,15,011		5,39,911
फार्म पंजीकरण शुल्क	-		-				-
फीड उत्पाद	-		-	1,20,000	47,30,000		48,50,000
प्रक्रिया शुल्क (एल.वी. फार्म)	14,86,995		14,86,995	1,82,835	2,87,015		4,69,850
प्रक्रिया शुल्क (एल.वी. हैचरी)	9,35,000		9,35,000	6,00,000	61,75,000		67,75,000
निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय	-		-	30,506			30,506
ब्याज आय		1,92,662	1,92,662			1,91,586	1,91,586
<b>जोड़</b>	97,97,818	22,62,437	1,20,60,255	42,68,501	1,17,07,026	24,54,023	1,84,29,550
<b>भुगतान</b>			-				-
व्यय	64,87,558		64,87,558		35,516		35,516
			-		10,20,072		10,20,072
जोड़	64,87,558	-	64,87,558	-	10,55,588	-	10,55,588
<b>अंत शेष</b>	<b>33,10,260</b>	<b>22,62,437</b>	<b>55,72,697</b>	<b>42,68,501</b>	<b>1,06,51,438</b>	<b>24,54,023</b>	<b>1,73,73,962</b>
मुख्य खाते में जमा संवधी ईएमएफ							
31.03.2015 तक		3,310,260					
30.06.2015 तक		4,268,501					

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

**31.03.2015 तक तुलनपत्र की अनुसूची भाग**

**अनुसूची 5 : निर्धारित/संचयी निधियों से निवेश**

(राशि-₹)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सावधि जमा प्राप्तियां (आईओबी)	22,62,437	20,69,775
बचत खाता सं. 209501000007601 में पेंशन निधि निवेश	11,24,251	10,87,019
बचत खाता सं. 209501000006535 में सामान्य भविष्य निधि निवेश	11,01,416	8,68,000
बचत खाता सं. 209501000006536 में अंशदायी भविष्य निधि निवेश	45,339	9,60,358
<b>जोड़</b>	<b>45,33,443</b>	<b>49,85,152</b>

## इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)

अनुलग्नक-(बी)

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016

वही खाता:

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
08/07/2015	द्वारा	नकद	कांद्रा	17		1,736.00
08/07/2015	द्वारा	बैठक के लिए अग्रिम	भुगतान	267		3,500.00
08/07/2015	द्वारा	टेलीफोन एवं मोबाइल प्रतिपूर्ति व्यय	भुगतान	268		2,500.00
08/07/2015	द्वारा	समाचारपत्र में विज्ञापन	भुगतान	271		9,522.00
09/07/2015	द्वारा	जनशक्ति	भुगतान	272		4,927.00
09/07/2015	द्वारा	नकद	कांद्रा	18		1,543.00
09/07/2015	द्वारा	टेलीफोन एवं मोबाइल प्रतिपूर्ति व्यय	भुगतान	274		2,152.00
09/07/2015	द्वारा	टेलीफोन व्यय	भुगतान	275		1,011.00
13/07/2015	द्वारा	बैठक व्यय	भुगतान	277		25,342.00
14/07/2015	द्वारा	नकद	कांद्रा	19		2,895.00
14/07/2015	द्वारा	(ब्योरों के अनुसार)	भुगतान	279		1,253.00
14/07/2015	द्वारा	टेलीफोन व्यय	भुगतान	280		1,000.00
14/07/2015	द्वारा	टेलीफोन व्यय	भुगतान	281		26,861.00
14/07/2015	द्वारा	डाक और टेलीग्राम	भुगतान	282		21,088.00
14/07/2015	द्वारा	बैठक व्यय	भुगतान	283		10,904.00
14/07/2015	द्वारा	(ब्योरों के अनुसार)	भुगतान	284		1,46,679.00
14/07/2015	द्वारा	टीडीएस	भुगतान	285		3,085.00
16/07/2015	द्वारा	नकद	कांद्रा	20		1,890.00
16/07/2015	द्वारा	लैपटाप बैग के लिए अग्रिम	भुगतान	287		6,000.00
17/07/2015	द्वारा	चिकित्सा व्यय	भुगतान	290		6,474.00
20/07/2015	द्वारा	प्रिंटिंग और स्टेशनरी तथा कंप्यूटर उपभोज्य	भुगतान	291		1,625.00
22/07/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांद्रा	22		5,00,000.00
05/11/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांद्रा	46		15,00,000.00
30/11/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांद्रा	51		8,00,000.00
07/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांद्रा	53		7,00,000.00
23/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांद्रा	57		7,00,000.00
29/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांद्रा	59		9,00,000.00
31/12/2015	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांद्रा	60		6,00,000.00

12/01/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांट्रा	63		5,00,000.00
07/03/2016	द्वारा	प्रशिक्षण	भुगतान	903		36,972.00
31/03/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांट्रा	80		25,00,000.00
						90,18,959.00
	को	अंत जमा			90,18,959.00	
					90,18,959.00	90,18,959.00

**इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)**

अनुलग्नक-(सी)

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016

बही खाता:

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
23/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक - मुख्य	कांट्रा	13	1000.00	
03/07/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक - मुख्य	कांट्रा	16	50,00,000.00	
23/07/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक - मुख्य	कांट्रा	23	20,54,000.00	
28/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	कांट्रा	68	60,17,503.00	
					1,30,72,503.00	
	द्वारा	अंत शेष				1,30,72,503.00
					1,30,72,503.00	1,30,72,503.00

निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय

		इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)		1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016		
दिनांक		विवरण	वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
16/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	41	16,169.00	
16/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	42	20,831.00	
16/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	43	27,769.00	
30/04/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	97	25,040.00	
07/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	109	2,599.00	
07/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	110	7,218.00	
19/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	126	70.00	
19/05/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	127	8,505.00	
08/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	189	3,404.00	
10/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	196	2,223.00	
10/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	197	32,783.00	
15/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	200	21,042.00	
15/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	201	37,301.00	
17/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	205	1,543.00	
17/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	206	26,967.00	
18/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	213	3,111.00	
18/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	214	13,638.00	
18/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	215	5,441.00	
30/06/2015	में	इंडियन ओवरसीज बैंक – मुख्य	भुगतान	245	17,088.00	
09/07/2015	में	इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)	भुगतान	276	30,506.00	
05/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	337	8,122.00	
05/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	338	8,113.00	
12/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	355	3,450.00	
25/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	372	4,724.00	
25/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	373	4,776.00	
25/08/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	374	2,544.00	
01/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	406	3,373.00	
01/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	407	11,182.00	
02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	408	11,079.00	
02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	409	17,440.00	
02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	415	3,975.00	
02/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	416	1,457.00	

22/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	447	920.00	
22/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	448	8,249.00	
22/09/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	449	2,165.00	
19/10/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	535	7,841.00	
19/10/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	536	12,744.00	
19/10/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	539	1,700.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	592	7,988.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	593	8,599.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	594	6,837.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	595	8,599.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	596	16,498.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	597	14,971.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	598	5,729.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	599	9,955.00	
06/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	600	5,719.00	
11/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	607	89,043.00	
26/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	624	975.00	
26/11/2015	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	625	25,051.00	
05/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	727	7,408.00	
05/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	728	36,695.00	
05/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	729	10,820.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	748	2,680.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	749	17,355.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	750	2,458.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	751	10,807.00	
13/01/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	752	10,903.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	827	1,250.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	828	47,643.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	829	1,455.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	830	19,274.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	831	8,410.00	
17/02/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	832	10,210.00	
24/02/2016	में	निरीक्षण के लिए अग्रिम	जरनल	103	2,645.00	
08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	908	9,652.00	
08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	909	15,844.00	
08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	910	6,380.00	
08/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	911	6,460.00	

16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	931	2,501.00	
16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	932	7,786.00	
16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	933	10,353.00	
16/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	935	41,793.00	
21/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	947	3,743.00	
29/03/2016	में	निरीक्षण के लिए अग्रिम	जरनल	132	12,451.00	
31/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	970	13,857.00	
31/03/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	971	82,173.00	
		जोड़			10,20,072.00	

### इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता) बही

अनुलग्नक-(इ)

1 अप्रैल 2016 से 12 अगस्त 2016

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
01/04/2016	में	प्रारंभिक शेष			1,59,90,125.00	
18/04/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता- मुख्य	कांद्रा	4		25,00,000.00
05/05/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता- मुख्य	कांद्रा	7		10,00,000.00
18/05/2016	द्वारा	इंडियन बैंक खाता- मुख्य	कांद्रा	10		10,00,000.00
					1,59,90,125.00	45,00,000.00
	द्वारा	अंत शेष				1,14,90,125.00
					1,59,90,125.00	1,59,90,125.00

### इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता) बही

अनुलग्नक-(एफ)

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
01/04/2016	में	प्रारंभिक शेष			1,59,90,125.00	
30/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता- मुख्य	कांद्रा	17	45,00,000.00	
31/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता- मुख्य	भुगतान	757	20,82,175.00	
					2,25,72,300.00	
	द्वारा	अंत शेष				2,25,72,300.00
					2,25,72,300.00	2,25,72,300.00

**निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय**

अनुलग्नक-(जी)

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017

दिनांक	विवरण		वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे
13/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	47	2,646.00
13/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	48	54,198.00
19/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	61	5,187.00
19/04/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	62	16,214.00
02/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	99	7,910.00
02/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	100	3,350.00
20/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	160	1,524.00
20/05/2016	में	यात्रा व्ययों के लिए अग्रिम	जरनल	16	5,000.00
20/05/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	161	15,035.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	203	4,235.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	204	13,911.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	205	4,931.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	206	9,080.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	207	3,682.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	208	2,255.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	209	938.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	210	2,850.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	211	24,734.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	212	6,505.00
14/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	213	1,542.00
21/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	226	970.00
21/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	227	21,830.00
21/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	228	300.00
24/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	236	1,650.00
24/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	237	1,650.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	242	5,750.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	243	62,282.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	244	3,906.00
28/06/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	245	16,551.00
15/07/2016	में	यात्रा व्यय के लिए अग्रिम	जरनल	35	11,168.00
15/07/2016	में	यात्रा व्यय के लिए अग्रिम	जरनल	36	12,096.00
15/07/2016	में	दौरा व्यय के लिए अग्रिम	जरनल	37	14,720.00
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	294	4,590.00

22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	295	7,015.00
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	296	28,299.00
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	297	2,850.00
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	298	11,939.00
22/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	299	7,278.00
28/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	325	1,986.00
28/07/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	326	15,696.00
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	350	2,650.00
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	351	14,490.00
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	352	2,836.00
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	353	23,365.00
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	354	8,227.00
12/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	355	7,877.00
30/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	370	2,750.00
30/08/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	371	23,071.00
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	405	450.00
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	406	18,787.00
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	407	950.00
16/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	408	18,787.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	412	965.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	413	14,404.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	414	2,350.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	415	12,720.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	416	450.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	417	2,350.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	418	5,849.00
23/09/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	419	725.00
03/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	442	6,375.00
03/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	443	11,392.00
06/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	448	2,750.00
06/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	449	13,185.00
06/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	450	2,237.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	487	3,090.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	488	12,377.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	489	3,000.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	490	23,266.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता - मुख्य	भुगतान	491	12,259.00

28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	492	11,199.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	493	3,430.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	494	2,600.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	495	49,056.00
28/10/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	496	77,333.00
28/11/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	524	5,400.00
28/11/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	525	3,350.00
28/11/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	526	450.00
02/12/2016	में	यात्रा के लिए अग्रिम – जयरमन	जरनल	91	8,953.00
26/12/2016	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	572	9,617.00
24/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	708	234.00
24/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	709	290.00
28/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	727	225.00
29/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	729	1,57,388.00
29/03/2017	में	यात्रा के लिए अग्रिम – जयरमन	जरनल	120	31,006.00
29/03/2017	में	यात्रा के लिए अग्रिम – जयरमन	जरनल	121	19,962.00
31/03/2017	में	इंडियन बैंक खाता – मुख्य	भुगतान	735	7,544.00
		जोड़			10,60,274

अनुलग्नक-(एच)

### इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता) बही

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017

दिनांक		विवरण	वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
22-07-2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	90	1,028	
24-07-2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	92	26	
31-07-2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	116	1,278	
30-11-2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	288	30,803	
31-12-2015	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	366	76,910	
30-01-2016	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	495	4,041	
30-01-2016	में	अग्रदाय खाता	प्राप्ति	496	98,858	
16-07-2015	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	289		255
24-02-2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	848		56
13/04/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	49		1682
30/04/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	187	7,255	
04/05/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	117		169
30/06/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	333	92,502	
31/07/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	380	2,43,431	

31/08/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	419	58,908	
30/09/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	446	2,11,562	
18/10/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	454		91
18/10/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	458	2,729	
31/10/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	461	6,732	
30/11/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	491	21,575	
31/12/2016	में	ब्याज आय	प्राप्ति	526	2,47,542	
31/12/2016	द्वारा	बैंक प्रभार	भुगतान	591		51
31/01/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	542	2,326	
31/01/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	543	2,61,744	
28/02/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	577	79,270	
31/03/2017	में	ब्याज आय	प्राप्ति	622	2,28,921	
					1,677,441	2,304
		निवल जोड़				1,675,137

### इंडियन बैंक (निर्धारित निधि खाता)

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017

दिनांक		विवरण	वाउचर प्रकार	वाउचर सं.	नामे	जमा
26/11/2015	में	एमटीएस आवेदन शुल्क		281	50.00	
26/11/2015	में	एमटीएस आवेदन शुल्क		282	50.00	
26/11/2015	में	एमटीएस आवेदन शुल्क		283	50.00	
26/11/2015	में	वाहनों के लिए अग्रिम		284	1,568.00	
09/03/2016	में	राज्य मत्स्यपालन, आंध्र प्रदेश		691	50,700.00	
23/03/2016	में	आरटीआई शुल्क		844	10.00	
23/03/2016	में	आरटीआई शुल्क		845	10.00	
11/4/2016	में	प्रशिक्षण		111	25,272.00	
		जोड़			77,710	

**वार्षिक लेखे  
अंशदायी भविष्य निधि  
2017-18**

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई,  
मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31-03-2018 तक तुलनपत्र का अनुसूची भाग

अनुसूची 3 : वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

(राशि-₹)

क. वर्तमान देयताएँ	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. स्वीकृतियाँ				
2. विधि देनदारः				
i) सामानों के लिए	-	-	-	-
ii) अन्य	-	31,194	-	-
क. मुथु सॉफ्ट लैब्स	31,194	-	-	-
3. प्रदर्शन प्रतिभूति जमा	-	3,662		-
क) एश्वर्य कंस्ट्रक्शन	3,662	-	-	-
4. जमानत राशि जमा		50,000		50,000
क) मेरिट इंटरप्राइजिज	-	-	-	-
ख) ऑर्विट टेक्नोलॉजीज	-	-	-	-
ग) डे एन डे सर्विसस (प्रा.) लि.	30,000		30,000	
घ) बायो-इनकॉर्प/एलिगेन्ट टेक्नोलॉजी	-	-	-	-
ड.) सिवा कैब्स	-	-	-	-
च) ब्रॉडलाइन	5,000		5,000	
छ) मुथु सॉफ्ट लैब्स	5,000		5,000	
ज) नुकम टेक्नोलॉजी	5,000		5,000	
झ) श्री विग्नेश कैब्स	5,000		5,000	
5. प्रोद्भूत ब्याज लेकिन निम्न पर देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण/उधारियाँ				
ख) असुरक्षित ऋण/उधारियाँ				
6. सांविधिक देयताएँ:				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)				
7. प्रतिभूति जमा				
क) हिताची सिस्टम माइक्रो क्लिनिक प्रा. लि.	7,293	7,293	10,955	10,955
8. राज्य मत्स्यपालन - आंध्र प्रदेश	50,700	50,700	50,700	50,700
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. देय वेतन - मार्च 2016	12,08,025	12,08,025	-	-
11. आईओबी - खाता 209501000010000	-	-	1,13,174	1,13,174
12. एनपीएस कटौती - श्री के श्रीनिवासन बाबू	95,659	95,659	153	153
13. सीपीसी/एलएसपीसी बकाया	14,45,845	14,45,845	15,72,401	15,72,401
14. देय बोनस	-	-	69,080	69,080
15. देय किराया	2,17,888	2,17,888		
<b>जोड़</b>		<b>36,10,266</b>		<b>23,66,463</b>

**वार्षिक लेखे  
सामान्य भविष्य निधि  
2017-18**

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई,  
मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091  
सामान्य भविष्य निधि

**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा**

प्राप्तियां	रु.	रु.	भुगतान	रु.	रु.
प्रारंभिक शेष - बैंक में नकदी		21,13,156	बैंक प्रभार		-
			पीएफ निपटान/अंतरण		12,57,500
पीएफ अंशदान		2,31,000			
			अंत शेष		
ब्याज		1,36,477	- बैंक में नकदी		12,23,133
<b>जोड़</b>		<b>24,80,633</b>	<b>जोड़</b>		<b>24,80,633</b>

**31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता**

व्यय	रु.	रु.	आय	रु.	रु.
बैंक प्रभार		-	पीएफ अंशदान		2,31,000
पीएफ निपटान/ अंतरण		12,57,500	ब्याज		1,36,477
			आय पर व्यय की अधिकता		8,90,023
<b>जोड़</b>		<b>12,57,500</b>	<b>जोड़</b>		<b>12,57,500</b>

**31 मार्च 2018 तक तुलनपत्र**

देयताएं	रु.	रु.	परिसंपत्तियां	रु.	रु.
<u>जीपीएफ निधि</u>					
प्रारंभिक शेष	21,13,156		बैंक में नकदी		
घटायें: आय पर व्यय की अधिकता	8,90,023	12,23,133	- आईओबी	2,416	
			- इंडियन बैंक	12,20,717	12,23,133
<b>जोड़</b>		<b>12,23,133</b>	<b>जोड़</b>		<b>12,23,133</b>

**वार्षिक लेखे  
अंशदायी भविष्य निधि  
2017-18**

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई,  
मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091  
अंशदायी भविष्य निधि

**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान**

प्राप्तियां	रु.	रु.	भुगतान	रु.	रु.
प्रारंभिक शेष - बैंक में नकदी		4,35,901	बैंक प्रभार		-
पीएफ अंशदान		85,420	पीएफ निपटान/अंतरण		-
ब्याज		22,360	अंत शेष - बैंक में नकदी		5,43,681
<b>जोड़</b>		<b>5,43,681</b>	<b>जोड़</b>		<b>5,43,681</b>

**31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा**

व्यय	रु.	रु.	आय	रु.	रु.
बैंक प्रभार		-	पीएफ अंशदान		85,420
पीएफ निपटान/ अंतरण		-	ब्याज		22,360
व्यय पर आय की अधिकता		1,07,780			
<b>जोड़</b>		<b>1,07,780</b>	<b>जोड़</b>		<b>1,07,780</b>

**31 मार्च 2018 तक तुलनपत्र**

देयताएं	रु.	रु.	परिसंपत्तियां	रु.	रु.
<u>सीपीएफ निधि</u>					
प्रारंभिक शेष	435,901		बैंक में नकदी		
जोड़ें: व्यय पर आय की अधिकता	107,780	5,43,681	- आईओबी	1,934	
			- इंडियन बैंक	5,41,747	5,43,681
<b>जोड़</b>		<b>5,43,681</b>	<b>जोड़</b>		<b>5,43,681</b>

**वार्षिक लेखे  
पेंशन निधि  
2017-18**

**तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई,  
मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण  
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय  
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

पेंशन निधि

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	रु.	रु.	भुगतान	रु.	रु.
प्रारंभिक शेष - बैंक में नकदी		98,51,829	बैंक प्रभार		-
अंशदान		11,84,698	पीएफ निपटान/अंतरण		-
ब्याज		3,48,466	अंत शेष - बैंक में नकदी		1,13,84,993
<b>जोड़</b>		<b>1,13,84,993</b>	<b>जोड़</b>		<b>1,13,84,993</b>

31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

व्यय	रु.	रु.	आय	रु.	रु.
बैंक प्रभार		-	अंशदान		11,84,698
पीएफ निपटान/ अंतरण		-	ब्याज		3,48,466
व्यय पर आय की अधिकता		15,33,164			
<b>जोड़</b>		<b>15,33,164</b>	<b>जोड़</b>		<b>15,33,164</b>

31 मार्च 2018 तक तुलनपत्र

देयताएं	रु.	रु.	परिसंपत्तियां	रु.	रु.
<u>सीपीएफ निधि</u>					
प्रारंभिक शेष	98,51,829		बैंक में नकदी		
जोड़ें: व्यय पर आय की अधिकता	15,33,164	1,13,84,993	- आईओबी	25,700	
			- इंडियन बैंक	1,13,59,293	1,13,84,993
<b>जोड़</b>		<b>1,13,84,993</b>	<b>जोड़</b>		<b>1,13,84,993</b>

**PART II**

**Separate Audit Report of the C & AG  
for the year 2016-17**



प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय  
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

**OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)**  
Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6400

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924

तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

No. PDA(C)/CE/II/28-49/2017-18/

Dated: 19.02.2018

To

The Secretary to Government of India,  
Ministry of Agriculture,  
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries,  
Shastri Bhavan,  
New Delhi - 110 001.



Sir,

**Sub:** Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2016-17 - Reg.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2016-17 along with the statement of accounts. Three copies of the Report for the year 2016-17 as presented to Parliament may be forwarded to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

— sed —

**Encl:** As above.

Director/Admn.

Endt.No. PDA(C)/CE/II/28-49/2017-18/186

Dated: 19.02.2018

Copy together with a copy of the Separate Audit Report and management letter is forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai. It is requested to furnish 3 copies of the Hindi version of the Audit Report and 3 copies of the Annual Report as presented to Parliament at an early date. It is also requested to furnish the dates of presentation of the accounts to Parliament for the year 2016-17.

Director/Admn.

महा निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय  
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै- 600 018

सेवामें,

The Member Secretary,  
Coastal Aquaculture Authority,  
Chennai – 600 091.

महोदय,

मैं इसके साथ दिनांक.19.02.2018 के पत्र सं. सीएबी PDA(C)/CE/III/28-49/17-18/

अग्रेषित कर रहा हूँ ।

भवदीय,



निदेशक/प्रशासन

## Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31 March 2017.

We have audited the attached Balance Sheet of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31 March 2017. Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority Act 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc.. If any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

#### **4. Based on our audit, we report that:**

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

**A. Balance Sheet**

**Liabilities Capital Fund – (Sch.1) Rs. 1,58,31,742**

**Current Liabilities & Provisions – (Sch.3) – Rs.23,66,463.**

A grant in aid of Rs.3.80 crore was received by the institute during the year. Out of this grant, an amount of Rs.3.43 crore has been utilised and the balance unutilised grant of Rs.0.37 crore has been transferred to capital fund as per the accounting policy adopted by the institute as mentioned in the significant accounting policies (Sch.14; Para.6) enclosed to annual accounts.

However, according to the provisions of Accounting Standard-12 and uniform format for annual accounts of Central Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance, the unutilised grant has to be disclosed under current liabilities in Balance Sheet. Adoption of incorrect accounting policy by the institute has resulted in overstatement of Capital Fund and understatement of Current Liabilities to the extent of Rs.0.37 crore.

**B. General**

1. According to the guidelines in uniform format for annual accounts of central autonomous bodies prescribed by Ministry of Finance, any funds received /kept aside by an institute for a specific objective have to be accounted separately as an 'earmarked fund". Any interest earned and expenditure incurred on those funds has to be accounted in respective earmarked funds.

The institute has created four Earmarked Funds namely Farm registration fee, Processing fee for Litopenaeus Vannamei (L.V) Farms, L.V. Hatcheries and Feed Products. The fee received has been accounted under respective four earmarked funds. However, instead of accounting the expenditure incurred and interest earned from the respective earmarked funds to the same funds, the institute has incorrectly created another two earmarked funds for accounting the interest earned and expenditure incurred on the said four funds in contravention of the Uniform Format of Accounts.

2. The total Earmarked Funds (other than GPF/CPF/Pension Fund) as per Sch-2 as on 31.03.2017 was Rs.2,96,82,35I. Whereas the corresponding earmarked fund assets disclosed in balance sheet were Rs.3,53,82,762 (FD in IOB-Sch-5 Rs.26,42,503; cash at bank in Indian bank – Earmarked fund Rs.3,27,40,259). Thus, there was a difference of Rs.57.00,411 between the earmarked funds disclosed on the liabilities side and

corresponding assets in Balance Sheet. An objection in this regard was already included in previous year SAR. However, no corrective action has been taken by the institute.

3. The institute has stated in 'significant accounting policies' (Sch-14) enclosed to financial statements that, the liability in respect of gratuity and leave encashment is being ascertained by institute annually *based on actuarial valuation* at the year end and provided for'.

However, the institute has calculated provision for Pension, gratuity and leave encashment on its own and an amount of Rs.84.56 lakh has been provided for the year. Thus, the accounting policy mentioned in significant accounting policies was contrary to the actual practice adopted by the institute for creation of provision for retirement benefits.

### **C. Effect of Revision in Accounts**

The accounts of the Authority were revised based on audit comments which resulted in the following:

- a. Assets & Liabilities increased by Rs 39,782/- (Two transactions)
- b. The surplus of Rs.17.19 lakh in pre revised accounts has become deficit of Rs.19.56 lakh in revised Income & Expenditure Account.

### **D. Grants in aid**

Out of the grants-in-aid of Rs.3.80 Crore received during the year, the authority utilised a sum of Rs.3.80 Crore, leaving a balance of Rs. NIL as on 31<sup>st</sup> March 2017.

### **E. Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31 March 2017; and
- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

Place : Chennai

Date : 19.02.2018

**For and on behalf of the C&AG of India**

  
**Principal Director of Audit (Central)**  
**Chennai**

## Annexure

### 1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit for the year 2016-17 was conducted by a CA firm.

### 2. Adequacy of Internal Control System

Since no physical verification of fixed assets and inventory was done by the institute, no security controls for safeguarding of fixed assets and lab equipments and in view of the other irregularities included in main report, the internal control system is treated as inadequate.

### 3. Physical verification of fixed assets.

Physical verification of fixed assets was not done for the year 2016-17.

### 4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory was not done for the year 2016-17.

### 5. Regularity in payment of statutory dues

The Authority was regular in payment of statutory dues.



Director / CE



**ANIM CHERIAN**  
Principal Director of Audit (Central)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)

चेन्नै

लेखापरीक्षा भवन

361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

**PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)**

Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"

361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ. स. नं. / D.O. No. : PDA(Cj)/CAB/V/28-49/2017-18/187

दिनांक / Date : 19.02.2018

Dear Dr. Gopal,

Please refer to the Separate Audit Report on the audit of Annual Accounts of Coastal Aquaculture Authority (CAA), Chennai for the year 2016-17 issued on 16.02.2018. I wish to bring the following defects noticed in accounting practices/procedures to your notice for remedial action.

1. The institute has disclosed a liability of Rs.1,13,174 under current liabilities in balance sheet. However, on enquiry it was noticed that the institute has no such liability to any one for the said amount. When it was pointed out, your institute has replied that necessary correction will be made in next financial year.
2. The institute has been accounting the GPF/CPF/NPS transactions in the main accounts of CAA. According to the guidelines given in 'uniform format for financial statements' of central autonomous bodies, all the transactions of GPF/CPF/NPS have to be taken out of institute's main accounts and a separate financial statements may be prepared for GPF/CPF/NPS and appended to institute's annual financial statements.
3. The institute has been creating provision for retirement benefits (Pension, EL encashment and Gratuity) annually. However, the same has not been specifically disclosed under 'establishment expenses' in income & expenditure account. Further, the amount of provision created for Pension, EL encashment and Gratuity may be disclosed separately for each item in I&E account and in Balance Sheet.

with Regards,

Yours sincerely,

Dr. C.Gopal,  
Member Secretary,  
Coastal Aquaculture Authority, Chennai – 600 091.

दूरभाष / Phone : 044-2431 6400

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924

तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

## Para-wise clarification for Separate Audit Report for the year 2016-17

Sl. No.	Para No. in SAR	Clarification
<b>A.</b>	<p><b>Balance Sheet</b></p> <p><b>Liabilities</b></p> <p><b>Capital Fund – (Sch.1) – Rs.1,58,31,7432</b></p> <p><b>Current Liabilities &amp; Provisions – (Sch.3) – Rs.23,66,463.</b></p> <p>A grant in aid of Rs.3.80 crore was received by the institute during the year. Out of this grant, an amount of Rs.3.43 crore has been utilized and the balance unutilized grant of Rs.0.37 crore has been transferred to capital fund as per the accounting policy adopted by the institute as mentioned in the significant accounting policies (Sch.14; Para.6) enclosed to annual accounts.</p> <p>However, according to the provisions of Accounting Standard-12 and uniform format for annual accounts of Central Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance, the unutilized grant has to be disclosed under current liabilities in Balance Sheet. Adoption of incorrect accounting policy by the institute has resulted in overstatement of Capital Fund and understatement of Current Liabilities to the extent of Rs.0.37 crore.</p>	<p>Para (c) of SAR of CAGI dated 19.2.2018 on this Accounts of CAA for the year 2016-17 confirms that CAA has revised the accounts and thereby, now Income and Expenditure account became deficit by Rs.19.56 lakhs. Necessary amendments were made then &amp; there and revised financial statements have been submitted to the Audit dept.</p>
<b>B.</b>	<b>General</b>	
<b>B.1</b>	<p>According to the guidelines in uniform format for annual accounts of central autonomous bodies prescribed by Ministry of Finance, any funds received/ kept aside by an institute for a specific objective have to be accounted separately as an 'earmarked fund'. Any interest earned and expenditure incurred on those funds has to be accounted in respective earmarked funds.</p>	<p>It is informed that there were no separate accounts created or maintained by Coastal Aquaculture Authority. Only one Earmarked Fund Account has been maintained by Coastal Aquaculture Authority all through.</p> <p>A separate bank Account to maintain the Earmarked Fund was created on 23.6.2015 during the year 2015 – 16.</p>

	<p>The institute has created four Earmarked Funds namely Farm registration fee, Processing fee for LitopenaeusVannamei (L. V) Farms, L. V. Hatcheries and Feed Products. The fee received has been accounted under respective four earmarked funds. However, instead of accounting the expenditure incurred and interest earned from the respective earmarked funds to the same funds, the institute has incorrectly created another two earmarked funds for accounting the interest earned and expenditure incurred on the said four funds in contravention of the Uniform Format of Accounts.</p>	<p>I. It is submitted that during the year 2015-16, the following transactions resulted into difference in balance in excess of actual.</p>	
<p>B.2</p>	<p>The total Earmarked Funds (other than GPF/CPF/Pension Fund) as per Sch-2 as on 31.03.2017 was Rs.2,96,82,351. Whereas the corresponding earmarked fund assets disclosed in balance sheet were Rs.3,53,82,762 (FD in IOB-Sch-5 Rs.26,42,503; cash at bank in Indian bank – Earmarked fund Rs.3,27,40,259). Thus, there was a difference of Rs.57,00,411 between the earmarked funds disclosed on the liabilities side and corresponding assets in Balance Sheet. An objection in this regard was already included in previous year SAR. However, no corrective action has been taken by the institute.</p>	<p>(A). The amount due to be transferred from the Main account to Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(a)</b>]</p>	<p>Rs.42,68,501</p>
		<p>(B). The amount drawn from E a r m a r k e d Fund account to Main account during the year 2015 – 16 [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(b)</b>]</p>	<p>Rs.90,18,959</p>
		<p>(C). The total amount returned to Earmarked Fund account from Main account [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(c)</b>]</p>	<p>Rs.1,30,72,503</p>

		(D). This is the net deficit [(C) - (A+B)]	(-)Rs.2,14,957
	II.	During 2015 – 16, the expenditure made from Main account was erroneously accounted in Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(d)</b> ]	RS.10,20,072
	III.	During the year 2016 – 17, the following transactions resulted in a difference in balance in excess of actual	
		(A). Loan drawn from Earmarked Fund during 2016 – 17 [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(e)</b> ]	Rs.45,00,000
		(B). Repaid from Main account to Earmarked Fund account during 2016 – 17 [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(f)</b> ]	Rs.65,82,175
		(C). Total excess paid to Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as (A – B)]	Rs.20,82,175

		<p>IV During 2016 – 17 the expenditure made from Main account was erroneously accounted in Earmarked Fund account [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(g)</b>]</p>	<p><b>Rs.10,60,274</b></p>
		<p>V During the year 2016 – 17, the accrued interest amount from E a r m a r k e d Fund account was erroneously a c c o u n t e d for Main account [Copy of statement showing the details is attached as <b>Annexure-(h)</b>]</p>	<p><b>Rs.17,52,847</b></p>
		<p><b>VI ID + II + IIIC + V + V</b></p>	<p><b>57,00,411.00</b></p>
<p>The net effect of the above stated transactions (I+II+III+IV &amp; V) resulted in a difference of Rs.57,00,411/- between the Earmarked Funds disclosed on the liabilities side and corresponding assets in Balance Sheet.</p> <p>It is submitted that another two entries erroneously accounted in Main account and Earmarked Fund account have been identified and rectified.</p>			

		<p>It is submitted that necessary corrective action by way of change of entries have been made and the effect of which has been reflected in the opening and closing balance of the revised accounts for the year 2019 – 20. The revised opening balance of Earmarked Fund account as on 01<sup>st</sup> April 2019 is Rs.8,06,72,553/- and the closing balance for Earmarked Fund account as on 31<sup>st</sup> March 2020 is Rs.9,56,08,528/-. The corresponding assets in the balance sheet is Rs.9,56,08,528/- (Bank balance Rs.9,23,82,612/- + Fixed Deposit Rs.32,25,916/-).</p> <p>Accordingly, the differences indicated by CAGI from 2015 – 16 uptill 2019 – 20 have been tallied between the Assets and Liabilities in the revised annual accounts and balance sheet for the year 2019 – 20. The revised annual accounts for the year 2019 – 20 is enclosed.</p>
<p>B.3</p>	<p>The institute has stated in ‘significant accounting policies’ (Sch-14) enclosed to financial statements that, the liability in respect of gratuity and leave encashment is being ascertained by institute annually <i>based on actuarial valuation</i> at the year end and provided for’.</p> <p>However, the institute has calculated provision for Pension, gratuity and leave encashment <i>on its own</i> and an amount of Rs.84.56 lakh has been provided for the year. Thus, the accounting policy mentioned in significant accounting policies was contrary to the actual practice adopted by the institute for creation of provision for retirement benefits.</p>	<p>Action taken for engagement of Actuarial Valuer providing actuarial valuation for the purpose of assessing the gratuity and leave encashment liability for CAA employees.</p>

<b>C.</b>	<b>Effect of Revision in Accounts</b> The Accounts of the authority were revised based on audit comments which resulted in the following:	No observation made by audit hence may be treated as nil.
<b>C. a</b>	Assets & Liabilities increased by Rs.39,782/- (Two transactions)	
<b>C. b</b>	The surplus of Rs.17.19 lakh in pre revised accounts has become deficit of Rs.19.56 lakh in revised Income & Expenditure Account.	
<b>D.</b>	<b>Grants in aid</b> Out of the grants-in-aid of Rs.3.80 crore received during the year, the authority utilized a sum of Rs.3.80 crore, leaving a balance of Rs.NIL as on 31 <sup>st</sup> March 2017.	No observation made by audit hence may be treated as nil.
	<b>Annexure</b>	
1.	<b>Adequacy of Internal Audit System</b> Internal Audit for the year 2016-17 was conducted by CA firm.	---
2.	<b>Adequacy of Internal Control System</b> Since no physical verification of fixed assets and inventory was done by the institute, no security controls for safeguarding of fixed assets and lab equipments and in view of the other irregularities included in main report, the internal control system is treated as inadequate.	Physical Verification was conducted in subsequent year 2017-18 and submitted during the CAG Audit. The CAGI has acknowledged in their Audit report of 2017-18.
3.	<b>Physical verification of fixed assets.</b> Physical verification of fixed assets was not done for the year 2016-17.	
4.	<b>System of physical verification of inventory</b> Physical verification of inventory was not done for the year 2016-17.	
5.	<b>Regularity in payment of statutory dues</b> The Authority was regular in payment of statutory of dues.	No observation made by audit hence may be treated as nil.

### Para wise clarification for Management letter

Para No.	Observation in Management letter	Clarification
1.	The institute has disclosed a liability of Rs.1,13,174 under current liabilities in balance sheet. However, on enquiry it was noticed that the institute has no such liability to any one for the said amount. When it was pointed out, your institute has replied that necessary correction will be made in next financial year.	The observation of the Audit for necessary correction has been made in the books of accounts for the year 2017-18. A copy of the Schedule 3 of financial statement for the year 2017-18 is enclosed as <b>Annexure-I(j)</b> .
2.	The institute has been accounting the GPF/CPF/NPS transactions in the main accounts of CAA. According to the guidelines given in 'uniform format for financial statements' of central autonomous bodies, all the transactions of GPF/CPF/NPS have to be taken out of institute's main accounts and a separate financial statements may be prepared for GPF/CPF/NPS and appended to institute's annual financial statements.	Complied with effect from FY 2017 – 18. Accordingly, financial statement showing the separate accounts for GPF / CPF / Pension Fund are enclosed as <b>Annexure-I(k)</b> .
3.	The institute has been creating provision for retirement benefits (Pension, EL encashment and Gratuity) annually. However, the same has not been specifically disclosed under 'establishment expenses' in income & expenditure account. Further, the amount of provision created for Pension, EL encashment and Gratuity may be disclosed separately for each item in I&E account and in Balance Sheet.	Necessary action taken for engagement of Actuarial Valuer providing actuarial valuation for the purpose of assessing the gratuity and leave encashment liability for CAA employees.

Ref.: PDA's letter No.PDA(C)/CE/II/28-49/2017-18 dated 19.2.2018

Annexure (a)

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015**

**Schedule 2: Earmarked/ Endowment Funds**

(Amount-₹)

Description	Farm Registration Fees	Processing Fees (L.V Farms)	Processing Fees (L.V Hatchery)	General Provident Fund	Contributory Provident Fund	Pension Fund	Interest	Total	
								Current Year	Previous Year
a) Opening balance of the funds	21,11,823	44,67,784	21,07,250	8,68,000	9,60,358	10,87,019	3,41,396	1,19,43,630	72,15,433
b) Addition to the Funds:				2,33,416	3,66,932	37,232		6,37,580	29,15,377
i. Donations/grants	-	-	-			.....		-	-
ii. Income from Investment made on account of Earmarked funds	-	-	-			.....	1,92,662	1,92,662	3,41,396
iii. Fees	4,17,345	14,86,995	9,35,000			.....		28,39,340	14,71,424
<b>TOTAL (a+b)</b>	<b>25,29,168</b>	<b>59,54,779</b>	<b>30,42,250</b>	<b>11,01,416</b>	<b>13,27,290</b>	<b>11,24,251</b>	<b>5,34,058</b>	<b>1,56,13,212</b>	<b>1,19,43,630</b>
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds									
i. Capital Expenditure									
- Fixed Assets	-	-	-					-	-
- Others - Settlement	-	-	-		12,81,951			12,81,951	-
<b>Total</b>	-	-	-					-	-
ii. Revenue Expenditure									
- Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-						
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc	-	-	-						
- JIFSAN Training Expenses	-	-	-						
- Seminar/conference etc Expenses	-	-	-						
<b>Total</b>	-	-	-					64,87,558	-
<b>TOTAL (c)</b>	-	-	-		12,81,951			77,69,509	-
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a+b-c)</b>	<b>25,29,168</b>	<b>59,54,779</b>	<b>30,42,250</b>	<b>11,01,416</b>	<b>45,339</b>	<b>11,24,251</b>	<b>5,34,058</b>	<b>78,43,703</b>	<b>1,19,43,630</b>

Particulars	FY 2014-15		Total	FY 2015-16			Total
	Main A/c	Fixed Deposit		Main A/c	EMF A/c	Fixed Deposit	
<b>Opening</b>	69,58,478	20,69,775	90,28,253	33,10,260	-	22,62,437	55,72,697
<b>Receipts</b>			-				-
Application Fee-30%	4,17,345		4,17,345	24,900	5,15,011		5,39,911
Farm Registration Fees	-	-	-	-	-		-
Feed Product	-	-	-	1,20,000	47,30,000		48,50,000
Processing Fees ( L.V Farms)	14,86,995		14,86,995	1,82,835	2,87,015		4,69,850
Processing Fees ( L.V Hatchery)	9,35,000		9,35,000	6,00,000	61,75,000		67,75,000
Travelling Expenses for Inspection	-	-	-	30,506			30,506
Interest Income		1,92,662	1,92,662			1,91,586	1,91,586
<b>Total</b>	97,97,818	22,62,437	1,20,60,255	42,68,501	1,17,07,026	24,54,023	1,84,29,550
<b>Payments</b>			-				-
Expenditure	64,87,558		64,87,558		35,516		35,516
			-		10,20,072		10,20,072
<b>Total</b>	64,87,558	-	64,87,558	-	10,55,588		10,55,588
<b>Closing Balance</b>	<b>33,10,260</b>	<b>22,62,437</b>	<b>55,72,697</b>	<b>42,68,501</b>	<b>1,06,51,438</b>	<b>24,54,023</b>	<b>1,73,73,962</b>
Cumulative EMF Deposited in Main A/c							
Upto 31.03.2015		33,10,260					
Upto 30.06.2015		42,68,501					

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE  
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015**

**Schedule 5 : Investments from Earmarked/ Endowment Funds (Amount- ₹)**

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	22,62,437	20,69,775
Pension Fund Investment in SB A/c No:209501000007601	11,24,251	10,87,019
General Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006535	11,01,416	8,68,000
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006536	45,339	9,60,358
<b>Total</b>	<b>45,33,443</b>	<b>49,85,152</b>

## Indian Bank(Earmarked Fund A/c) 1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Annexure (b)

Ledger:

Date	Particulars		Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
08/07/2015	By	Cash	Contra	17		1,736.00
08/07/2015	By	ADVANCE FOR MEETING	Payment	267		3,500.00
08/07/2015	By	Telephone & Mobile Reimbursement Exp	Payment	268		2,500.00
08/07/2015	By	Advertisement in News Paper	Payment	271		9,522.00
09/07/2015	By	Manpower	Payment	272		4,927.00
09/07/2015	By	Cash	Contra	18		1,543.00
09/07/2015	By	Telephone & Mobile Reimbursement Exp	Payment	274		2,152.00
09/07/2015	By	Telephone Expenses	Payment	275		1,011.00
13/07/2015	By	Meeting Expenses	Payment	277		25,342.00
14/07/2015	By	Cash	Contra	19		2,895.00
14/07/2015	By	Meeting Expenses	Payment	279		1,253.00
14/07/2015	By	Telephone Expenses	Payment	280		1,000.00
14/07/2015	By	Telephone Expenses	Payment	281		26,861.00
14/07/2015	By	Postage& Telegram	Payment	282		21,088.00
14/07/2015	By	Meeting Expenses	Payment	283		10,904.00
14/07/2015	By	Manpower	Payment	284		1,46,679.00
14/07/2015	By	Tds	Payment	285		3,085.00
16/07/2015	By	Cash	Contra	20		1,890.00
16/07/2015	By	ADVANCE FOR LAPTOP BAG	Payment	287		6,000.00
17/07/2015	By	Medical Expenses	Payment	290		6,474.00
20/07/2015	By	Printing & Stationery and Computer Consumables	Payment	291		1,625.00
22/07/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	22		5,00,000.00
05/11/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	46		15,00,000.00
30/11/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	51		8,00,000.00
07/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	53		7,00,000.00
23/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	57		7,00,000.00
29/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	59		9,00,000.00
31/12/2015	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	60		6,00,000.00

12/01/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	63		5,00,000.00
07/03/2016	By	Training	Payment	903		36,972.00
31/03/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	80		25,00,000.00
						90,18,959.00
	To	Closing Balance			90,18,959.00	
					90,18,959.00	90,18,959.00

**Indian Bank(Earmarked Fund A/c)**

1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Annexure (c)

**Ledger:**

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
23/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Contra	13	1000.00	
03/07/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Contra	16	50,00,000.00	
23/07/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Contra	23	20,54,000.00	
28/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Contra	68	60,17,503.00	
					1,30,72,503.00	
	By	Closing Balance				1,30,72,503.00
					1,30,72,503.00	1,30,72,503.00

## TRAVELLING EXPENSES FOR INSPECTION

		Indian Bank(Earmarked Fund A/c)	1-Apr-2015 to 31-Mar-2016			
Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
16/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	41	16,169.00	
16/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	42	20,831.00	
16/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	43	27,769.00	
30/04/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	97	25,040.00	
07/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	109	2,599.00	
07/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	110	7,218.00	
19/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	126	70.00	
19/05/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	127	8,505.00	
08/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	189	3,404.00	
10/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	196	2,223.00	
10/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	197	32,783.00	
15/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	200	21,042.00	
15/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	201	37,301.00	
17/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	205	1,543.00	
17/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	206	26,967.00	
18/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	213	3,111.00	
18/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	214	13,638.00	
18/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	215	5,441.00	
30/06/2015	To	INDIAN OVERSEAS BANK-Main	Payment	245	17,088.00	
09/07/2015	To	Indian Bank(Earmarked Fund A/c)	Payment	276	30,506.00	
05/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	337	8,122.00	
05/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	338	8,113.00	
12/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	355	3,450.00	
25/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	372	4,724.00	
25/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	373	4,776.00	
25/08/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	374	2,544.00	
01/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	406	3,373.00	
01/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	407	11,182.00	
02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	408	11,079.00	
02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	409	17,440.00	
02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	415	3,975.00	
02/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	416	1,457.00	

22/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	447	920.00	
22/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	448	8,249.00	
22/09/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	449	2,165.00	
19/10/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	535	7,841.00	
19/10/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	536	12,744.00	
19/10/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	539	1,700.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	592	7,988.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	593	8,599.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	594	6,837.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	595	8,599.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	596	16,498.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	597	14,971.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	598	5,729.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	599	9,955.00	
06/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	600	5,719.00	
11/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	607	89,043.00	
26/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	624	975.00	
26/11/2015	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	625	25,051.00	
05/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	727	7,408.00	
05/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	728	36,695.00	
05/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	729	10,820.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	748	2,680.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	749	17,355.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	750	2,458.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	751	10,807.00	
13/01/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	752	10,903.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	827	1,250.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	828	47,643.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	829	1,455.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	830	19,274.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	831	8,410.00	
17/02/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	832	10,210.00	
24/02/2016	To	ADVANCE FOR INSPECTION	Journal	103	2,645.00	
08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	908	9,652.00	
08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	909	15,844.00	
08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	910	6,380.00	
08/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	911	6,460.00	

16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	931	2,501.00	
16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	932	7,786.00	
16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	933	10,353.00	
16/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	935	41,793.00	
21/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	947	3,743.00	
29/03/2016	To	ADVANCE FOR INSPECTION	Journal	132	12,451.00	
31/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	970	13,857.00	
31/03/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	971	82,173.00	
		<b>Total</b>			<b>10,20,072.00</b>	

### Indian Bank (Earmarked Fund A/c) Book

Annexure (e)

1-Apr-2016 to 12-Aug-2016

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
01/04/2016	To	Opening Balance			1,59,90,125.00	
18/04/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	4		25,00,000.00
05/05/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	7		10,00,000.00
18/05/2016	By	Indian Bank A/c- Main	Contra	10		10,00,000.00
					1,59,90,125.00	45,00,000.00
	By	Closing Balance				1,14,90,125.00
					<b>1,59,90,125.00</b>	<b>1,59,90,125.00</b>

### Indian Bank (Earmarked Fund A/c) Book

Annexure (f)

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
01/04/2016	To	Opening Balance			1,59,90,125.00	
30/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Contra	17	45,00,000.00	
31/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	757	20,82,175.00	
					2,25,72,300.00	
	By	Closing Balance				2,25,72,300.00
					<b>2,25,72,300.00</b>	<b>2,25,72,300.00</b>

**TRAVELLING EXPENSES FOR INSPECTION**

Annexure (g)

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit
13/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	47	2,646.00
13/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	48	54,198.00
19/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	61	5,187.00
19/04/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	62	16,214.00
02/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	99	7,910.00
02/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	100	3,350.00
20/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	160	1,524.00
20/05/2016	To	Advance for Travelling Expenses	Journal	16	5,000.00
20/05/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	161	15,035.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	203	4,235.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	204	13,911.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	205	4,931.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	206	9,080.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	207	3,682.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	208	2,255.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	209	938.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	210	2,850.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	211	24,734.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	212	6,505.00
14/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	213	1,542.00
21/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	226	970.00
21/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	227	21,830.00
21/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	228	300.00
24/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	236	1,650.00
24/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	237	1,650.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	242	5,750.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	243	62,282.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	244	3,906.00
28/06/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	245	16,551.00
15/07/2016	To	Advance for Travelling Expenses	Journal	35	11,168.00
15/07/2016	To	Advance for Travelling Expenses	Journal	36	12,096.00
15/07/2016	To	Advance for Tour Expenses	Journal	37	14,720.00
22/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	294	4,590.00

22/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	295	7,015.00
22/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	296	28,299.00
22/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	297	2,850.00
22/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	298	11,939.00
22/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	299	7,278.00
28/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	325	1,986.00
28/07/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	326	15,696.00
12/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	350	2,650.00
12/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	351	14,490.00
12/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	352	2,836.00
12/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	353	23,365.00
12/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	354	8,227.00
12/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	355	7,877.00
30/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	370	2,750.00
30/08/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	371	23,071.00
16/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	405	450.00
16/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	406	18,787.00
16/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	407	950.00
16/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	408	18,787.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	412	965.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	413	14,404.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	414	2,350.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	415	12,720.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	416	450.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	417	2,350.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	418	5,849.00
23/09/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	419	725.00
03/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	442	6,375.00
03/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	443	11,392.00
06/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	448	2,750.00
06/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	449	13,185.00
06/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	450	2,237.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	487	3,090.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	488	12,377.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	489	3,000.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	490	23,266.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	491	12,259.00

28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	492	11,199.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	493	3,430.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	494	2,600.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	495	49,056.00
28/10/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	496	77,333.00
28/11/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	524	5,400.00
28/11/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	525	3,350.00
28/11/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	526	450.00
02/12/2016	To	Advance for Travel - Jayaraman	Journal	91	8,953.00
26/12/2016	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	572	9,617.00
24/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	708	234.00
24/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	709	290.00
28/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	727	225.00
29/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	729	1,57,388.00
29/03/2017	To	Advance for Travel - Jayaraman	Journal	120	31,006.00
29/03/2017	To	Advance for Travel - Jayaraman	Journal	121	19,962.00
31/03/2017	To	Indian Bank A/c- Main	Payment	735	7,544.00
		<b>Total</b>			<b>10,60,274</b>

Annexure (h)

### Indian Bank (Earmarked Fund A/c) Book

1-Apr-2015 to 31-Mar-2017

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
22-07-2015	To	Interest A/c	Receipt	90	1,028	
24-07-2015	To	Interest A/c	Receipt	92	26	
31-07-2015	To	Interest A/c	Receipt	116	1,278	
30-11-2015	To	Interest A/c	Receipt	288	30,803	
31-12-2015	To	Interest A/c	Receipt	366	76,910	
30-01-2016	To	Interest A/c	Receipt	495	4,041	
30-01-2016	To	Interest A/c	Receipt	496	98,858	
16-07-2015	By	Bank Charges	Payment	289		255
24-02-2016	By	Bank Charges	Payment	848		56
13/04/2016	By	Bank Charges	Payment	49		1,682
30/04/2016	To	Interest Income	Receipt	187	7,255	
04/05/2016	By	Bank Charges	Payment	117		169
30/06/2016	To	Interest Income	Receipt	333	92,502	
31/07/2016	To	Interest Income	Receipt	380	2,43,431	

31/08/2016	To	Interest Income	Receipt	419	58,908	
30/09/2016	To	Interest Income	Receipt	446	2,11,562	
18/10/2016	By	Bank Charges	Payment	454		91
18/10/2016	To	Interest Income	Receipt	458	2,729	
31/10/2016	To	Interest Income	Receipt	461	6,732	
30/11/2016	To	Interest Income	Receipt	491	21,575	
31/12/2016	To	Interest Income	Receipt	526	2,47,542	
31/12/2016	By	Bank Charges	Payment	591		51
31/01/2017	To	Interest Income	Receipt	542	2,326	
31/01/2017	To	Interest Income	Receipt	543	2,61,744	
28/02/2017	To	Interest Income	Receipt	577	79,270	
31/03/2017	To	Interest Income	Receipt	622	2,28,921	
					1,677,441	2,304
		Net Total				1,675,137

### Indian Bank (Earmarked Fund A/c)

1-Apr-2015 to 31-Mar-2017

Date		Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
26/11/2015	To	MTS Application Fee	Receipt	281	50.00	
26/11/2015	To	MTS Application Fee	Receipt	282	50.00	
26/11/2015	To	MTS Application Fee	Receipt	283	50.00	
26/11/2015	To	Advance for Vehicles	Receipt	284	1,568.00	
09/03/2016	To	State Fisherires,Andhra Pradesh	Receipt	691	50,700.00	
23/03/2016	To	RTI FEES	Receipt	844	10.00	
23/03/2016	To	RTI FEES	Receipt	845	10.00	
4/11/2016	To	Training	Receipt	111	25,272.00	
		Total			77,710	

**Annual Accounts for the Year  
2017-18 (Revised)**

**Coastal Aquaculture Authority  
Government of India  
GDR Tower, 12A, Bharati Street, Vanuvampettai  
Madipakkam PO, Chennai - 600 091**

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018**

**Schedule 3 : Current Liabilities and Provisions**

(Amount- ₹)

	Current Year		Previous Year	
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
i) For Goods	-	-	-	-
ii) Others	-	31,194	-	-
a. Muthu soft labs	31,194	-	-	-
3. Performance Security Deposit	-	3,662		-
a) M/s. Aishwarya Construction, Chennai	3,662	-	-	
4. Earnest Money Deposit		50,000		50,000
a) M/s. Merit Enterprises	-		-	
b) M/s. Orbit Technologies	-		-	
c) M/s. Day N Day (P) Ltd., Chennai	30,000		30,000	
d) M/s. Bio-incorp/Agilent Technologies	-		-	
e) M/s. Siva Cabs, Chennai	-		-	
f) M/s. Broadline	5,000		5,000	
g) M/s. Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
h) M/s. Nucum Technologies	5,000		5,000	
i) M/s. Vignesh Cabs	5,000		5,000	
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
6. Statutory Liabilities:				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)				
7. Security Deposit				
a) M/s. Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	7,293	10,955	10,955
8. State Fisheries, Andhra Pradesh	50,700	50,700	50,700	50,700
9. Other Provision (Contingent)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. Salary payable-March 2016	12,08,025	12,08,025	-	-
11. IOB - Account 209501000010000	-	-	1,13,174	1,13,174
12. NPS deduction - Shri K Srinivasan Babu	95,659	95,659	153	153
13. CPC / LSPC Arrears	14,45,845	14,45,845	15,72,401	15,72,401
14. Bonus payable	-	-	69,080	69,080
15. Rent payable	2,17,888	2,17,888		
<b>Total</b>		<b>36,10,266</b>		<b>23,66,463</b>

**Annual Accounts  
General Provident Fund  
2017-18**

**Coastal Aquaculture Authority  
Government of India  
GDR Tower, 12A, Bharati Street, Vanuvampettai  
Madipakkam PO, Chennai - 600 091**

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**General Provident Fund**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED  
31.03.2018**

Receipts	Rs.	Rs.	Payments	Rs.	Rs.
Opening balance Cash at Bank		21,13,156	Bank Charges		-
			PF Settlement / transfer		12,57,500
PF Contribution		2,31,000			
			Closing Balance Cash at Bank		12,23,133
Interest		1,36,477			
<b>Total</b>		<b>24,80,633</b>	<b>Total</b>		<b>24,80,633</b>

**Income and Expenditure account for the year ended 31.03.2018**

Expenditure	Rs.	Rs.	Income	Rs.	Rs.
Bank Charges		-	PF Contribution		2,31,000
PF Settlement / transfer		12,57,500	Interest		1,36,477
			Excess of Expenditure over Income		8,90,023
<b>Total</b>		<b>12,57,500</b>	<b>Total</b>		<b>12,57,500</b>

**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH 2018**

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
<b>GPF Fund</b>					
Opening balance	21,13,156		Cash at Bank		
Less: Excess of Expenditure over Income	8,90,023	12,23,133	IOB	2,416	
			Indian Bank	12,20,717	12,23,133
<b>Total</b>		<b>12,23,133</b>	<b>Total</b>		<b>12,23,133</b>

**Annual Accounts  
Contributory Provident Fund  
2017-18**

**Coastal Aquaculture Authority  
Government of India  
GDR Tower, 12A, Bharati Street, Vanuvampettai  
Madipakkam PO, Chennai - 600 091**

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**Contributory Provident Fund**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED**  
**31.03.2018**

Receipts	Rs.	Rs.	Payments	Rs.	Rs.
Opening balance Cash at Bank		4,35,901	Bank Charges		-
PF Contribution		85,420	PF Settlement / transfer		-
Interest		22,360	Closing Balance Cash at Bank		5,43,681
<b>Total</b>		<b>5,43,681</b>	<b>Total</b>		<b>5,43,681</b>

**Income and Expenditure account for the year ended 31.03.2018**

Expenditure	Rs.	Rs.	Income	Rs.	Rs.
Bank Charges		-	PF Contribution		85,420
PF Settlement / transfer		-	Interest		22,360
Excess of Expenditure over Income		1,07,780			
<b>Total</b>		<b>1,07,780</b>	<b>Total</b>		<b>1,07,780</b>

**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH 2018**

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
<b>CPF Fund</b>					
Opening balance	4,35,901		Cash at Bank		
Add: Excess of Income over Expenditure	1,07,780	5,43,681	IOB	1,934	
<b>Total</b>		<b>5,43,681</b>	Indian Bank	5,41,747	5,43,681
			<b>Total</b>		<b>5,43,681</b>

**Annual Accounts  
Pension Fund  
2017-18**

**Coastal Aquaculture Authority  
Government of India  
GDR Tower, 12A, Bharati Street, Vanuvampettai  
Madipakkam PO, Chennai - 600 091**

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**  
**GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091**

**Pension Fund**

**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED**  
**31.03.2018**

Receipts	Rs.	Rs.	Payments	Rs.	Rs.
Opening balance Cash at Bank		98,51,829	Bank Charges		-
Contribution		11,84,698	PF Settlement / transfer		-
Interest		3,48,466	Closing Balance Cash at Bank		1,13,84,993
<b>Total</b>		<b>1,13,84,993</b>	<b>Total</b>		<b>1,13,84,993</b>

**Income and Expenditure account for the year ended 31.03.2018**

Expenditure	Rs.	Rs.	Income	Rs.	Rs.
Bank Charges		-	Contribution		11,84,698
PF Settlement / transfer		-	Interest		3,48,466
Excess of Expenditure over Income		15,33,164			
<b>Total</b>		<b>15,33,164</b>	<b>Total</b>		<b>15,33,164</b>

**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH 2018**

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
<b>Pension Fund</b>					
Opening balance	98,51,829		Cash at Bank		
Add: Excess of Income over Expenditure	15,33,164	1,13,84,993	IOB	25,700	
<b>Total</b>		<b>1,13,84,993</b>	Indian Bank	1,13,59,293	1,13,84,993
			<b>Total</b>		<b>1,13,84,993</b>



तटीय जलकृषि प्राधिकरण



COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जल कृषि प्राधिकरण

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY**

(भारत सरकार / Government of India)

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिपक्कम पोस्ट

GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam Post

चेन्नै / Chennai-600 091 तमिल नाडु / Tamil Nadu, भारत / India

फोन / Phone : +91 44 2260 3783, 3784, 3502

टेलीफैक्स / Telefax : +91 44 2260 3780

ई-मेल / E-mail : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

वेबसाइट / Website : www.caa.gov.in